खण्ड–38, अंक–08
गुरूवार, 24 माघ, शक संवत्, 1935
(13 फरवरी, 2014 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2014)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 38 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2015

मूल्य–

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थिति	"क"
राजभाषा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित करने के बाद भी हो रही उपेक्षा पर नियम-310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की माँग ...	1
प्रश्नोत्तर	2-55
नियम-310 के अन्तर्गत सूचनाएं	55
नियम-300 के अन्तर्गत सूचनाएं	55
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	56
विधान सभा क्षेत्र लक्सर में ग्राम मखियाली खुर्द से ग्राम मथाना तक सोलानी नदी की सफाई 12-15 वर्षों से न होने के कारण भारी मात्रा में सिल्ट जम जाने से किसानों तथा फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना ...	56
जी0एम0एस0 रोड से अनुराग नर्सरी, लबली मार्केट सम्पर्क मार्ग में जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	56-57
प्रदेश में विगत 1670 दिनों से आन्दोलनरत एस0एस0बी0 स्वयंसेवकों के समायोजित, रोजगार की मांग के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद हरिद्वार में विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत आदर्श टिहरी नगर की आन्तरिक सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में स्वीकृत टैक्सी स्टैण्ड एवं बारात घर का निर्माण दो साल से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद बागेश्वर के जूनियर हाईस्कूल अयारतोली के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	58

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बागेश्वर के जूनियर हाईस्कूल गुरना के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	58
जनपद बागेश्वर के शहीद राम सिंह बोरा जूनियर हाईस्कूल मगरतोला के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	58
जनपद बागेश्वर के खरई क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	59
जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असों को इण्टर में उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	59
जनपद बागेश्वर के ग्राम जाठा के काफलीगैर एवं खरेई क्षेत्र में गैस गोदाम खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित) ...	59
नियम–58 की सूचना का उत्तर पूर्णतया गलत एवं सदन को गुमराह किये जाने के सम्बन्ध में नियम–65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचनाएं	59–82
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	82
भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)...	83
उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित) ...	83
नियम–58 के अन्तर्गत कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	83–84
वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा	84
विपक्ष द्वारा सैनिक फार्म सम्बन्धी सूचना पर स्पष्ट उत्तर की मांग ...	84–99
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद–166 के उल्लंघन पर उत्पन्न संवैधानिक संकट पर मा0 अध्यक्ष का विनिश्चय	99
वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर माननीय नेता सदन का उत्तर भाषण	100–119
वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–	120
अनुदान संख्या–05 निर्वाचन (स्वीकृत)	120
अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं (स्वीकृत)	120–121

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	121
अनुदान संख्या–18 सहकारिता (स्वीकृत)	121–122
अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ (स्वीकृत)	122
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	122–123
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार के विभिन्न नव मोटर मार्गों के लम्बित प्रस्तावों के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह रागड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	123–124
विधान सभा क्षेत्र सल्ट के तल्ला सल्ट में मछोड़ नामक स्थान पर तहसील की मांग के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	124

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री गणेश गोदियाल
10—श्री गणेश जोशी
11—श्री चन्दन राम दास
12—श्री चन्द्र शेखर
13—डा0 जीत राम
14—श्री तीरथ सिंह
15—श्री दलीप सिंह रावत
16—श्री दान सिंह भण्डारी
17—श्री दिनेश अग्रवाल
18—श्री दिनेश धनै
19—श्री नवप्रभात
20—श्री नारायणराम आर्य
21—श्री पुष्कर सिंह धामी
22—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
24—श्री प्रदीप बत्रा
25—श्री प्रीतम सिंह
26—श्री प्रीतम सिंह पंवार
27—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28—श्री प्रेम सिंह
29—श्री फुरकान अहमद
30—श्री बंशीधर भगत
31—श्री भीमलाल आर्य
32—श्री मदन कौशिक
33—श्री मदन सिंह बिष्ट
34—श्री मनोज तिवारी
35—श्री मयूख सिंह
36—श्री महावीर सिंह
37—श्री माल चन्द
38—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
39—श्री यतीश्वरानन्द
40—श्री यशपाल आर्य
41—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
42—श्री राजकुमार
43—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
44—श्री राजेश शुक्ला
45—श्री ललित फर्स्वाण
46—श्री विक्रम सिंह नेगी
47—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
48—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49—श्री विशन सिंह चुफाल
50—श्रीमती शैला रानी रावत
51—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52—श्री संजय गुप्ता
53—श्री सरवत करीम अंसारी
54—श्रीमती सरिता आर्या
55—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
56—श्री सुबोध उनियाल
57—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
59—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60—श्री हरभजन सिंह चीमा
61—श्री हरबन्स कपूर
62—श्री हरिदास
63—श्री हरीश धामी
64—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
65—श्री हेमेश खर्कवाल

गुरूवार, दिनांक 13 फरवरी, 2014 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

राजभाषा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित करने के बाद भी हो रही उपेक्षा पर नियम–310 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, संस्कृत शिक्षा के लिए एक नया पैसा भी इस बजट में नहीं रखा है। 310 की हमने सूचना दी है। संस्कृत जिसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा हमने दे दिया, हमारे प्रदेश ने उसकी ऐसी बेकदरी कर दी, जो मंत्रियों की प्लेट संस्कृत में लगी थी, वो तक उतार दी मान्यवर, प्रदेश में आखिर क्या हो रहा है, यह विचारणीय प्रश्न है। (व्यवधान) कि कोई भी अच्छी चीज, जो अच्छी चीज होने वाली चीज है, वो सब उतार–उतार के फेंकी जा रही हैं और ये संस्कृत के प्रति सरकार का दृष्टिकोण क्या है, सरकार क्या चाहती है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया और द्वितीय राजभाषा के दर्जे की यह हालत है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, जब यह आयेगा, तब बात करेंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत ही इम्पोरटेंट मामला है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, संस्कृत भाषा शिक्षा जो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, सब भाषाओं की जननी मानी जाती है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह सदन की अवमानना है कि जिसको द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया हो उसके लिए एक नये पैसे का बजट में प्रोविजन नही किया गया है। (व्यवधान) मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नियम–58 में ले लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में

*श्री महावीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री जी अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के अधिकतर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है ?

यदि हाँ, तो सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा एवं पेयजल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

जी नहीं। अधिकतर नहीं अपितु सीमित संख्या में ही शिक्षकों के पद रिक्त हैं।

प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है। प्रवक्ता पदों पर भर्ती की कार्यवाही गतिमान है।

प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या–01

श्री महावीर सिंह–

मान्यवर, उत्तर आया भी नहीं और सीमित संख्या में, मैं जानना चाहता हूँ कि संख्या कितनी सीमित है और कितने पदों के सापेक्ष में हैं? और दूसरा रिक्त पद के कारण क्या हैं, अगर पहाड़ों में पद रिक्त हैं तो उसके कारण क्या हैं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह विचारणीय भी है और महत्वपूर्ण भी है। मैं सदन को इस बात का संज्ञान देना चाहता हूँ कि टोटल जो हमारे प्रदेश के अध्यापकों की स्थिति है प्रवक्ता से लेकर बेसिक तक की, इसमें बेसिक में मंडलवाईज मैं कहना चाहूँगा प्रवक्ता में गढ़वाल मंडल में रिक्त पद अब 1486 हैं। 5691 टोटल पद हैं जिसमें से 4205 पदों के प्रवक्ता हैं और जो पद रिक्त हैं वो 1486 हैं गढ़वाल मंडल में जो रिक्त हैं अभी। कुमाऊँ मंडल की जानकारी देना चाहता हूँ मान्यवर, आपके माध्यम

से टोटल जो प्रवक्ता पद हैं 4019 हैं इसमें से जो प्रवक्ता हमारे पास मौजूद हैं 2552 हैं और जो रिक्त हैं वो 1497 हैं। उसी प्रकार से सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम में गढ़वाल मंडल में कुल पद 10606 हैं जिसमें से 8606 कार्यरत हैं और रिक्त 1987 हैं मान्यवर, कुमाऊँ मंडल में इसी तरीके से जो कार्यरत हैं 6157 हैं और रिक्त पद 1969 हैं। मान्यवर, प्राथमिक स्तर पर जो गढ़वाल मण्डल में कुल पद हैं, वह 11740 हैं, जिसमें से कार्यरत् 11057 हैं और रिक्त पद 683 हैं। कुमाऊँ मण्डल में कुल पद 8694 हैं, जिसमें कार्यरत् 8213 हैं और रिक्त पद 981 हैं। मान्यवर, जो हमारे पास टोटल पद रिक्त हैं। उसमें प्रवक्ता के पदों के लिए 1213 पद, उसके लिए सरकार की तरफ से अधियाचन भेजा जा चुका है। उसमें जो हमने आयोग को रिमाइन्डर भेजे हैं। उसके लिए उन्होंने एक महीने के अन्दर प्रक्रिया को गतिमान करने का आश्वासन दिया है। अभी जो इसमें पदोन्नति का आया उसमें 13834 एल0टी0 से लेक्चरर में पदोन्नति की गई। इस प्रकार जो हमारे पास टोटल प्रवक्ता के पद रिक्त हैं, वह 579 हैं। इस तरह से हमारे टोटल बेसिक से लेकर माध्यमिक तक जो आकड़ा रिक्तता का है जो पद के सापेक्ष हमारे अध्यापक कार्यरत हैं, उसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय सदस्य को दी है।

श्री महावीर सिंह–

मान्यवर, रिक्त पदों के कारण क्या हैं? और आपने कहा कि सीमित हैं। अगर इसको सीमित माना जाय तो दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, हमने सीमित तो नहीं कहा। जो पद इसमें रिक्त हैं उसके कारण मैं बताना चाहता हूँ कि उसके कारण ये हैं कि विगत वर्षों में जो विद्यालय गये हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट उनमें पदों का क्रियेशन नहीं हुआ। अब जाकरके जब से हमारी सरकार बनी तब से हमने पदों के क्रियेशन की प्रक्रिया जारी की। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया जारी है और इसमें शीघ्र ही, अभी जैसे रमसा के माध्यम से विद्यालय खोले गये उसमें हमने पदों का क्रियेशन किया और उसमें नियुक्ति होने जा रही है, जो रिक्तता की बात है उसमें एक कारण यह भी है। दूसरा कारण यह है जो हमारे बेसिक में रिक्तता की बात आई उसमें भी जो शिक्षा मित्र लगे थे उनके सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एन0सी0टी0 का आकड़ा है, उसके माध्यम से विद्यार्थियों की संख्या कम होने की वजह से कई विद्यालय बन्द होने के कगार पर आये। उस दृष्टि से जो हमारे शिक्षा मित्र लगे हुए थे और जिन्होंने बी0टी0सी0 की थी उनके संज्ञान के लिए, उनके रिलेक्सेशन के लिए हमने बकायदा केन्द्र में पहल की और उसमें हमारे सांसद सतपाल महाराज जी ने मेरे साथ चल करके पहल की और उस स्थिति में यह खुशी की खबर बताना चाहता हूँ कि जिन शिक्षा मित्रों के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, जिनको रिलेक्सेशन नहीं मिल रहा था, टी0ई0टी0 होना जरूरी था, उस पर बकायदा सरकार की पहल पर मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनको

रिलेक्सेशन मिल चुका है। हमारे प्रदेश में जो शिक्षा मित्र लगातार पढ़ाते आ रहे थे और जिन्होंने बी0टी0सी0 की थी उनके लिए टी0ई0टी0 अनिवार्य थी, उसको रिलेक्सेशन मिला है। मान्यवर, यह बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्या रिलेक्सेशन मिला, जरा बता दें?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, टी0ई0टी0में रिलेक्सेशन मिला।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो लेक्चरर हैं कुमाऊँ और गढ़वाल में लगभग तीन हजार पद रिक्त बताये। इसी प्रकार एल0टी0 में लगभग चार हजार पद रिक्त बताये और प्राइमरी में लगभग 1734 पद रिक्त बताये। यह टोटल मिला करके लगभग 9 हजार पद इस समय खाली है। इसमें आपने कहा कि हम एल0टी0 से लेक्चरर में प्रमोशन करेंगे और प्राइमरी से एल0टी0 में प्रमोशन करेंगे। पद तो 9 हजार रिक्त रहेंगे, मैं आपके अनुसार बता रहा हूँ। आपने बताया गढ़वाल में 5691 लेक्चरर जिसमें से 1486 रिक्त हैं, 419 कुमाऊँ में रिक्त जिसमें 1497 रिक्त हैं, इस प्रकार 2983 हो गये। एल0टी0 में 10686 गढ़वाल में 1987 रिक्त हो गये। मान्यवर, 6157 पद कुमाऊँ मण्डल में, जिसमें से 1964 रिक्त हैं। इन दोनों को मिलाकर लगभग सात हजार पद रिक्त हैं और प्राईमरी में 11740 पद, जिसमें से 663 रिक्त हैं और 8694 पद कुमाऊँ में, जिसमें से 981 पद रिक्त हैं। अब लगभग पौने नौ हजार पद रिक्त हो गये। यदि आप प्रमोशन भी करते रहें तो ये पौने नौ हजार रिक्त पद कैसे भरें जायेंगे? इनका अभी तक जवाब नहीं आया है। आप प्रमोशन एक से दूसरे में करें तो रिक्त पद तो नीचे हो जायेंगे। आप एल0टी0 से प्रवक्ता में प्रमोशन करेंगे तो एल0टी0 में रिक्त हो जायेंगे। प्राईमरी से एल0टी0 में प्रमोशन करेंगे तो प्राईमरी में रिक्त हो जायेंगे। अगर आप रमसा की बात करें, तो वह सृजित पद नहीं है। आप जो अध्यापक भर्ती करेंगे, वहीं माने जायेंगे। मान्यवर, अभी पौने नौ हजार पद रिक्त हैं तो सीमित पद कहां रह गये।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, सीमित पदों का सवाल नहीं है। मेरा यह कहना है कि जो पद रिक्त हैं उन पदों के सापेक्ष हम आयोग में गये हैं। (व्यवधान) और जो हमारे पास शेष पद हैं उन पर तुरन्त सरकार नियुक्ति करने जा रही है। (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने तो नियुक्ति करने से मना किया है?(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, नियुक्ति करने से मना नहीं किया है। जो पद रिक्त हैं उनके सापेक्ष सरकार नियुक्ति करने जा रही है। (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपने कहा कि प्राईमरी विद्यालयों में नियुक्ति हो चुकी है। आपके अनुसार 1764 पद रिक्त हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि नियुक्ति की जा चुकी है और यदि आप प्रमोशन करेंगे तो वह भी, उन रिक्त पदों में जुड़ जायेंगे। (व्यवधान के मध्य)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इन पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है।(व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप तो पौने नौ हजार पद खाली भी नहीं मान रहे हैं।(व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, हमने जो आकड़े दिये हैं वे तो आकड़े साक्ष्य हैं। (व्यवधान) जो पद पिछले बार नहीं भरे गये थे तो उनको हमने कुछ प्रमोशन से भरे हैं और जो शेष पद हैं उनको भरने की कार्यवाही गतिमान है। (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जिन पदों में आपने प्रमोशन किये हैं अब वह पद भी नीचे खाली हो गये हैं, आप मुझे यह बतायें, आपने सदन में गलत उत्तर दिया है।(व्यवधान के मध्य)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया गतिमान है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेशः–

मान्यवर आपकी आज्ञा से, माननीय कौशिक जी बड़े व्यथित होकर प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन शिक्षा में जितना कार्य हमारे माननीय मंत्री जी ने किया और जिस ढंग से भारत सरकार से राहत लेकर नियुक्ति की जा रही है वह बधाई के पात्र हैं (कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।)(घोर व्यवधान के मध्य)

मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है और जो उनकी चिन्ता है, उससे मैं भी सहमत हूँ। लेकिन इस बात को कृपा करके समझने की कोशिश करें कि जो पद रिक्त हैं लगभग 3978 एल.टी. के पद को, वह कैबिनेट के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं। इसलिए मैंने इस कार्यवाही में गतिमान लिखा है और सरकार रिक्त पदों को जरूर भरेगी।(कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।)(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, कब तक पद भरे जायेंगे?(व्यवधान के मध्य)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यथाशीघ्र भरे जायेंगे। (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न में स्पष्ट उत्तर आ चुका है। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है, आपने कहा कि टी0ई0टी0 में छूट दी गयी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो टी0ई0टी0 परीक्षा में असफल हो गये हैं। वे लोग अपने घरों में बैठे हैं, कई लोगों ने तो यहां तक फोन किये हैं कि हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। क्या इन पर पूर्वगामी निर्णय लागू होगा जो आज छूट मिली है? क्या उनको सम्मिलित किया जायेगा? (व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

भट्ट जी, टी0ई0टी0 में केवल शिक्षामित्रों को ही छूट मिली है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो प्रश्न है। (व्यवधान) उस सन्दर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से इस संदर्भ में मैं सदन का संज्ञान लेना चाहता हूँ कि जो टी0ई0टी0 में जिनको छूट मिली हुई है उसमें दो कैटेगिरी थीं, एक जिन्होंने बी0टी0सी0 की और उनको टी0ई0टी0 अनिवार्य हो गई थी और एक वे शिक्षा मित्र हैं जो सन् 2000 से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं और इस दृष्टि से वहाँ पर जो स्थिति आई है वह यह है कि उन लोगों को छूट दी जाये, वे लोग कोर्ट में भी गये और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से हमने पहल की और केंद्र में माननीय श्री सतपाल महाराज और हम सब साथ जा करके केन्द्रीय मंत्री, श्री पल्लम राजू जी से और प्रमुख सचिव, शिक्षा से मिले और इस पर केन्द्र सरकार ने जो रिस्पॉन्स दिया है इसके लिए हम धन्यवाद अदा करना चाहते हैं और आपकी जो मंशा है कि जो छूट गये हैं, जो रैग्यूलर उसमें आ गये हैं वो कन्सीडर किये जायेंगे, जो छूट गये हैं उनमें भी दो प्रकार की कैटेगरी है, उनके बारे में अभी इस प्रकार का संज्ञान नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस प्रकार के बच्चे हमारे उत्तराखण्ड के हैं, तो एक तो जिनको छूट मिल गई वे सफल माने गये, कुछ लोगों की टी0ई0टी0 परीक्षा आपने पहले ले ली तो उस परीक्षा में कुछ लोग असफल हो गये, अच्छे ब्रिलियंट बच्चे हैं असफल हो गये, वो तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और उनका कहना है कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है हम तो कभी आ ही नहीं पायेंगे, तो उन बच्चों के लिए जो टी0ई0टी0 में असफल हो गये हैं, एक तरफ छूट मिल रही है और जो असफल हो गये उनके लिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम सब को सोचना है तो सरकार उसमें क्या निर्णय लेगी यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इसमें जो टी0ई0टी0 की परीक्षा में सफल नहीं हो पाये हैं वे दोबारा टी0ई0टी0 की परीक्षा दे सकते हैं, उनको टी0ई0टी0 की परीक्षा में नहीं रोका जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो यह पार्ट था यह स्पेशल कैटेगिरी के तहत एक्सेप्ट किया गया, इसके बाद कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की जायेगी, टी0ई0टी0 अनिवार्य है।

*2–श्री ललित फर्स्वाण–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

*3–श्री ललित फर्स्वाण–

पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के ग्राम डौरब, बजीना एवं ऐरी, रूमा में पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

*4–श्री अजय टम्टा–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा विकास खण्ड ताड़ीखेत के ग्राम डौरब, बजीना एवं रूमा के लिए निर्मित पेयजल योजना "ऐरी, रूमा पेयजल योजना" काफी लम्बे समय से क्षतिग्रस्त है ?

यदि हाँ, तो कब तक इस क्षतिग्रस्त पेयजल योजना का पुनः निर्माण कर दिया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

माह फरवरी, 2014 के अन्त तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट में लिफ्ट पेयजल योजना के सम्बन्ध में

*5–श्री अजय टम्टा–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत मा0 प्रधानमंत्री की वर्ष 2006 की घोषणा के आधार पर डांडा–नागराजा लिफ्ट पेयजल योजना हेतु प्राक्कलन विरचित हो गया है ?

यदि हाँ, तो किस संस्था द्वारा कब प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया तथा उसकी अन्तिम स्थिति क्या है ?

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री अजय टम्टा का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

क्या योजना द्वारा आच्छादित 28 ग्राम पंचायतों में से शेष 13 ग्राम पंचायतों के नियोजन चरण की कार्यवाही की स्थिति क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त योजना हेतु कितना धनावंटन कब किया गया है तथा योजना का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा और कार्य पूर्ण होने की समयावधि क्या है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

डांडा–नागराजा लिफ्ट पेयजल योजना का प्राक्कलन उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में विरचित कर शासन को प्रस्तुत किया गया। उक्त योजना की अनुमानित लागत ₹ 2263.67 लाख माह सितम्बर, 2012 में अनुमोदित/स्वीकृत की गयी। वर्तमान में योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

योजनान्तर्गत आच्छादित समस्त 28 ग्राम पंचायतों के नियोजन चरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

उक्त योजना की स्वीकृत लागत ₹ 2263.67 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2012–13 में ₹ 112.87 लाख तथा वर्ष 2013–14 में ₹ 500.00 लाख अर्थात् ₹ 612.87 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना माह दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण की जानी प्रस्तावित है।

प्रदेश में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

*6–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नियुक्ति से वंचित बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्र जो आयु सीमा पार कर चुके हैं या आयु सीमा पार करने की स्थिति में हैं, की नियुक्ति हेतु कोई योजना बनायी जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0टी0सी0, टी0ई0टी0–I उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किये जाने हेतु उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली–2013 में आयु के सम्बन्ध में व्यवस्था पूर्व में ही उपलब्ध है।

(माननीय अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री अजय टम्टा का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री ललित फर्स्वाण–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विज्ञप्ति प्रकाशन के लिए आयु गणना को आधार माना जायेगा या नहीं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, विज्ञप्ति प्रकाशन के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी और उस समय उसकी ऐज की रेंज में थे तो उनको रोकने का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में

*7–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत आपदा से विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में कुल कितनी पेयजल योजनायें क्षतिग्रस्त हुई हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतावेंगे कि इन सात माह में कितनी पेयजल योजनाओं का मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है और कितनी शेष हैं ?

क्या सरकार ने क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों का आपदा के बाद सर्वे कराया था ?

यदि नहीं, तो पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में आपदा के कारण कुल 53 पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है।

अब तक 06 योजनाओं के मरम्मत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष 47 पेयजल योजनाओं की अस्थाई मरम्मत कर पेयजल व्यवस्था चालू कर दी गयी है।

जी हाँ।

आपदा मद से प्राप्त धनराशि से 06 योजनाओं में स्थाई एवं शेष 47 योजनाओं में अस्थाई रूप से पेयजल की व्यवस्था कर दी गयी है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि वो 53 योजनायें कौन–कौन सी हैं जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई हैं? और वे 6 योजनायें कौन सी हैं जिनमें कार्य किया गया है और किस तरह से कार्य किया गया है ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य की बात का उत्तर यह है। मान्यवर, हमारी जो 53 पेयजल योजनाएं हैं, इनका विवरण मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि इसमें जिला प्रशासन द्वारा जो धनराशि अवमुक्त हुई है, वह अभी तक ₹ 31 लाख 80 हजार ही अवमुक्त हुए हैं। मान्यवर, जो 6 पेयजल योजनाएं हैं, उनकी मरम्मत पूर्ण की जा चुकी है। मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्या ने जो जानकारी चाही है कि कौन–कौन सी योजनाएं हैं, उनकी सूचना मैं माननीय सदस्या को उपलब्ध करा दूंगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहती हूं कि जो 47 पेयजल योजनाएं हैं, क्या इन पर पुनर्गठन का कार्य किया जायेगा, यदि किया जायेगा तो कब तक यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह जो बाकी की 47 पेयजल योजनाएं हैं इन पर एन0आर0डी0डब्लू0पी के अन्तर्गत जो पैसे की बात हुई है, वह एक्सेम्प्ट हो गयी है और शीघ्र ही इन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी पेयजल योजनाएं बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं और माननीय मंत्री जी, केवल खानापूर्ति कर रहे हैं कि हमने 6 योजनाओं को बना दिया है, उनकी मरम्मत कर दी गयी है, जबकि स्थिति यह है कि इनमें पानी बिल्कुल नहीं चल रहा है। पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों में पम्पिंग योजनाओं पर पानी के स्रोत सूख गये हैं तो क्या उन पम्पिंग योजनाओं पर शीघ्र कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ? मान्यवर, भैरवगढ़ी एक पम्पिंग योजना है, जिस पर लगभग 10 वर्षों से कार्य चल रहा है और अभी तक यह योजना पूर्ण नहीं हुई है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बाकी पेयजल योजनाएं हैं, जिन पर धन अवमुक्त की बात हो रही है, इसमें विश्व बैंक की सहायता से हमें जो पैसा मिल रहा है, उसी पैसे से इन योजनाओं का निर्माण किया जायेगा। मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि जो योजनाएं बंद पड़ी हुई हैं, परन्तु ऐसा नहीं है। मान्यवर, जब पूरे प्रदेश में दैवीय आपदा आयी तो हमारे पांच जनपदों को छोड़कर जिनमें ज्यादा आपदा आयी, इनको छोड़कर के पूरे प्रदेश में पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको सरकार की तरफ से तत्काल हमारे जो विभागीय अधिकारी, जो भी थे, जहां भी थे। इन अधिकारियों को, कंसंट्रेट करके पानी जनता को देने की बात कही गयी। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं

कि दैवीय आपदा के समय पेयजल व्यवस्था में भी कोई दिक्कत नहीं आ पायी। हां यह जरूर है कि जो पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई, उन योजनाओं की मेंटीनेंस के लिए, जैसे-जैसे दैवीय आपदा मद से हमें पैसा मिला, उसी तरह से हमने योजनाओं का निर्माण करने की बात कही है। जहां तक यमकेश्वर ब्लाक का सवाल है तो इसमें मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस योजना पर कहीं पर भी कोई कमी रहने नहीं दी जायेगी। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर के जो 69 विधान सभा क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पेयजल की कोई कमी नहीं रखी जायेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि जिन पेयजल योजनाओं के स्रोत पर पानी कम हो गया है, क्या उन योजनाओं पर तालाब या झील बनाने की कोई योजना माननीय मंत्री जी बना रहे हैं ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में सरकार ने एक सर्वे कराया तो पूरे प्रदेश में लगभग 3213 ऐसे स्रोत हैं, जोकि सूखने के कगार पर हैं। इनके लिए सरकार की तरफ से स्वैप के माध्यम से एक योजना बनी और विश्व बैंक की तरफ से 2200 करोड़ का बजट स्वीकार हो चुका है। मान्यवर, जो स्रोत सूख गये हैं उन पर स्वैप के माध्यम से ही, उन स्रोतों के संरक्षण, उन स्रोतों के संवर्द्धन एवं उन स्रोतों को विकसित करने का कार्य किया जायेगा। यह सब उस प्रोजेक्ट में सम्मिलित है।

श्री अध्यक्ष–

स्वर्गीय राजेन्द्र शाह इंटर कॉलेज, रानीपोखरी के छात्र और अध्यापक कुल 16 लोग, सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, सदन की कार्यवाही जो बच्चे देख रहे हैं, उन्हें संसदीय प्रणाली की जानकारी मिलेगी और हमारी संवैधानिक प्रणाली संवृद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

*8–डा0 जीत राम–

मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लेने के आधार पर निरस्त।

*9–श्री माल चन्द–

आश्वासन समिति विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

जनपद बागेश्वर में शिक्षा विभाग अन्तर्गत रमसा योजना में आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों के चयन मानक के सम्बन्ध में

*10–श्री चन्दन राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर जिले में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रमसा योजना में आउटसोर्सिंग में कर्मचारियों के चयन का मानक क्या था ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नियुक्तियों में निर्धारित आरक्षण का पालन नियमानुसार हुआ है ?

यदि हाँ, तो चयन प्रक्रिया किस प्रकार की गयी ?

यदि नहीं, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद बागेश्वर में रमसा के अन्तर्गत कर्मचारियों का चयन आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से किया गया।

चयनित एजेन्सी द्वारा कार्यालय सहायक तथा प्रयोगशाला सहायक हेतु चयन मानकों का निर्धारण किया गया।

कार्यालय सहायक के चयन हेतु 50 अंक शैक्षिक योग्यता, 20 अंक टंकण, 05 अंक अतिरिक्त योग्यता, 5 अंक डोमिसाइल (जनपद के निवासी), 10 अंक अनुभव व 10 अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित किये गये।

इस प्रकार प्रयोगशाला सहायक हेतु 50 अंक शैक्षिक योग्यता, 10 अंक अतिरिक्त योग्यता, 05 अंक डोमिसाइल, 15 अंक अनुभव व 20 अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित किये गये।

जी हाँ। एजेन्सी द्वारा कुल विज्ञापित 44 पदों पर नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई। उक्त पदों के सापेक्ष 08 पद एस0सी0, 06 पद ओ0बी0सी0 तथा 01 पद पर एस0टी0 अभ्यर्थी का चयन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आउट सोर्स के लिये जिस एजेंसी का चयन किया गया, उसके लिये मात्र दो टेण्डर आये और नियमानुसार कम से कम तीन टेण्डर आने चाहिये थे, तो क्या यह चयन की कार्यवाही नियमानुसार हुई? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो इसके द्वारा सर्विस चार्ज लिया गया है वह है 0.01 प्रतिशत, तो क्या 0.01 प्रतिशत में कोई आउट सोर्सिंग एजेन्सी काम कर सकती है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी:–

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो प्रश्न किया है उसमें चयन प्रक्रिया का जहां तक सवाल है, एजेन्सी चयन का जो फार्मूला बनाया गया था, उसी के अनुसार इसके टेण्डर कराये गये, उसी के अनुसार दो एजेन्सियों ने आवदेन किया और उसमें से एक का चयन किया गया। जहां तक आपने मानको के आधार पर सलेक्शन की बात की है

तो वह बिड के आधार पर सेवा शर्तों के अनुसार ही चयन किया गया है। हां, अगर माननीय विधायक जी के संज्ञान में कोई ऐसी बात है कि चयन की प्रक्रिया सही नहीं की जा रही है, तो आप बता दीजिये, मैं उसे दिखवा लूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के नियमों का पालन किया गया, क्या आप उसके प्रिंसिपल एम्प्लायर हैं कि जो आप उसे बाध्य कर सकते हैं? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने 44 लोगों को इसके माध्यम से नियुक्ति दी है और उसका सर्विस चार्ज 0.01 प्रतिशत रखा है। तो क्या इन कर्मचारियों के वेतन का भुगतान चैक से होगा और ठेकेदार उनका शोषण नहीं करेगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी:–

मान्यवर, यह जो चयन किया गया है और इसके लिये जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह चयनित अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान मे रखकर ही किया गया है, अगर कोई ऐसी बात होगी, तो उस पर एक्शन लिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप उसके प्रिंसिपल एम्पलायर है, क्या आप उसको निर्देशित कर सकते हैं कि वह मानकों का पालन करे?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मानक के तहत ही नियुक्ति हुई है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं नियुक्ति के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, माननीय सदस्य ने चयन का मानक पूछा था, तो आपने उनको बता दिया। मैं यह जानना चाह रहा हूं कि क्या आप उनके मुख्य नियोक्ता हैं?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, विभाग की तरफ से नियुक्ति की गई है, तो हम मुख्य नियोक्ता तो हैं ही।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यदि विभाग ही मुख्य नियोक्ता है तो क्या यह हमें आश्वस्त करेंगे कि उनका पूरा पैसा चैक से भुगतान किया जायेगा? ई0एस0आई0 और पी0एफ0 की पूरी फेसलिटी, लीव इन्कैशमेन्ट और बोनस उन्हें दिया जायेगा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, भुगतान की जो प्रक्रिया है, उसी के अनुसार बैंक से भुगतान किया जायेगा। जो उनके हक हैं, जो उनकी सुरक्षा का सवाल है, उनके साथ जो टर्म एण्ड कंडीशन तय की गई हैं, उसके अनुसार उन्हें लाभ दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, लेबर लाज के अन्तर्गत उन्हें ई0एस0आई0 और पी0एफ0 की पूरी फेसिलिटी, जीव इन्कैशमेन्ट और बोनस दिया जाना होता है, क्या यह सब उनको दिया जायेगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह सब उसी में निहित है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञप्ति में जो शर्तें रखी गई हैं, उन सभी का लाभ उनको दिया जायेगा।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसमें जो अभ्यर्थी लगाये गये हैं, वह क्या इस स्टेट के बाहर के भी हैं, क्या वह इसके लिये उपयुक्त हैं? मान्यवर, अगर नहीं हैं तो क्या उनके खिलाफ संबंधित अधिकारी ने अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा लगाया है जो स्टेट से बाहर का है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी?(व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आउट सोर्सिंग एजेन्सी में जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार जिन्होंने अप्लाई किया होगा, उसी को उसमें माना जायेगा और उस नियुक्ति के अन्तर्गत जो नियम बने हैं, जो नियम नियुक्ति के हैं विज्ञप्ति में उससे बाहर कोई बात नहीं हो सकती है।

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्टेट के बाहर वाले का कोई नियम है ऐसा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, कोई मान लो दिल्ली में रह रहा है उत्तराखण्ड का, और अगर अप्लाई कर रहा है। (व्यवधान)

श्री दलीप सिंह रावत–

मान्यवर, यदि मूल निवास है तब तो यहीं का माना जायेगा, लेकिन अगर मूल निवास यहां का नहीं होगा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो विज्ञप्ति में वर्णित है, उसी के आधार पर होगा।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो साक्षात्कार प्रक्रिया हुई है क्या उसमें कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी भी बैठा था?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, देखिये, आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्ती की बात चली है उसमें शिक्षा विभाग का अधिकारी उसमें नोडल है और बाकी जो कार्यवाही की गयी है, वह एजेन्सी के माध्यम से की गयी है। नोडल शिक्षा विभाग का अधिकारी है।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, शिक्षा विभाग का तो कोई अधिकारी बैठा ही नहीं उसमें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, वो नोडल है। अगर उसमें कोई कमियाँ हैं, कोई दिक्कत है तो उसे लिख कर दिया जा सकता है और उसका समाधान किया जा सकता है?

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, आप इसकी जांच कराएंगे?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी बात होगी।

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर बौडी घूराफाट पेयजल के सम्बन्ध में

*11–श्री चन्दन राम दास–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर की बौडी घूराफाट पेयजल योजना में अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है?

क्या इस योजना में प्रस्तावित सभी ग्राम सभाओं में पाइप लाईन बिछा दी गयी है?

यदि हाँ, तो क्या लाभान्वित परिवारों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है?

यदि हाँ, तो किन किन गांवों को?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। बौडी धुराफाट पेयजल योजना की अनुमोदित लागत ₹ 362.69 लाख के सापेक्ष वर्तमान तक ₹ 327.91 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

जी नहीं। योजना में 10 ग्राम पंचायतों के लिए जलापूर्ति हेतु गठित 16 पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता उप समितियों में से 01 पाना उपसमिति को छोड़कर शेष 15 समितियों यथा बौडी, रैखोली, नन्दीगांव, सिया, तिरमोली, असौ, असौमल्लाकोट, असोरीखोली, बोहाला, हन्योली, कठानी, गटेगाड, कमडा, ऐरीगाड एवं सिमतोली द्वारा पाईप लाईन बिछा दी गई है।

योजना निर्माणाधीन है और उक्त 15 पेयजल उपभोक्ता एवं स्वच्छता उप समितियों के द्वारा पेयजल आपूर्ति शीघ्र प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ एक तो आपने जो स्वीकृत धनराशि दी है इसका आंकड़ा आपने बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि यह योजना 2006 में स्वीकृत हुई थी तो एक तो यह बतायें कि इसमें अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है? उसमें स्वीकृत धनराशि है, एक्सटेंशन की लाईन है, बहुत सी और योजनाओं से इसमें पैसा खर्च हुआ है। नंबर–2, 2006 से स्वीकृत योजना में भी आज तक 16 जो हमारी स्वच्छता समितियाँ बनी हैं आज तक पेयजल उपलब्ध न कराने का क्या कारण रहा है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस पेयजल योजना पर जो धन अवमुक्त हुआ है, वो 327.91 लाख की राशि अवमुक्त हो चुकी है। जहां तक आपने कहा कि जिन पेयजल योजनाओं, जहां पाईप लाईन बिछ गयी हैं, उनको पानी देने की बात है तो ये जो काम है यह स्वैप के माध्यम से जहां आपकी समिति बनी है, जहां पर गांव की समिति बनी है, उसके माध्यम से ये सारी कार्यवाही गतिमान है और कर दी जायेगी, जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है अभी मैंने आपके संज्ञान में दिया है कि 15 स्वच्छता समितियों के द्वारा हमारे पास जो पत्र आएंगे, उसमें कैक्शन रोकने की कोई बात है ही नहीं, समितियों के माध्यम से जो प्रस्ताव बनते हैं, योजना का निर्माण किया जाता है उसी के हिसाब से स्टीमेट बनता है और उस पर बना दिया गया है जो शेष बचे हैं वहां उप समिति और समिति बन जाय, वहां पर पेयजल उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, इस योजना में जो 03 करोड़ 27 लाख रूपया इन्होंने बताया यह तो प्रारम्भिक का है उसके बाद 6.5 करोड़ रूपया जल निगम को एक्सटेंशन लाईन के लिए, 80 लाख रूपया जिला योजना में इस लाईन के लिए, इस योजना में 10.50 करोड़ रूपया खर्चा हुआ है और आपकी सूचना आ रही है 03 करोड़ 27 लाख की।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह योजना पहले स्वैप के अन्तर्गत सेंक्शन की गयी है, इसके पुनर्गठन का प्रस्ताव अलग है जो माननीय सदस्य जी ने बात की है उसके हिसाब से अलग है लेकिन जो योजना का आपने पूछा है उसका जवाब यही बनता है और यही दिया गया है।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैंने तो पूछा थौड़ी, धुराघाट पेयजल योजना में कितनी धनराशि खर्च हुई है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, लिखा हुआ है, दे दिया जवाब, दे दिया।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, यह तो आपका उत्तर गलत है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आप मुझे लिखकर दीजिए मैं जांच करवा दूँगा। (व्यवधान)

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, इसमें क्या जांच करेंगे? (व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जो आपने पूछा है उसका यह जवाब है। यह योजना स्वैप के अन्तर्गत चयनित की गई है, इसका जवाब ये है। आपका जो प्रश्न है वह यह है कि इसमें और पैसा दिया गया है आपको तो हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमने और पैसा उसमें अवमुक्त किया है। उस पर काम चल रहा है। आपके क्षेत्र में जिन गाँवों में पानी नहीं पहुँच रहा है।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, सात साल से कैसा काम चल रहा है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, हम दो साल की बात कर रहे हैं।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–13 पुकारे जाने पर)

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, अभी माननीय पेयजल मंत्री जी ने बयान दिया कि सभी 70 विधान सभाओं में पेयजल की व्यवस्था सही चल रही है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, सही चल रही है नहीं कहा, यह कहा कि कहीं कमी होगी तो पूरा कर दिया जायेगा।

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बोलता हूँ वह सत्यता के आधार पर बोलता हूँ। मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र लक्सर पूर्णतया खादर क्षेत्र है। उसके अन्तर्गत जितने भी गाँव हैं 90 प्रतिशत, उनमें पीने का पानी दूषित है। अगर दो घंटे पानी रख दिया जाय तो वह पीला हो जाता है। पानी के पीले होने की वजह से पिछले वर्ष चार मौतें मुहम्मदपुर गुजुर गाँव में हो गई थी, जिसके लिए मेरे द्वारा डी0एम0 महोदय को लिखकर दिया गया और माननीय मंत्री जी को भी लिख कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप क्या पूछना चाह रहे हैं?

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहाँ पर बयान दे रहे थे, माननीय मंत्री जी तो बयान देने में माहिर हैं। कभी परीक्षण की बात करते हैं, कभी जाँच की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, मेरा तो निवेदन यह है आपसे कि मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था बिल्कुल दूषित है। वहाँ यह विभिन्न गाँवों में यह कब तक कार्य करेंगे? मान्यवर, जाँच और परीक्षण की बात छोड़ दें। मान्यवर, आपको मंत्रालय मिल ही गया। अब आप कम से कम अपने मंत्रालय का ध्यान दें जिससे जनता के लिए काम करा सकें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री संजय भाई का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी विधान सभा क्षेत्र की समस्या को सदन के पटल पर रखा।

मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी निकट भविष्य में आप जितने भी माननीय सदस्य हैं सबके पास जो दो वर्ष में हमारी सरकार के माध्यम से पेयजल के क्षेत्र में आपकी विधान सभा क्षेत्र में जो काम किये गये उसकी एक बुकलैट मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसके बाद कोई कमी होगी तो उसका भी समाधान किया जायेगा। सरकार पूरे तीन साल है, घबराइये नहीं।

श्री संजय गुप्ता–

मान्यवर, हम बुकलैट का क्या करेंगे?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय सदस्य की जो मंशा है, जो गंदा पानी आ रहा है उसके संबंध में बकायदा हमने निर्देश दिये हैं। उसको बकायदा सैम्पलिंग करके लैबोट्री में दिया जा चुका है, उसका समाधान भविष्य में सरकार करने जा रही है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले बी0जे0पी0 के कार्यकाल में विधायकों को कुछ हैण्डपम्प का कोटा आता था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः–

माननीय चीमा जी, आप इसके लिए अलग से प्रश्न लगाईये। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय चीमा जी, आप बैठ जाये। माननीय शुक्ला जी, कृपा करके आप बैठ जाये, यह गलत बात है।(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा कि पूरे प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था ठीक है और इसमें सारी विधान सभा क्षेत्रों का जिक्र किया तो इसलिए यह प्रश्न पैदा हुआ। (व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया गया था तो उस समय आप बोले नहीं, अब वह प्रश्न चला गया और आपको तो बाद में याद आई है। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि मेरी विधान सभा को छोड़कर प्रदेश की 69 विधान सभा क्षेत्रों में पेयजल में काम हो रहा है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात नोट न की जाय। (घोर व्यवधान के मध्य) माननीय चीमा जी, आप बैठ जायं। माननीय सदस्यों से मेरा एक निवेदन है कि जो सम्बन्धित प्रश्न है उसी पर अनुपूरक प्रश्न पूछें और जिसकी समस्या दूसरे प्रकार की है वह अलग से प्रश्न लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 समाप्त हो चुका है। (व्यवधान के मध्य)

श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्रियों को भी यह निर्देशित करें कि वह उस प्रश्न से बाहर बात न करें। प्रश्न से सम्बन्धित ही बात करें और उससे बाहर अपनी और उपलब्धियां न गिनायें। यदि वे बाहर जायेंगे तो माननीय सदस्य भी बाहर जायेंगे।(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्याः11 पर जवाब आ चुका था। मैंने प्रश्न संख्याः 13 के लिए माननीय सदस्य को खड़ा कर दिया था और माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब दे रहे थे तो फिर प्रश्न संख्याः 11 पर अनावश्यक रुप से माननीय सदस्य खड़े होकर बात कह रहे हैं और जो प्रश्न चल रहा है उसी पर प्रश्न पूछें तो अच्छा रहता है।

*12–श्री माल चन्द–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर अन्तर्गत पेयजल लाईनों की मरम्मत के सम्बन्ध में

*13–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत पुरानी पेयजल लाईनों को बदलने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है?

यदि हाँ, तो क्या पुरानी लाईनों को बदलने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

प्रदेश में स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ ग्रामवासियों को मानक के अनुरुप पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती है वहाँ ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति बनाकर योजना का निर्माण अथवा सुदृढ़ीकरण/मरम्मत/पुनर्गठन कार्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाते हैं, जिसका अनुमोदन जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाता है तथा योजना का निर्माण एवं अनुरक्षण सम्बन्धित उपसमिति के द्वारा किया जाता है। सम्बन्धित उपसमितियों के माध्यम से पुरानी लाईनों को बदलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्भव है।

उपसमिति के प्रस्ताव पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अनुमोदन के उपरान्त धन उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये लाईन कब से खराब हैं और इन्हें बदलने की मांग कब की गयी थी? मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि लाईन बदलने की कार्यवाही की मांग की जा रही है तो कहा जी हां, तो उपरोक्त पेयजल लाईन का प्रस्ताव किस तारीख को भेजा गया, यह मेरा प्रश्न है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी का जो प्रश्न है उसके जवाब में सीधी बात यह है कि स्वैप के अन्तर्गत जो समितियों के माध्यम से योजनाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव आता है, उसके बाद ही उसपर काम होता है, आपने पूछा कि कब से शुरू हुआ तो जैसे-जैसे राज्य में योजना बनी, पहले तो राज्य में एल0एस0जी0डी0 था, जब उत्तर प्रदेश में थे तो उस समय पेयजल योजनाओं के निर्माण के लिए एल0एस0जी0डी0 का निर्माण किया गया था, उसके बाद मर्ज की गई और फिर जल निगम और जल संस्थान का गठन किया गया, जब हमारा राज्य अलग बना तो उसके पहले उत्तर प्रदेश में ही अखिल भारतीय स्तर पर केन्द्र सरकार ने और वर्ष 2002 में जब श्री तिवारी जी की सरकार थी तो उस समय यह प्रस्ताव केन्द्र के माध्यम से आया कि स्वैप के माध्यम से प्रदेश में पेयजल योजनाओं की मरम्मत का कार्य किया जाए, उसपर सरकार ने एक्पेक्ट किया, सदन ने उसकी अनुमति दी और उसके पास केन्द्र सरकार में वह प्रस्ताव गया और वहाँ से स्वैप का अनुमोदन होकरके आया, आज पूरे प्रदेश में जो निर्माण योजनायें हैं, जो योजनायें बनीं हैं, उसका बाकायता जहाँ-जहाँ से प्रस्ताव आ रहा है, वह योजना आज से 30 साल से पहले की बनी है, कोई योजना आज से 50 साल पहले की बनी है, जहाँ-जहाँ से पुनर्गठन के प्रस्ताव माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं, उनके प्रस्तावों पर सरकार की तरफ से कार्यवाही की गई है और उसमें स्वैप के माध्यम से उन योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही तब निश्चित होती है और उसके बाद वहाँ

पर धन आवंटित किया जाता है और उसी के तहत उस ग्राम सभा को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

श्री मदन कौशिक—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने नीति तो बताई यह ठीक बात है कि यह काम करने की नीति है, लेकिन माननीय सदस्य ने अपनी विधानसभा का एक निश्चित प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा में पेयजल लाईनें खराब हैं, आपने स्वीकार किया कि हाँ, खराब हैं, तो माननीय सदस्य ने पूछा कि इसकी शिकायत सरकार को कब मिली और इसका प्रस्ताव कब बना और कब ठीक हो जायेगा? पर्टिकुलर प्रश्न केवल इसी का पूछा है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

मान्यवर, मैंने इसका जवाब दे दिया है कि जब माननीय सदस्य जी की तरफ से कोई प्रस्ताव आया।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा ही नहीं, कोई प्रस्ताव किया नहीं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

मान्यवर, माननीय सदस्य की ओर से जो प्रश्न किया गया है वह यह है कि इनकी विधानसभा के अन्तर्गत जो योजना बनी हैं, पुनर्गठन के सवाल पर आई हैं, आपका सवाल यह है कि वह कब से योजना बनी, उसका जवाब हम दे देंगे, लिखित रूप में दे देंगे, आपको जानकारी भिजवा देंगे।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक पर्टीकुलर प्रश्न पूछा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में काफी समय से मांग की जा रही है कि लाईन खराब है और वह कब से खराब है, तो उन्होंने सरकार की नीति बताई, नीति तो ठीक है, नीति के लिए कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है, लेकिन यह जो लाईन खराब है यह कब से खराब है और सरकार की इसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

मान्यवर, इसी प्रश्न के जवाब में कह चुका हूँ कि जो प्रस्ताव हमारे पास आया।

श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, कौन सा प्रस्ताव आया है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

मान्यवर, माननीय सदस्य की विधानसभा में एक ही योजना नहीं है, बहुत सारी योजना हैं उनकी जानकारी मैं भिजवा दूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, एक निश्चित प्रश्न पूछा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि जो पेयजल की लाईनें हैं वह बहुत पुरानी हैं, 30–40 साल पुरानी हैं, उनके पुनर्गठन पर मंत्रिमण्डल और सरकार में लगातार विचार चल रहा है, जब तक इन पेयजल लाईनों को बदलकर नई लाईनें नहीं डालेंगे, तब तक पानी के चोक होने, पानी के रूकने, उनमें जंग आदि लगने, पानी की लीकेज की समस्या आती है, इस पर हम विचार कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में लाईनों के पुनर्गठन पर कार्य करने जा रहे हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा के अनुरूप मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूँ कि सदन में जो प्रिस्क्राईब प्रश्न पूछा गया है उसके संदर्भ में भी जरूर उल्लेख करना चाहिए, लेकिन इस मामले में माननीय कौशिक जी से कहूँगा कि मूल प्रश्न को गौर से पढ़ें मान्यवर, पार्ट–1, में उन्होंने कहा कि इसको बदलने की मांग की जा रही है, इस पर माननीय मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक रूप में उत्तर दिया कि हां की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि कोई भेद है। माननीय मंत्री जी ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि मांग की जा रही है। मान्यवर, पार्ट–2, में कहा गया कि यदि हां, तो क्या पुरानी लाईनों को बदलने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित है, इस पर भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हां, कार्यवाही गतिमान है। तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि हमारे मंत्री जी कहां पर आउट ऑफ मार्क हैं। आप माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए मैं आपकी वरिष्ठता और गरिष्ठता दोनों का ख्याल कर रहा हूँ, इसी को देखते हुए मुझे लगा कि आपकी बात के बाद इम्प्रेशन यह जा रहा है कि माननीय मंत्री जी, प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो असंदर्भित चीजों का उत्तर दे रहे हैं, जबकि माननीय मंत्री जी ने पूरी तरह से संदर्भित प्रश्न का उत्तर डिटेल में दिया है। माननीय सहदेव जी को उठ करके आप से कहना चाहिए था कि मुझे डिस सर्विस क्यों कर रहे हो। आपने तो यह कह दिया कि आप यह बदलने का काम छोड़ दीजिए और केवल यह बता दीजिए कि कितनी मिली, कब मिली और क्या मिली। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यही तो मैंने पूछा है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, लेकिन यह सवाल तो नहीं है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, पहले पूरा प्रश्न करना चाहिए, जैसा कि इन्दिरा जी ने कहा कि व्यापक रूप से पुरानी लाईनें क्षतिग्रस्त होती हैं और उनकी जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं और माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि हम जो भी लाईनें क्षतिग्रस्त हैं उनकी मरम्मत करेंगे तो आप एक सकारात्मक प्रश्न को अनावश्यक रूप से नकारात्मक क्यों बना रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी एक सकारात्मक सोच है, लेकिन वह जो प्रश्न है वह पर्टिकुलर विधान सभा पर आधारित है। माननीय सदस्य ने यह सवाल किया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित, जो कार्यवाही प्रस्तावित है, प्रस्ताव कब बनकर आया और उस पर कार्य कब से प्रारम्भ हो रहा है? माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक सवाल किया है। आपने तो सरकार की नीति बतायी है, नीति तो बहुत अच्छी है, आप माननीय मंत्री जी का बचाव तो कर रहें हैं, लेकिन माननीय सदस्य की जिज्ञासा को शांत नहीं कर रहे हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कौशिक जी अभी भी बात को घुमा रहे हैं। मान्यवर, आप योजना का नाम बता दो, हम लिखकर आपको जानकारी दे देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, पूरी विधान सभा में जितनी भी योजनाएं पुनर्गठन की श्रेणी में हैं, उनको ठीक करा लिया जायेगा।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

मान्यवर, कब तक ठीक करा दिया जायेगा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, अतिशीघ्र ठीक करा दिया जायेगा।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में श्री भगवती राजकीय इण्टर कॉलेज सराईखेत में अध्यापकों का अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में

*14–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा क्षेत्र के श्री भगवती राजकीय इण्टर कॉलेज सराईखेत में वर्षों से प्रधानाचार्य व मानकानुसार अध्यापकों, प्रवक्ताओं की कमी थी?

क्या मा0 मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि इस कमी को पूरा करने के स्थान पर वहां से 4 महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापकों, प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया?

क्या यह सत्य है कि मा0 मंत्री जी को छात्र हित में स्थानान्तरण ना करने हेतु निवेदन किया गया था?

यदि हाँ, तो उक्त स्थानान्तरण किये जाने के क्या कारण थे?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। वर्तमान में सल्ट विधान सभा क्षेत्र के श्री भगवती राजकीय इण्टर कॉलेज सराईखेत में प्रधानाचार्य, स0अ0एल0टी0 एवं प्रवक्ता के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:–

पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिक्त विषय	रिक्ति की तिथि
प्रधानाचार्य	01	0	01	–	21–08–09
स0अ0एल0टी0	10	08	02	व्यायाम सामान्य	वर्ष 1997 वर्ष 2011
प्रवक्ता	10	04	06	गणित संस्कृत इतिहास अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र समाज शास्त्र	सितम्बर, 2013 सितम्बर, 2013 वर्ष 2007 वर्ष 2011 अगस्त, 2009 वर्ष 2007

इस प्रकार विद्यालय में शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। निकटस्थ विद्यालय रा0इ0का0 कनयुंगाकिचार, अल्मोड़ा के प्रधानाचार्य को उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

जी हाँ, किन्तु उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत रा0इ0का0 सराईखेत अल्मोड़ा से 04 नहीं बल्कि 02 प्रवक्ताओं का अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया तथा पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के पद पर एक शिक्षक को रा0इ0का0 सराईखेत अल्मोड़ा में पदोन्नति कर तैनात किया गया है।

शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही की गयी है।

शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 में निहित प्राविधानानुसार ही उक्त शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो प्रधानाचार्य चार साल से वहां पर नहीं था, उनको कनमुंगाकिचार से वहां भेजा गया है। मान्यवर, जिस विद्यालय का मैंने इसमें जिक्र किया था, उस विद्यालय में पहले से ही 09 अध्यापक कम हैं और कनमुंगाकिचार में आपने प्रधानाचार्य भेजा है जो तीन–तीन दिन दोनों विद्यालयों में रहेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कनमुंगाकिचार में पर्याप्त टीचर थे कि वहां के प्रधानाचार्य को भेजा गया है। मान्यवर, दूसरे प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी का है कि शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड में शिक्षक, विद्यालयी शिक्षक प्रथम नियुक्ति मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि "किन्तु उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 में निहित प्राविधानानुसार अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत रा0इ0का, सराईखेत, अल्मोड़ा से 04 नहीं, बल्कि 02 प्रवक्ताओं का अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया तथा पदोन्नति के फलस्वरूप प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के पद पर एक शिक्षक को रा0इ0का0 सराईखेत, अल्मोड़ा में पदोन्नत कर तैनात किया गया है।" तो जो आपने यह दो स्थानान्तरण किये हैं, वहां पर अध्यापक कम थे, फिर भी आपने 2013 में स्थानान्तरण कर दिये, इसके लिये मैं आपके पास आया भी था। तो मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि जो आप 2013 की नियमावली के आधार पर स्थानान्तरण कर रहे हैं, तो क्या आपने मैदानी क्षेत्रों से भी कुछ स्थानान्तरण पर्वतीय क्षेत्रों में किये हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसके संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि इस समय जो स्थानान्तरण की प्रक्रिया चली है, उसमें तीन कैटेगरी के तहत हुआ है, पहला सुगम–दुर्गम के तहत हुआ है, उसके लिये सरकार ने एक मानक बनाया और उस मानक के हिसाब से जो लोग बहुत समय से एक ही जगह पर जमे हुये थे, उनका अनिवार्य स्थानान्तरण किया गया। दूसरी बात आपने कही तो एडजस्मेंट जिले में किया जा सकता है, परिस्थितियों को देखते हुये। लेकिन जो स्थानान्तरण हुये हैं, वह प्रमोशन के हिसाब से गये हैं, जिनका प्रमोशन किया गया है, उनके पद भी रिक्त हुये हैं, उनको सेवा नियमावली के अन्तर्गत जाना पड़ता है। इस वजह से एडजस्टमेंट की प्रक्रिया की गई, बाकी कोई मंशा नहीं थी।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पहले भी बताया कि उत्तराखण्ड में 9000 पद रिक्त हैं, उसमें अधिकांश पद पर्वतीय क्षेत्रों के हैं। मान्यवर, अकेले अल्मोड़ा जिले में 500 एल0टी0 के पद खाली हैं और 400 प्रवक्ताओं के पद खाली हैं, 11 खण्ड शिक्षा अधिकारियों में से 8 रिक्त हैं। 115 प्रधानाचार्यों में से 88 प्रधानाचार्य के पद रिक्त

हैं, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि जो नियमावली के अनुसार स्थानान्तरण किये गये हैं, क्या उसमें मैदानी क्षेत्रों से भी पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानान्तरण किये गये हैं या पर्वतीय क्षेत्रों को खाली कर दिया गया है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इस बार मैदानी क्षेत्रों से भी पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापक गये हैं, ऐसा नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्रों से ही मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण किया गया है। यह पहली बार हुआ है कि स्थानान्तरण नीति के तहत मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापक भेजे गये हैं।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, यही तो प्रश्न है कि कितने अध्यापकों को मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा गया है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, यह तो ट्रांसफर का एक फिक्स कोटा होता है और 25 प्रतिशत के तहत जो उस कैटेगरी में आते हैं, उनका प्रतिवर्ष के हिसाब से स्थानान्तरण किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी घुमा–फिरा के उत्तर दे रहे हैं, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि कितने अध्यापकों को मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा गया है और कितने अध्यापक पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्र में गये हैं, आप इनकी संख्या बता दें।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह प्रश्न विधान सभा में लगाया है, बाद में जानकारी लेनी होती तो मैं कमरे में जाकर ले लेता।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, स्थानान्तरण की जो सूची है, उसे मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, स्थिति यह है कि पूरे पहाड़ खाली हो गये हैं, वहां पर अंग्रेजी के अध्यापक नहीं हैं, गणित का अध्यापक नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं हैं, 400 सौ से अधिक छात्र वहां पर पढ़ रहे हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह बहुत सही है, हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग की व्यवस्था का सवाल है, शिक्षा विभाग में लगातार स्कूल खुले हैं, लगातार खुल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, इन स्कूलों को खोलने का औचित्य क्या है, जब स्कूलों के लिये आपके पास अध्यापक ही नहीं हैं।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय सदस्य जी, हमारी बात भी सुन लीजिये या फिर आप ही बोल लीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं भाषण सुनने नहीं आया हूँ, मैंने जो प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर मांग रहा हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं भी भाषण नहीं दे रहा हूँ। मान्यवर, जो शिक्षा की व्यवस्था है, विद्यालयों के खुलने से जो पद रिक्तता की बात आई है, उस पर पद भरने की प्रक्रिया गतिमान है। जहां भी पद रिक्त हैं, वहां पर आयोग से आयेंगे, प्रमोशन से आयेंगे और अभी एक स्थानान्तरण की सूची निकली है, उससे भी पद भरने की प्रक्रिया गतिमान है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, प्रक्रिया गतिमान है, यह तो पहले ही आ गया था, सारा स्टाफ यहां पर बैठा है, हमें पता तो चले कि स्थिति क्या है। एक पर्ची आ जाय, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं नकल नहीं करता कि मैं पर्ची देखकर बात करूं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य श्री जीना जी बहुत प्रश्न लगाते हैं, बहुत योग्य भी हैं और पूरी बारीकी भी जानना चाहते हैं। जब ट्रांसफर होता है तो लोग इच्छित स्थान चाहते हैं, जिनको इच्छित स्थान नहीं मिलता, वह बहुत दिनों तक रुके रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। लेकिन इस बार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जो नियम बना था, उस नीति के अनुसार जिनके स्थानान्तरण नहीं हुये और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कई सस्पेंड हो गये और एकाध टर्मिनेट हो गये हैं। मेरा लम्बा जीवन शिक्षा में बीता है, यह पहली बार ऐसा हुआ है। तो शिक्षक के पहुंचने में जो प्रक्रिया है और जो दबाव बनता है कि आप उसी इंस्टीट्यूशन में जांय, उसमें कितना समय लगा, उसकी सही संख्या तो वह नहीं बता पायेंगे। मान्यवर, क्योंकि अभी बहुतों ने ज्वाईन नहीं किया है, ज्वाईन करने का दबाव बन रहा है, सस्पेंड भी किया गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं नहीं जानता कितनों ने ज्वाईन किया, कितनों ने नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, आपने सस्पेंड भी किया है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि इस नियमावली के तहत करे कितने हैं? पर्वतीय क्षेत्र के लिए कितने किये और पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानों के लिए कितने किये हैं ये तो पता होगा? (व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, इसकी सूचना आपको दे दी जायेगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जितना मैं समझी हूँ हमारे सम्मानित सदस्य की जिज्ञासा यह है कि इंस्टीट्यूशन में प्रधानाचार्य और शिक्षक नहीं हैं, यही जिज्ञासा है। प्रमुख रूप से उनके अपने विद्यालय की भी, अन्य साथियों की भी, क्योंकि यह प्रश्न आता रहा है। यह सही है कि शिक्षक और प्रधानाचार्य के बगैर संस्थाएं नहीं हैं। पर्वतीय क्षेत्र में ये कठिनाईयाँ रही हैं, यह भी सही है। उसके निराकरण के लिए ही नियम बनाया गया है, नियम कठोर बना और नीचे के पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को भेजे जाने की कार्यवाही होने लगी तो बहुत तरह की दिक्कतें आयीं, उनका समाधान किया जा रहा है। जब शिक्षकों को यह विश्वास हो गया कि किसी का ट्रांसफर निरस्त नहीं होगा तो धीरे–धीरे वो ज्वाईन कर रहे हैं। इसलिए भी बीच का जो ट्रांजिस्नल पीरियड है, उसका कष्ट हमें और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मैं बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, तुम इम्तिहान ले रहे हो या समाधान कर रहे हो, समाधान की दिशा में आ जाओ।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी की चिंता का जो विषय है, वो हम सब की चिंता का विषय है और उसका समाधान सरकार करने जा रही है। जो आपने सवाल किया कि कितने स्थानान्तरण किये गये अब तक 667 स्थानान्तरण किये जा चुके हैं, निलम्बित 24 हुए हैं। (व्यवधान) जो ट्रांसफर की सूची में आये हैं उनको भेज दिया गया है। (व्यवधान) इसमें एक बात मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा विभाग में अब तक जो व्यवस्था थी, मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग को ट्रांसफर के मामले में उद्योग माना जाता था और यह पहली बार हुआ है हमारी सरकार में, एक अध्यापक बता दें कि किसी से कोई पैसा लिया

गया हो। (व्यवधान) हमारे सभी सम्मानित सदस्य हैं, मंत्रीगण हैं, मैं इस चीज को झेल रहा हूँ अच्छी तरीके से, सब के मन की नहीं हुई है लेकिन जो एक नियम बना, उस नियम के तहत पारदर्शिता से निष्पक्षता से ट्रांसफर किये गये हैं, यह पहली बार हुआ है। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) दूसरी बात कहना चाहता हूँ जो आपने पद रिक्तता की बात की है, उसके कैटेगरी बनी एक्स, वाई, ए से लेकर जेड तक कैटेगरी बनी है। उस कैटेगरी के तहत सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम हो व्यवस्था थी एक्स, वाई का नाम दिया गया और पूरे विस्तार से मान्यवर, आपके माध्यम से सदस्य जी के संज्ञान के लिए पूरी लिस्ट प्रस्तुत कर सकता हूँ कि जो ट्रांसफर किये गये हैं, हमने प्रमोशन किये, ट्रांस्फर किये बहुत सारे ऐसे बैठे हुए थे जो अप्रोच के आधार पर नहीं गये, बाकायदा आपके 980 अध्यापकों में से 832 अध्यापकों ने ज्वाईन किया, कुछ लोगों ने ज्वाईन नहीं किया उस पर हम लोगों ने सख्ती से कार्यवाही की, उनको सस्पेंड किया गया और कईयों को टर्मिनेट की नौबत आ रखी है। पहली बार किसी व्यवस्था को संवारने में मान्यवर, आप लोग सहयोग करिये, यह मेरा सदन से निवेदन है और जहां तक जो डिटेल की बात है, यह कार्यवाही गतिमान है और इसमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, आपका जो प्रश्न है वो है कि मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में कितने ट्रांस्फर हुए और पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी में कितने आये, उसको जोड़ करके माननीय मंत्री जी के कक्ष में आपको मिल जाएंगे, आप ले लीजिए।

विधान सभा क्षेत्र मसूरी अन्तर्गत मसन्दावाला एवं गढ़ी कैन्ट में पेयजल की सुविधा के सम्बन्ध में

*15–श्री गणेश जोशी–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मसन्दावाला एवं गढ़ी कैन्ट में पेयजल की काफी समस्या होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जे0एन0एन0यू0आर0एम0 फेज–2 या अन्य किसी योजना के अन्तर्गत मसन्दावाला एवं गढ़ीकैण्ट में ट्यूबवैल की स्थापना या कोई दीर्घकालीन पेयजल योजना संचालित किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

मसन्दावाला में स्थापित मिनी नलकूप से पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

कैण्ट क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था सम्बन्धित छावनी परिषद् द्वारा की जाती है। छावनी परिषद् कैण्ट बोर्ड देहरादून द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कैण्ट क्षेत्र की जलोत्सारण एवं पेयजल सुविधा हेतु सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन विरचन हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में ₹ 10.00 लाख उपलब्ध कराया गया है। प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, बड़े कष्ट की बात है। आज माननीय नेता सदन भी बैठे हैं, जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जबाब दिया है। मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा है कि क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि मसूरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मसन्दावाला एवं गढ़ी कैन्ट में पेयजल की काफी समस्या होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इसमें माननीय मंत्री जी का जबाब है हाँ, एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि समस्या है, हाँ कह रहे हैं। फिर कह रहे है मसन्दावाला में स्थापित मिनी नलकूप से पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है। जब पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है तो समस्या क्यों है? दूसरा मैंने कहा कि क्या सरकार जे0एन0एन0यू0आर0एम0 फेज–2 या अन्य किसी योजना के अन्तर्गत मसन्दावाला एवं गढ़ीकैण्ट में ट्यूबवैल की स्थापना या कोई दीर्घकालीन पेयजल योजना संचालित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी का जवाब है कि ₹ 10 लाख उपलब्ध कराया गया है कैन्ट बोर्ड द्वारा। प्राक्कलन विरचन की कार्यवाही गतिमान है। आगे कहते हैं प्रश्न नहीं उठता, यदि नहीं तो क्यों? तो कहते हैं प्रश्न नहीं उठता। जब ₹ 10 लाख कैन्ट बोर्ड द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजना के लिए आपको दिया गया है और सरकार की जिम्मेदारी है कि क्षेत्र के लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान करे। इस पर माननीय मंत्री जी का यह जबाब कि प्रश्न नहीं उठता, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार पेयजल की समस्या के प्रति गम्भीर नहीं है। यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप कैन्ट क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान कब तक करेंगे? दूसरा जो ₹ 10 लाख आपको कैन्ट बोर्ड द्वारा दिया गया है ये कब दिया गया था और उस ₹ 10 लाख के सापेक्ष आपने अभी तक क्या कार्यवाही की?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी ने प्रश्न किया है। उसके जबाब में मेरा यह कहना है कि जो आपका मसन्दावाला गाँव है, उसमें बकायदा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। वहाँ पर और जो दिक्कत आ रही है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो आप मेरे संज्ञान में एक बार लाये भी थे उसके लिए बकायदा

मैंने विभाग को निर्देश भी दिये हैं कि जो सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव आया है उस पर आप पूरा डिटेल सर्वे करके स्टीमेट प्रस्तुत करें। दूसरा आपने जो कैन्ट क्षेत्र की व्यवस्था की बात की है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के माध्यम से जो योजना वहाँ पर बन रही है उसमें ₹ 10 लाख कैन्ट क्षेत्र में छावनी परिषद् से मिला है, उसके माध्यम से जो काम किये गये हैं, उसका सर्वेक्षण कार्य हो चुका है। उसके एस0टी0पी0 के स्थलों का चयन हो चुका है। 2014 तक कम्पलीसन की उस योजना के निस्तारण के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसी की जानकारी हमने माननीय सदस्य को दी है और जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को दुरस्त किया जायेगा, यह हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं।

श्री हरवन्स कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ₹ 10 लाख आपको उपलब्ध कराया गया है। प्रेमनगर भी कैन्ट क्षेत्र का हिस्सा है, क्या सीवर लाइन वगैरा का और जो पेयजल की समस्या वहाँ पर है। क्या वहाँ की समस्या को भी देखते हुए वहाँ का भी सर्वे कराया जायेगा या किया गया है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, प्रेमनगर का आपका जो विधान सभा क्षेत्र पड़ता है, ये कैन्ट एरिया में पड़ता है। जो छावनी परिषद का इनकैचमेन्ट एरिया है, उसके अन्तर्गत पानी की व्यवस्था के लिए उन्होंने पैसा दिया है, उसमें इसका भी इनक्लूजेशन होगा। इसी के तहत इस योजना से उस क्षेत्र को भी लाभान्वित किया जायेगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बतायें।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने आपने जवाब में कहा कि जो ₹ 10 लाख दिया गया है वह सिर्फ सीवर के सर्वे के लिए है। मान्यवर, मैंने आपसे पूछा है कि गढ़ी कैन्ट क्षेत्र में ट्यूबवैल की स्थापना करने पर विचार करेंगी? आज पूरे गढ़ी कैन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 25 हजार की आबादी है और वहां पर पेयजल की बहुत गम्भीर समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या गढ़ी कैन्ट क्षेत्र में ट्यूबवैल लगायेंगी और वह कब तक लग जायेगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, पेयजल की समस्या अन्य समास्याओं से भिन्न है। अगर गढ़ी कैन्ट क्षेत्र में ट्यूबवैल की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से वहां पर ट्यूबवैल लगाया जायेगा और वहां की जनता को पानी उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जरूरत होगी और आपने स्वयं स्वीकारा है कि वहां पर पानी की समस्या है। आपने अपने जवाब में स्वीकार है।

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, योजना की बात है। लेकिन ट्यूबवैल की बात आपने अलग से कही है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब उस क्षेत्र में पेयजल की समस्या है और उसके लिए ट्यूबवैल की स्थापना कब तक हो जायेगी?

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

मान्यवर, गढ़ी कैन्ट क्षेत्र में और प्रेमनगर के कुछ एरिया में, एक नलकूप और एक जलाशय का काम प्रस्तावित है और हमने उसके लिए गढ़ी कैन्ट बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र मांगा है। जैसे ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र मिल जायेगा और क्योंकि यह एक बड़ी योजना होगी तो उसके बाद जल निगम को निर्देश दिये जायेंगे कि उस पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, अभी माननीय नेता सदन ने जो जवाब दिया और उन्होंने कहा कि प्रेमनगर क्षेत्र में, जबकि मैं केवल गढ़ीकैन्ट क्षेत्र की बात कह रहा हूँ। (व्यवधान के मध्य)

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

मान्यवर, मैंने गढ़ी कैन्ट और प्रेमनगर दोनों क्षेत्र में कहा है। आप कपूर साहब का जितना सम्मान करते हैं उससे ज्यादा मैं भी सम्मान करता हूँ और मैंने दोनों क्षेत्र कहे हैं।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, गढ़ीकैन्ट क्षेत्र और प्रेमनगर क्षेत्र की आपस की दूरी बहुत अधिक है तो मैं समझता हूँ कि वहां पर एक पेयजल योजना काफी नहीं होगी और दोनों के लिए अलग–अलग योजना बनानी पड़ेगी।

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

मान्यवर, इस सुझाव पर विचार करेंगे और हम उसके लिए भी कैन्ट बोर्ड से बात करेंगे। मान्यवर, आप भी जरा उनसे सम्पर्क करें।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

विधान सभा क्षेत्र धनौल्टी में धर्मस्व विभाग द्वारा मन्दिरों में सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में

1–श्री महावीर सिंह

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में धर्मस्व विभाग को मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटित किया जा रहा है?

नोट:– तारांकित प्रश्न संख्या–15 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

यदि हाँ, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु धन आवंटित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक और किन किन मन्दिरों में?

यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन, संस्कृति, उद्यान मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 को निर्णय लिया गया है कि पर्यटन विकास की योजनाओं से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 25 अप्रैल, 2006 की परिधि में आने वाले मंदिर परिसर/धार्मिक स्थल से इतर अन्य प्रकार के मंदिर परिसर/धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण हेतु धर्मस्व विभाग के स्तर से कार्यवाही की जाय। इस हेतु धर्मस्व विभाग को आवश्यक बजट भी उपलब्ध कराया जाय। ऐसे धार्मिक स्थलों के विकास/सौन्दर्यीकरण/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण हेतु, जो पर्यटन विभाग के शासनादेश, दिनांक 25–04–2006 से आच्छादित न हों, के लिए प्रत्येक विधायक की निधि से अतिरिक्त ₹ 10–10 लाख प्रतिवर्ष का प्राविधान किया जाय।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा भोजनमाताओं के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में

2–श्री भीमलाल आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार भोजनमाताओं के वेतन में वृद्धि करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा भोजनमाताओं हेतु मात्र ₹ 1000.00 प्रतिमाह (कुल 10 माह हेतु) का मानदेय अनुमन्य किया गया है, जिसमें केन्द्र द्वारा 75% एवं राज्य द्वारा 25% वहन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 2–12–2011 द्वारा ₹ 500.00 प्रतिमाह की दर से वृद्धि करते हुये अब प्रतिमाह ₹ 1500.00 मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। बढ़े हुये मानदेय का वहन पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साल में एक बार के लिये ₹ 1000.00 प्रति भोजनमाता की दर से प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करायी जा रही है।

3–श्री अजय टम्टा–

चतुर्थ सोमवार के अतारांकित 02 में स्थानान्तरित।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में

4–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन प्रस्तावित है तथा उनका विवरण एवं स्थिति क्या है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रस्तावित योजनाओं को पुनर्गठन कब तक किया जायेगा?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ। विधान सभा लैन्सडाउन के अन्तर्गत विकास खण्ड नैनीडांडा 05, रिखणीखाल 07 एवं जहरीखाल 06 कुल 18 पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन प्रस्तावित है, जिनमें से नैनीडांडा 02 एवं रिखणीखाल 01 पेयजल योजना का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्राक्कलन गठन की कार्यवाही गतिमान है। शेष 15 योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य गतिमान है।

आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पुनर्गठन किया जाना सम्भव होगा।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में अध्यापकों को सम्बद्ध कर अन्यत्र भेजे जाने के सम्बन्ध में

5–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के सुदूरवर्ती क्षेत्र एवं दैवीय आपदा ग्रस्त क्षेत्र के रा0इ0का0 स्याकोट कर्मी एवं बैदियाकोट के कार्यरत अध्यापक अन्य विद्यालयों में सम्बद्ध हैं?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा शासन स्तर पर उक्त विद्यालयों के अध्यापकों को अन्य विद्यालयों में समायोजन करने का शासनादेश जारी किया गया है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नही, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अपरिहार्य परिस्थितियों में शिक्षकों को कार्य संचालन हेतु भेजा गया है।

जनपद देहरादून में विकास खण्ड विकासनगर के ग्राम–केदारावाला में पेयजल की आपूर्ति हेतु ओवरहैड टैंक के निर्माण के सम्बन्ध में

6–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर के ग्राम केदारावाला में पेयजल नलकूप का बोरिंग कार्य किस वर्ष में पूरा किया गया था?

क्या इस पेयजल नलकूप से क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या इस पेयजल नलकूप के ओवरहैड टैंक का निर्माण हो चुका है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विकासखण्ड विकासनगर के ग्राम केदारावाला में 2007 में पेयजल नलकूप निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था।

जी हाँ।

जी नहीं। ओवरहैड टैंक निर्माण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में पेयजल नलकूपों के सम्बन्ध में

7–श्री नवप्रभात–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में कितने पेयजल नलकूप हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसमें से कितने नलकूपों पर जनरेटर की व्यवस्था है तथा शेष नलकूपों पर जनरेटर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या योजना है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर में 38 पेयजल नलकूप स्थापित है।

उक्त नलकूपों में से केवल 04 नलकूपों पर जनरेटर की व्यवस्था है। शेष नलकूपों में जनरेटर की व्यवस्था बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में मेला समितियों के माध्यम से सांस्कृतिक मेलों, कार्यक्रमों के सम्बन्ध में

8–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हिन्दी साहित्य के प्रथम डी0लिट डा0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल के जन्म स्थान (पैतृक स्थान) ग्राम पाली जहरीखाल जिला पौढ़ी गढ़वाल में स्व0 बड़थ्वाल की स्मृति में कोई कार्यक्रम आयोजित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मेलों/कार्यक्रमों के आयोजन हेतु मेला समितियों को वित्तीय सहायता दिये जाने की योजना संचालित है।

हिन्दी साहित्य के प्रथम डी0लिट डा0 पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल के जन्म स्थान (पैतृक स्थान) ग्राम पाली, जहरीखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल में स्व0 बड़थ्वाल की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किये जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन टिपिन टॉप में स्थित गढ़वाल विकास निगम का पर्यटन आवास गृह (विरासत भवन) में आय–व्यय के विवरण के सम्बन्ध में

9–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन टिपिन टॉप में स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम का पर्यटन आवास गृह (विरासत भवन) लाभ की स्थिति में है?

यदि हाँ, तो इसके पिछले दस सालों की आय–व्यय का विवरण क्या है?

क्या इस पर्यटन आवास गृह (विरासत भवन) को सरकार पी0पी0पी0 मोड पर देने का कोई विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो इसके कारणों का विस्तृत विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम के द्वारा पर्यटक आवास गृह टिपिन टॉप लैन्सडाउन वर्ष 2006 से संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2006–07 से वर्ष 2012–13 तक के आय–व्यय व लाभ/हानि का विवरण निम्नवत है–

धनराशि ₹ में

वर्ष	आय	व्यय	लाभ/हानि
2006–07	1,27,280.57	2,04,470.57	–77,190.57
2007–08	1,59,790.00	1,09,500.15	50,289.85
2008–09	9,35,046.00	3,21,084.00	6,13,961.00
2009–10	22,11,071.00	5,75102.42	16,35,968.58
2010–11	18,24,458.00	12,02,576.00	6,21,882.00
2011–12	16,46,466.00	11,23,637.00	5,62,829.00
2012–13	20,73,952.00	14,50,212.00	6,23,740.00

पर्यटक आवास गृह टिपिन टॉप लैंसडाउन इकाई को पी0पी0पी0 मोड पर देने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खैट एवं पीड़ी पर्वत हेतु पर्यटन योजना के सम्बन्ध में

10—श्री विक्रम सिंह नेगी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खैट एवं पीड़ी पर्वत हेतु पर्यटन की कोई योजना स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो योजना हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत है तथा कब की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत—

जी हाँ।

खैट पीड़ी—1 एवं पीड़ी—2 के अन्तर्गत खैट पर्वत पर अवस्थित दुर्गा मंदिर तक विद्युत संयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2013—14 में ₹ 9.89 लाख की धनराशि स्वीकृत करते हुए ₹ 1.22 लाख की धनराशि विद्युत वितरण खण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 टिहरी को भुगतान की गयी है। उक्त कार्य का विद्युत विभाग द्वारा ₹ 10.84 लाख का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसका तकनीकी परीक्षणोपरान्त वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में स्वीकृत प्रथम चरण की योजना मणभागी सौड़ से सेम नागराजा मंदिर तक सीढ़ी निर्माण के सम्बन्ध में

11—श्री विक्रम सिंह नेगी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत प्रथम चरण की योजना मणभागी सौड़ से सेम नागराजा मंदिर तक सीढ़ी निर्माण कार्य स्वीकृत है?

यदि हाँ, तो निर्माण कार्य हेतु धनराशि निर्गत की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत—

मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत सेम नागराजा मंदिर मुखेम का पर्यटन विकास (प्रथम चरण) हेतु ₹ 0.52 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसके क्रम में

द्वितीय चरण हेतु ₹ 110.10 लाख की डी0पी0आर0 प्राप्त है। डी0पी0आर0 में धर्मशाला, कैन्टीन, शौचालय निर्माण, ट्रैकिंग मार्ग, यात्री शेड आदि कार्यों का प्राविधान किया गया है।

उक्त डी0पी0आर0 के तकनीकी परीक्षणोपरान्त वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल विभाग में कर्मचारियों को वेतन श्रम कानून के अनुसार दिये जाने के सम्बन्ध में

12—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि विभाग द्वारा 2007 से वर्तमान तक जिन 9078 लोगों को ठेकेदारी के आधार पर विभाग में विभिन्न कार्यों हेतु रखा गया है उनके मुख्य नियोक्ता (प्रिंसिपल ईम्पलोयर) उनका विभाग स्वयं हैं?

यदि हाँ, तो क्या सभी कर्मचारियों को वेतन प्रतिमाह समयानुसार चैक द्वारा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं अन्य श्रम कानूनों का पालन करने के उपरान्त दिया जा रहा है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 01 अप्रैल, 2013 से वर्तमान तक सभी कर्मचारियों को दिये जाने वाले चैकों का विवरण, ई0पी0एफ0 और ई0एस0आई0 में जमा अंश दान का विवरण बैंक चलान, फार्म 3ए, 6ए या ई0सी0आर0 सहित देने का कष्ट करेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

पेयजल विभाग के विभिन्न कार्यों हेतु ठेकेदारों/फर्मों के माध्यम से जिन श्रमिकों से कार्य कराया जा रहा है उनके मुख्य नियोक्ता सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र में इण्टर कॉलेज/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में

13—श्री दलीप सिंह रावत—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के कितने इण्टर कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो उसकी अवधि क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडाउन विधान सभा क्षेत्र के इण्टर कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है:–

1. प्रधानाचार्य–25

2. प्रधानाध्यापक–10

जी हाँ।

पदोन्नति प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उप प्रधानाचार्यों के प्रशासनिक पदों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में

14–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शासनादेश संख्या–142/XXIV/116(5) 2008 दिनांक 14 जून, 2011 को जो उप प्रधानाचार्यों के प्रशासनिक पदों के उच्चीकृत के सम्बन्ध में था, को शिक्षा सचिव ने किस आधार पर बदल दिया है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी?

यदि हाँ, तो क्या और इसकी अवधि क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

कोई बदलाव नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

क्योंकि शासनादेश यथावत है। कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र में उ0मा0वि0 असौ (मल्लाकोट) को हाईस्कूल से इण्टर में उच्चीकरण करने के सम्बन्ध में

15–श्री चन्दन राम दास–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र में उ0मा0वि0 असौ (मल्लाकोट) को हाईस्कूल से इण्टर में उच्चीकरण करने हेतु सरकार विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो मानकों में आने के बाद भी अब तक इसे उच्चीकृत नहीं करने का क्या कारण है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

उच्चीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में

16–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा पी0टी0ए0 शिक्षकों की सूचना निदेशालय को ठीक प्रकार से न भेजे जाने के कारण जो शिक्षक मानदेय से वंचित रह गये थे उनका परीक्षण करा लिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या वंचित रह गए शिक्षकों को मानदेय प्रदान किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उनका जिलेवार विवरण देगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

590 पी0टी0ए0 शिक्षकों की सूची में सम्मिलित होने से वंचित 90 पी0टी0ए0 शिक्षकों की जनपदवार संख्या निम्नवत है:–

अल्मोड़ा	33
पौड़ी गढ़वाल	20
देहरादून	16
बागेश्वर	12
टिहरी	04
हरिद्वार	04
नैनीताल	01

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूलों में विषयवार अध्यापकों की स्थिति के सम्बन्ध में

17—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2009 के अन्तर्गत जूनियर हाईस्कूलों में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा विषय के लिए अलग–अलग अध्यापक होने चाहिए?

यदि हाँ, तो क्या प्रदेश के सभी जूनियर हाईस्कूलों में इसका पालन किया जा रहा है?

क्या मंत्री जी जिलेवार वर्तमान स्थिति का विवरण देंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

जी नहीं।

जिलेवार विवरण निम्नवत है:—

जनपद	विषय			
	गणित	विज्ञान	सा0वि0	भाषा
चम्पावत	22	81	128	93
ऊधमसिंह नगर	29	136	198	274
अल्मोड़ा	50	109	222	135
बागेश्वर	24	54	117	89
पिथौरागढ़	220		230	178
चमोली	24	150	232	262
नैनीताल	225		248	317
पौड़ी	38	160	303	252
टिहरी	92	138	324	447
उत्तरकाशी	10	185	292	241
हरिद्वार	80	124	212	196
देहरादून	52	158	205	232
रूद्रप्रयाग	45	65	173	142

पूर्व में सेवायोजित अध्यापकों के विषय संयोजन धारित नहीं करने के कारण जूनियर हाईस्कूलों में विषय संयोजन के अनुरूप पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध नहीं हैं।

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के सकलाना पट्टी में रा0उ0मा0वि0 दौंक में शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

18–श्री महावीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के सकलाना पट्टी में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दौंक का उच्चीकरण हुआ था?

यदि हाँ, तो उच्चीकरण होने के पश्चात् भी वित्तीय स्वीकृति और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पायी है?

क्या सरकार वित्तीय स्वीकृति एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के सकलाना पट्टी में मंझगांव (सिलवाणी) के जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल तक उच्चीकरण के सम्बन्ध में

19–श्री महावीर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के सकलाना पट्टी में मंझगांव (सिलवाणी) के जूनियर हाईस्कूल से हाईस्कूल तक उच्चीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

मानकानुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

जनपद देहरादून में रा0इ0का0 लांघा के भवन तथा आवास के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

20--श्री नवप्रभात--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में राजकीय इण्टर कॉलेज लांघा के भवन तथा अध्यापक कर्मचारी निवासों के निष्प्रयोज्य हो जाने की जानकारी शासन को प्राप्त हुई है?

यदि हाँ, तो विद्यालय भवन तथा आवास पुनः निर्माण के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

जी हाँ।

स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के रा0इ0का0 थत्यूड़ जौनपुर टिहरी गढ़वाल में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में

21--श्री महावीर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रा0इ0का0 थत्यूड़ जौनपुर टि0ग0 में प्रवक्ता के कितने पद खाली हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि खाली पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है तथा खाली पदों पर नियुक्ति के लिये क्या सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी--

जी हाँ।

विधान क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत रा0इ0का0 थत्यूड़ जौनपुर टि0ग0 में प्रवक्ता के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:--

स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
10	08	02 (इतिहास, भूगोल)

जी हाँ।

वर्तमान में प्रवक्ता के रिक्त पदों को उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2008 में निहित प्राविधानानुसार 50 प्रतिशत सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत स0अ0एल0टी0 वेतनक्रम से पदोन्नति द्वारा लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त भरने का प्राविधान है। 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के 1213 पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया है।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के पुनर्निर्माण करने के सम्बन्ध में

22—श्री चन्द्रशेखर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दौडबसी (फैरोजपुर) व ग्राम औरंगजेबपुर (अमानतगढ़) के राजकीय प्रा0 विद्यालयों के भवनों की छतें जर्जर हालत में हैं तथा वर्षात के समय पानी नीचे टपकता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवनों का पुनः निर्माण करवाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भवन के पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

विभिन्न विद्यालयों में योग विषय हेतु योग प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में

23—श्री भीमलाल आर्य—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार विभिन्न विद्यालयों में योग विषय सृजित होने के बाद भी योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी नहीं। विद्यालयों में पृथक से योग विषय का अध्यापन नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

संगत नियमावली के प्राविधानानुसार स0अ0एल0टी0 वेतनक्रम में शारीरिक शिक्षक नियुक्त किये जाने का प्राविधान है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स0अ0एल0टी0 वेतनक्रम में शारीरिक शिक्षक पूर्ण से ही कार्यरत् हैं, और इनके द्वारा शारीरिक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा दी जाती है।

वर्ष 2011–12 तक शिक्षा आचार्य/अनुदेशकों का शिक्षा मित्र के रूप में समायोजन करने के सम्बन्ध में

24–श्री भीमलाल आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार वर्ष 2011–12 तक स्नातक एवं 2000 से संचालित वर्ष 2011–12 तक विभागीय आदेशानुसार बन्द उच्चीकृत ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों के अवशेष स्नातक योग्यताधारी शिक्षा आचार्य/अनुदेशक का शिक्षा मित्र के रूप में समायोजन कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के द्वारा शिक्षकों की अर्हता निर्धारित करने वाली संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) की अधिसूचना दिनांक 23–08–2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29–07–2011 के अनुसार कक्षा–1 से 5 तक शिक्षण करने वाले अध्यापकों की न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें पूर्ण न किये जाने के कारण इन शिक्षा आचार्य/अनुदेशकों को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल रातिरकेठी का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

25–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल रातिरकेठी का उच्चीकरण के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है?

यदि हाँ, तो क्या कोई कार्यवाही चल रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या–306 दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा विद्यालय का उच्चीकरण हो गया है।

जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल नामतीचेटाबगड़ के उच्चीकरण के सम्बन्ध में

26–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल नामतीचेटाबगड़ का उच्चीकरण के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है?

यदि हाँ, तो क्या कोई कार्यवाही चल रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या–306 दिनांक 31 जनवरी, 2014 द्वारा विद्यालय का उच्चीकरण हो गया है।

जनपद बागेश्वर के कौसानी क्षेत्र में चाय बोर्ड/निदेशालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

27–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के कौसानी में निजी क्षेत्र की चाय फैक्ट्री स्थापित है तथा यहां पर व्यापक क्षेत्र में चाय बागान हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार चाय बोर्ड/निदेशालय को कौसानी जनपद बागेश्वर में स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

जी नहीं।

क्योंकि पूर्व से ही मा0 मंत्रिमण्डल के निर्णय के उपरान्त उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थापित है।

जनपद बागेश्वर के गरुड़ कस्बे के आसपास 08 ग्राम पंचायतों के पेयजल हेतु धनराशि का आवंटन

28–श्री ललित फर्स्वाण–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर के गरुड़ कस्बे व आसपास की 8 ग्राम पंचायतों के पेयजल हेतु डी0पी0आर0 का गठन हुआ है?

यदि हाँ, तो इस हेतु धनराशि कब तक आवंटित की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

परीक्षणोपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर धनराशि आवंटन की कार्यवाही हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल के अन्तर्गत मरोड़ा पेयजल योजना के सम्बन्ध में

29–डा0 जीत राम–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल के अन्तर्गत मरोड़ा पेयजल योजना का निर्माण कब किया गया है और यह योजना उत्तराखण्ड जल संस्थान को कब हस्तानान्तरित की गई है तथा इस योजना में कौन कौन से गांव/उपगांव/विद्यालय आदि सम्मिलित हैं और इस योजना के अनुरक्षण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार पर कब–कब कितनी–कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा योजना की अद्यतन स्थिति क्या है?

क्या यह सत्य है कि स्वजल परियोजना के अन्तर्गत भी मरोड़ा पेयजल योजना का पुनः निर्माण नई पाइप लाइन डालकर किया गया है? यदि हाँ, तो पूर्व निर्मित पेयजल योजना के स्थान पर नई पाईप लाइन डालकर स्वजल परियोजना के अन्तर्गत समानान्तर नई पेयजल योजना के निर्माण का औचित्य एवं उद्देश्य क्या है तथा इस समानान्तर पेयजल योजना के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और इस योजना से किन–किन गावों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है?

क्या उत्तराखण्ड जल संस्थान के अनुरक्षण में संचालित मरोड़ा पेयजल योजना का पुनर्निर्माण जल संस्थान की सहमति/संस्तुति पर किया गया है?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मरोड़ा पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 1989 में पूर्ण कर यह वर्ष 1990–91 में उत्तराखण्ड जल संस्थान को हस्तान्तरित की गयी। योजनान्तर्गत ग्राम सरोड़ा, मरोड़ा, बाडियूं एवं तोली गांव सम्मिलित है तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय बाडियूं एवं प्राथमिक विद्यालय मरोड़ा द्वितीय लाभान्वित होते हैं। योजना के अनुरक्षण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार पर वित्तीय वर्ष 2007–08 में ₹ 1.97 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में ₹ 0.26 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्तमान में योजना से सुचारू जलापूर्ति हो रही है।

प्रदेश में मांग आधारित स्वैप पद्धति के अन्तर्गत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जहाँ मानक के अनुरूप पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती है, ग्रामीण पेयजल उपसमिति बनाकर मानक के अनुरूप पेयजल आपूर्ति हेतु योजना का निर्माण कर उपसमिति को हस्तगत कर दी जाती है।

मरोड़ा पेयजल योजना में गठित उपसमिति से मांग प्राप्त होने पर स्वैप पद्धति के अन्तर्गत ₹ 22.49 लाख की योजना तैयार की गयी। योजनान्तर्गत प्रस्तावित समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं। योजना की संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं आई0पी0सी0आर0 बनने के पश्चात् योजना पर व्यय का अन्तिम आंकलन किया जाना सम्भव होगा। इस योजना से वर्तमान में मरोड़ा, सरोड़ा, तौली कोल्टालग्गा एवं बाडियूं ग्रामों को मानकानुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जी हाँ।

रमसा योजना में जनपद बागेश्वर जिले में आउटसोर्सिंग योजना एजेन्सी में चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में

30—श्री चन्दन राम दास—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रमसा योजना में जनपद बागेश्वर जिले में आउटसोर्सिंग एजेंसी में चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है?

क्या एकल फर्म होने के बाद भी किसी एजेंसी को रमसा में आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाने का प्राविधान है?

यदि हाँ, तो नियमावली क्या है?

यदि नहीं, तो नियमानुसार चयन प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने के कारण चयन समिति पर क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जनपद बागेश्वर में रमसा के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग एजेन्सी के चयन हेतु टेण्डर प्रक्रिया अपनायी गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर में टेण्डर के माध्यम से 07 एजेन्सियों द्वारा टेण्डर भरे गये। उक्त में से 02 फर्मों को तकनीकी बिड में सफल पाया गया। तकनीकी बिड में सर्वाधिक तकनीकी अंक प्राप्त करने वाली संस्था का चयन नियमानुसार किया गया।

जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के पर्यटक स्थलों को मानचित्र में दर्शाने के सम्बन्ध में

31—श्री मालचन्द—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत केदारकांठा, चांगशील, मानीरा, पोस्टारा, दुन्दा, देवबन, बौखटिब्बा,

देवराना, सरताल, बरराड़सर, देवक्यारा, जीवड़ाताल, बड़ासुपास, बाल्ली पास, यमुनोत्री पास, हरकीदून पास जो कि उत्तराखण्ड के ही नहीं बल्कि देश भर के पर्यटक स्थल हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थानों को उत्तराखण्ड के पर्यटक मानचित्र में दर्शायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत केदारकांठा, चांगशील, देवबन, देवराना, सरताल, भराड़सरताल, देक्यारा एवं हरकीदून आदि अत्यन्त ही नैसर्गिक सुन्दरता से परिपूर्ण पर्यटक स्थल मौजूद हैं।

महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को उत्तराखण्ड पर्यटक मानचित्र में दर्शाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्थापना हेतु योजना

32–श्री मदन कौशिक–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कौन कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जहां पर अभी तक राजकीय इण्टर कॉलेज नहीं हैं?

क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना हेतु योजना बनायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर में अभी तक राजकीय इण्टर कॉलेज नहीं है।

औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में

33–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में पेयजल की लाईनें नहीं हैं व उन क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करने हेतु हैण्डपम्प स्थापना किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 66 हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से 50 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं तथा शेष पर कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बड़कोट–चोपड़ी पेयजल योजना से ग्राम चोपड़ी तथा दिऊसा की बन्द पड़ी जलापूर्ति के सम्बन्ध में

34–डा0 जीत राम–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बड़कोट–चोपड़ी पेयजल योजना से ग्राम चोपड़ी तथा दिऊसा की जलापूर्ति एक लम्बी अवधि से बन्द है जिसके कारण ग्रामवासियों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है?

यदि हाँ, तो एक लम्बी अवधि तक जलापूर्ति बन्द रहने के कारण क्या हैं तथा इसके प्रति कौन उत्तरदायी है और जलापूर्ति कब तक बहाल की जायेगी?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

लोक निर्माण विभाग द्वारा काँसखेत–बगानीखाल मोटर मार्ग निर्माण के कारण जुलाई, 2013 में बड़कोट चोपड़ी पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित हो गयी थी, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा ही दिसम्बर, 2013 में सुचारू कर दिया गया था। दिनांक 31–01–2014 को पाइप लाइन पुनः क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसे सुचारू करने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है। माह फरवरी, 2014 तक पेयजल आपूर्ति सुचारू होने की पूर्ण सम्भावना है। जलापूर्ति बाधित होने के कारण दिऊसा ग्राम के ग्रामवासी गांव में अधिष्ठापित हैण्डपम्प से एवं चोपड़ी के ग्रामवासी निकटस्त प्राकृतिक स्रोत से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं।

जनपद अल्मोड़ा में विद्यालयों एवं विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या के सम्बन्ध में

35–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा में प्रा0पा0, जू0हा0 विद्यालय, उ0मा0 विद्यालय व इण्टर कॉलेजों में पदों के सापेक्ष प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, अध्यापकों व कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

क्या मंत्री जी सल्ट विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय, इण्टर कॉलेज का पूर्ण विवरण देने का कष्ट करेंगे?

क्या मंत्री जी अवगत हैं कि सृजित पदों के सापेक्ष स्थान रिक्त होने के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है?

यदि हाँ, तो उसके सुधार हेतु सरकार कोई प्रयास कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कॉलेजों में कार्मिकों की संख्या निम्नवत् है:–

माध्यमिक शिक्षा

पद नाम	स्वी0	कार्य0	रिक्त
प्रधानाचार्य	132	40	92
प्रधानाध्यापक	111	73	38
प्रवक्ता	1211	772	439
एल0टी0	2283	1635	648
योग	3737	2520	1217

प्रारम्भिक शिक्षा

पद नाम	स्वी0	कार्य0	रिक्त
प्र0अ0 प्रा0वि0	983	850	133
स0अ0प्रा0वि0	1720	1358	362
प्र0अ0 उ0प्रा0वि0	160	63	97
स0अ0 उ0प्रा0वि0	783	546	237
लिपिक	437	261	176
परिचारक	964	711	183
योग	5047	3789	1188
महायोग	8784	6309	2405

जी हाँ।

माध्यमिक शिक्षा

पद नाम	स्वी0	कार्य0	रिक्त
प्रधानाचार्य	40	10	30
प्रधानाध्यापक	30	20	10
प्रवक्ता	380	239	141
एल0टी0	676	504	172
योग	1126	773	353

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रा0वि0	प्रधानाध्यापक	128
	सहायक अ0	336
	शिक्षा मित्र	89
	योग	553
उच्च प्रा0वि0	प्रधानाध्यापक	8
	सहायक अ0	73
	योग	81
	लिपिक	56
	परिचारक	196
	योग	252
	महायोग	886

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 773 एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 886 अध्यापक स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं। अवशेष रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत अध्यापकों से उनके विषयों के अनुरूप अध्यापन कार्य संचालित किया जा रहा है।

सल्ट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

36–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि शिक्षा मंत्री द्वारा विधायकों से उनके क्षेत्र के क्षतिग्रस्त विद्यालयों की सूची मांगी गई थी?

यदि हाँ, तो क्या दी गई सूची के अनुसार अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु कोई कार्यवाही की गई है?

यदि हाँ, तो विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

जी हाँ।

जी हाँ।

रा0इ0का0 नैनवालपाली में क्षतिग्रस्त कक्षों की दीवार के पुनर्निर्माण हेतु एन0डी0आर0एफ0 अन्तर्गत ₹ 6.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं रा0इ0का0 चिन्तोली व रा0क0इ0का0 भरसोली के क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार के आंगणन क्रमशः ₹ 6.00 लाख व ₹ 4.00 लाख के आंगणन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

सल्ट विधान सभा अन्तर्गत विद्यालयों से शिक्षकों का स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

37—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में वर्ष 2013—14 में वर्तमान तक कितने अध्यापकों, प्रवक्ताओं के स्थानान्तरण सल्ट विधान सभा क्षेत्र से अन्यत्र किया गया?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन स्थानान्तरणों का कारण क्या था और क्या इनके स्थान पर छात्र हित में दूसरे अध्यापकों, प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है?

यदि हाँ, तो विद्यालय इण्टर कॉलेज वार विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी—

जी हाँ।

20 प्रवक्ता एवं 06 सहायक अध्यापक एल0टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया।

जी हाँ।

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के प्राविधानों के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण किए गये। सल्ट विधान सभा क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत अन्यत्र क्षेत्र से 05 सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं 06 प्रवक्ताओं का स्थानान्तरण यहाँ किया गया।

सल्ट विधान सभा क्षेत्र में अन्यत्र से 05 सहायक अध्यापक एल0टी0 एवं 06 प्रवक्ता को अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत् स्थानान्तरित किए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पेयजल योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

38–श्री दलीप सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी पेयजल योजनायें शासन में वित्तीय स्वीकृति हेतु लम्बित है तथा योजनाओं हेतु धन स्वीकृत न होने के क्या कारण है?

क्या सरकार लम्बित योजनाओं हेतु धन स्वीकृत करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

लैन्सडौन विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र पेयजल योजना भैरवगढ़ी ग्राम समूह (पम्पिंग) पेयजल योजना, पुनरीक्षित प्राक्कलन लागत ₹ 4361.67 लाख वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

योजना में सम्मिलित लैंसडाउन छावनी परिषद् की जलापूर्ति हेतु योजना की कुल लागत के सापेक्ष ₹ 2340.36 लाख का वित्त पोषण रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाना है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर ही वित्तीय स्वीकृति दी जानी सम्भव होगी।

उपरोक्तानुसार।

नियम–310 के अन्तर्गत सूचना

आज नियम–310 में एक सूचना प्राप्त हुई है। जो प्रदेश सरकार द्वारा संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित करने के बाद भी उपेक्षा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इस सूचना को नियम–58 में ग्राहयता पर सुन लूँगा।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री माल चन्द्र, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री संजय गुप्ता, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री हरबंस कपूर, श्री चन्दन राम दास, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री संजय गुप्ता, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री हरबन्स कपूर, श्री चन्दन राम दास, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्कर सिंह धामी-

मान्यवर, कृपया सरकार द्वारा उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में जो 10 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराया गया था। उसका लाभ राज्य आंदोलनकारियों को नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को उनकी भावनाओं के अनुरूप इस राज्य द्वारा उनको दिये जाने वाले लाभ के स्थान पर उनके साथ छलावा किया जा रहा है एवं उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी होने के बावजूद भी उनको राज्य के अंतर्गत सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो कि ऐसे अभ्यर्थियों के साथ सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

अतः प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने हेतु मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र लक्सर में ग्राम मखियाली खुर्द से ग्राम मथाना तक सोलानी नदी की सफाई 12-15 वर्षों से न होने के कारण भारी मात्रा में सिल्ट जम जाने से किसानों तथा फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री संजय गुप्ता-

मान्यवर, हरिद्वार जनपद के लक्सर विधान सभा क्षेत्र सोलानी नदी ग्राम मखियाली खुर्द से ग्राम मथाना तक लगभग 12-15 वर्षों से साफ नहीं हुई है, जिसके कारण नदी में भारी सिल्ट जमा है। सिल्ट खेतों के बराबर हो गई, जिसके कारण बरसात के दिनों में आने वाला पानी नदी से बाहर किसानों की फसलों को नष्ट करता हुआ गांवों तथा लक्सर नगर में घुस जाता है। जिससे क्षेत्र के लोगों को हर वर्ष भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जी0एम0एस0 रोड से अनुराग नर्सरी, लवली मार्केट सम्पर्क मार्ग में जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबन्स कपूर-

[मान्यवर, जी0एम0एस0 रोड से अनुराग नर्सरी, लवली मार्केट, चकराता रोड क्षेत्र का मुख्य सम्पर्क मार्ग है। लवली मार्केट और शहीद कपिल थापा द्वार के मध्य इस मार्ग

नोट-[ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण सड़क के बीचों–बीच जलभराव से गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, वर्तमान में पैदल चलना तो दूभर है ही, दो पहिया वाहन पर चलना भी मुश्किल हो गया है। इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों दुपहिया व चार पहिया वाहन गुजरते हैं, समय–समय पर लोक निर्माण विभाग, प्रशासन तथा संबंधित विभागों को अवगत कराने के बावजूद इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कर आपसे निवेदन करता हूँ कि संबंधित विभागों को समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित करने का कष्ट करें।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सरवत करीम अंसारी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपनी नियम–300 की सूचना को पढ़ने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे।)

प्रदेश में विगत 1670 दिनों से आन्दोलनरत एस0एस0बी0 स्वयंसेवकों के समायोजित, रोजगार की मांग के संबंध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 1670 दिनों से एस0एस0बी0 स्वयं सेवक अपने को विभिन्न विभागों में नौकरी/समायोजन के लिए आन्दोलनरत् हैं। तथा समय–समय पर धरना प्रदर्शन कर उग्र आन्दोलन के लिए भी बाध्य है। इनके मामले में यदि जल्दी कोई सकारात्मक समाधान नहीं निकलता तो एस0एस0बी0 स्वयं सेवक किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रदेश में माहौल अच्छा नहीं होगा।

अतः इस जनहित के महत्वपूर्ण मुददे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए, एस0एस0बी0 के स्वयं सेवकों को विभिन्न विभागों में समायोजन की माँग करता हूँ।

जनपद हरिद्वार में विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत आदर्श टिहरी नगर की आन्तरिक सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री यतीश्वरानन्द–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार में विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत आदर्श टिहरी नगर की आन्तरिक सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। बड़े–बड़े गड्ढे होने के कारण लोग आये दिन चोटिल हो रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ, कृपया चर्चा कराने का कष्ट करें।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में स्वीकृत टैक्सी स्टैण्ड एवं बारात घर का निर्माण दो साल से बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट नगर वर्ष 2007 में टैक्सी स्टैण्ड एवं बरातघर स्वीकृत हुआ तीसरी किश्त के रूप में ₹ 28 लाख मिलना था। दो साल से तीसरी किश्त का पैसा न मिलने से निर्माण कार्य दो साल से बन्द है। नगर के व्यापारी निर्माण कार्य अधूरे में बन्द देखकर धरने में बैठे हैं, कोई कार्यवाही न होने से नगर के निवासी आन्दोलित हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद बागेश्वर के जूनियर हाईस्कूल अयारतोली के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के जूनियर हाईस्कूल अयारतोली के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री देवेन्द्र गोस्वामी, निवासी–ग्राम अयारतोली, पो0 बिनखोली, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद बागेश्वर के जूनियर हाईस्कूल गुरना के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के जूनियर हाईस्कूल गुरना के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री कृपाल सिंह नगरकोटी, निवासी–ग्राम गुरना, पो0 गुरना, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद बागेश्वर के शहीद राम सिंह बोरा जूनियर हाईस्कूल भगरतोला के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के शहीद राम सिंह बोरा जूनियर हाईस्कूल भगरतोला के उच्चीकरण एवं प्रान्तीयकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री शिव सिंह बिष्ट, निवासी–ग्राम भगरतोला, पो0 देवनाई, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बागेश्वर के खरई क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के खरई क्षेत्र में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री बंसी लाल, निवासी–ग्राम गटखोला, पो0 छानी, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असों को इण्टर में उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असों को इण्टर में उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री हयात सिंह मेहता, निवासी–ग्राम पाना, पो0 असों, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद बागेश्वर के ग्राम जाठा के काफलीगैर एवं खरेई क्षेत्र में गैस गोदाम खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद बागेश्वर के ग्राम जाठा के काफलीगैर एवं खरेई क्षेत्र में गैस गोदाम खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री बालम सिंह बिष्ट, निवासी–ग्राम जाठा, पो0–काफलीगैर, जनपद–बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नियम–58 की सूचना का उत्तर पूर्णतया गलत एवं सदन को गुमराह किये जाने के संबंध में नियम–65 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, नियम–65 के अन्तर्गत मैंने आज एक विशेषाधिकार हनन की एक सूचना दी है, कल 12–02–2014 को नियम–58 के अन्तर्गत मैंने और माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत जी ने और माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला जी ने, जो क्रमशः दोनों माननीय विधायक कालाढूँगी और किच्छा से हैं। मान्यवर, एक सूचना दी थी और सूचना पर सरकार द्वारा दिये गये कूटरचित वक्तव्य से सदन को गुमराह किये जाने पर, सदन के विशेषाधिकार भंग होने तथा सदन की अवमानना होने की सूचना के सम्बन्ध में, जिक्र किया है। महोदय, दिनांक 12–02–2014 को (व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, इसमें मेरा माननीय नेता प्रतिपक्ष से एक निवेदन है कि विशेषाधिकार हनन के सम्बन्ध में मुझे आज जो नोटिस मिला है, मैंने उसको अभी पढ़ा है। इसमें बिल्कुल एकुरेट सूचना हो, इसलिए आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि इसे सोमवार को लिया जाय, यदि बहुत आवश्यक हो और इसे आज ही लेना हो तो बाद में इस सूचना को लिया जाय। मान्यवर, आपको सही उत्तर मिले इसलिए मैंने इसमें आंकड़े, डिटेल, आपका शासनादेश सब भेजा है। उसका उत्तर आने दें। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)। मेरा इतना माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष–

इसको बाद में ले लिया जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप जैसा कहें, हम इसे बाद में ले लेंगे, परन्तु पहले हमारी बात आ जाय, आप इसको रिजर्व कर दें।

*श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश के पूर्व सैनिकों का मामला है और कल जो उत्तर आया वह एकदम कपोलकल्पित है। वह एकदम सदन को गुमराह करने वाला उत्तर था।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन आपसे है कि सदन का क्या भरोसा बाद में क्या होता है, कैसे होता है, यह तो आप सब जानते हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप भी इसी सदन में रहेंगे और हम भी इसी सदन में रहेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरी बात आ जाने दें, आज रिजर्व कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

महोदय, दिनांक 12–02–2014 को नियम–58 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना जोकि उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था को पत्थरचट्टा फार्म, पन्तनगर की 940.215 एकड़ वन भूमि लीज तथा 482.785 एकड़ कृषि भूमि लीज को समाप्त करने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सरकार के निर्णय के विरुद्ध कार्य स्थगन सूचना मैंने, माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत जी ने और माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला द्वारा सम्मानित सदन के विचारार्थ प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें अवगत कराया गया था कि (1) उत्तराखण्ड सैनिक पुर्नवास संस्था के पत्थरचट्टा, पन्तनगर स्थित कृषि फार्म जिसके लाभ से अपंग हुए सैनिक तथा शहीद सैनिकों के परिजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। (2) कृषि फार्म की लीज, जिसमें 940.215 एकड़ वन भूमि तथा 482.785 एकड़ कृषि भूमि सम्मिलित है, समाप्त करने के निर्णय को सरकार वापस ले तथा लीज का नवीनीकरण किया जाय।

मान्यवर, कार्यस्थगन सूचना का उत्तर देते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि (1) उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था को 1953 में दिये गये कृषि फार्म को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है। (2) यह फार्म निरन्तर बना रहेगा। (3) कृषि फार्म की समाप्त हुई लीज के नवीनीकरण की प्रक्रिया गतिमान है। (4) सरकार का कृषि फार्म की लीज समाप्त कर भूमि खुर्द–बुर्द करने का कोई निर्णय न विचाराधीन है और न ही निर्णय किया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 05 अप्रैल, 2013 को उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि–(1) वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त 50 करोड़ से 100 करोड़ कारपस फण्ड सरकार संस्था हेतु बनायेगी। (2) तत्काल प्रभाव से 940.215 एकड़ भूमि की वन भूमि लीज समाप्त की जाय। (3) फार्म की अतिरिक्त 482.785 एकड़ कृषि भूमि को सरकार भूमिहीनों को या अन्य पुनर्वास के कार्यों में उपयोग कर सकती है।

उक्त निर्णय के पश्चात उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 15 जनवरी, 2014 द्वारा उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय पर कार्यवाही हेतु निर्देश सम्बन्धित विभागों को जारी किया, जिसका पत्र मैंने संलग्न किया है।

इस बात से सिद्ध हो जाता है कि (1) सरकार द्वारा कृषि फार्म को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है। (2) कृषि फार्म की वन भूमि लीज तथा कृषि भूमि लीज समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है। (3) जिसके कारण फार्म की निरंतरता समाप्त हो चुकी है। (4) वन भूमि लीज तथा कृषि भूमि लीज समाप्त होने के पश्चात 1423 एकड़ भूमि को भूमिहीनों तथा पुनर्वास के नाम पर खुर्द–बुर्द करने का निर्णय ले लिया गया है। अतः सरकार के इस कूट रचित वक्तव्य से सदन की अवमानना तो हुई ही है साथ ही सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। अतः नियमावली के नियम 65, 66, 69, 70 के आधार पर कार्यवाही कर संविधान के अनुच्छेद 194 (3) की रक्षा करते हुये कूट रचित वक्तव्य देने पर नियमावली के नियम 75 के अन्तर्गत दण्डित करने का कष्ट करें।" मान्यवर, मैंने यहां पर अपनी एप्लीकेशन बाई शब्द नोट कराई है, हमने यह कहा कि यहां पर जो 1423 एकड़ जमीन है, सरकार इसकी लीज रिन्यू कर दे और हमको ऐसी जानकारी आ रही है कि सरकार इस जमीन को भू माफियाओं को बांट रही है, खुर्द–बुर्द कर रही है। अपनी

मनमर्जी से कर रही है, उसके लिये अण्डर टेबल एग्रीमेण्ट हो रहा है। इसकी लीज आप रिन्यू करें, यह सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, सैनिकों के हितों की रक्षा करें, उनके हितों पर कुठाराघात न करें। जो 1953 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के0एल0 मुंशी जी, जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको तीन जगहों पर किच्छा, उत्तर प्रदेश में अमौसी और एक जगह पर और जमीन दी थी। इससे आज सालाना चार से पांच करोड़ रुपये की आय हो रही थी, जिससे वार विडोज के, उनके आश्रितों के हितों की रक्षा होती है, उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, इंजीनियरिंग, डाक्टरी हो रही थी। सरकार ने कल कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ऐसा कहने के साथ ही, मैंने अपने विशेषाधिकार के नोटिस में वह पत्र भी दिया है, जिसमें 5 अप्रैल को यह निश्चित कर लिया गया कि इस जमीन को खुर्द-बुर्द कर देंगे, जब जमीन लौटेगी तो हम किसी और को वहां पर बसायेंगे, शेष जो भूमि है उसका क्या करेंगे, यह दिया ही नही है। मेरा यह कहना है कि एक वह सरकार थी, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वार के लोगों के लिये यह जमीनें आवंटित करी और एक हमारी यह सरकार है, जो जमीनों की सौदागर हो गई है। पिछली बार भी जब इसे तेल कम्पनियों को दिया जा रहा था, तो भी हमने इस बात को कहा था, सख्त विरोध उस समय हुआ था, उसके बाद वह सौदा रद्द हुआ था। आज फिर जब हमको फिर से भनक लगी कि सरकार इसे किसी को देने की योजना बना रही है, तब यह विशेषाधिकार हनन का मामला यहां पर लाना पड़ा। क्योंकि यह सदन की प्रापर्टी है, सदन में सरकार ने कहा कि हम इसे खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे। उसके दो मिनट बाद ही हमारे पास शासनादेश आ गया, सरकार को सारी चीजों का पता था, यह कूट रचना है, यहां के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी फौजी हैं, भूतपूर्व हों या वर्तमान हों, यह सदन के साथ उनका भी अपमान है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे दो और साथियों ने भी यह नोटिस दी हुई है। उनको भी सुनें और इसको तत्काल प्रभाव से यह जो सेना के लोगों के वैलफेयर के लिये, उनके बच्चों के लिये, उनकी शादी-ब्याह के लिये, उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिये जो इससे पैदावार होती थी, जो सालाना 4 से 5 करोड़ की इनकम देती थी, उस पैसे को हम इनके वैलफेयर पर लगाते थे, उसको पूर्ववत् रखा जाय। यदि नहीं रखा जाता है तो पूरा प्रदेशव्यापी आन्दोलन इसमें होगा और मेरा निवेदन है कि सरकार को नियम 75 के अन्तर्गत दण्डित किया जाय। क्योंकि सरकार ने खुलेआम धोखाधड़ी की है, कूट रचना की है, सब कुछ जानते हुये शासनादेश को छुपाये रखा और वक्तव्य कुछ और ही दिया। शासनादेश को पढ़ने के बाद हमें पता चला कि सरकार ने इसका तो निर्णय भी कर लिया है, इससे अधिक अपमान इस सदन का हो नहीं सकता है और इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस प्रदेश का और कोई नहीं हो सकता है।

श्री राजेश शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, सरकार जिस तरह विशेष रूप से ऊधमसिंह नगर में

जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रही है, उसमें यह सैनिक फार्म ही नहीं है, बल्कि इससे पहले पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन भी, जो सिडकुल के नाम पर ली गई थी। मान्यवर, उस जमीन में भी किस तरीके से बड़े-बड़े बिल्डरों से मिल कर उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम हुआ है। मान्यवर, जो जमीन औने-पौने दामों में बड़े-बड़े बिल्डरों को दी गयी आज उसको ₹ 35 हजार वर्ग मीटर के हिसाब से वही बेच रहे हैं। यह जमीन जो 1423 एकड़ जमीन जिसके बारे में माननीय अजय भट्ट जी ने कहा, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए जो जमीन आवंटित की गयी और उ0प्र0 में 1953 से 60 के बीच स्थापित हुई। एक तत्कालीन गवर्नर के0एम0 मुंशी साहब थे, जिन्होंने महसूस किया कि केन्द्र सरकार ने जो पैसा ₹ 50 लाख दिया जिससे सैनिकों का कल्याण होगा। आदरणीय मुंशी जी ने यह महसूस किया कि उससे निरन्तर सैनिकों का कल्याण नहीं हो सकेगा, यह धनराशि कम होगी। इसीलिए उनके प्रयास से यह फार्म स्थापित हुआ। कहां तो हम इसको आगे बढ़ाते, यहां 5 करोड़ या 6 करोड़ के मुनाफे की बात हो रही है, उस फार्म के प्रबन्धकों ने, जो सैनिक फार्म के लोग हैं, उन्होंने सरकार से लगातार कहा कि इसमें हमको पापुलर लगाने की अनुमति मिल जाय और हम पापुलर के बीच में इंटरक्रापिंग करें तो ₹ 16-17 करोड़ तक कमा कर दे सकते हैं सैनिकों के कल्याण के लिए। वो अनुमति ही नहीं दी गयी मान्यवर, और जानबूझ करके उसकी जो लीज है, उसका नवीनीकरण नहीं होने दिया जा रहा है। बार-बार वहां से मांग की गयी कि इसका नवीनीकरण किया जाय, न तो वन भूमि पर लीज नवीनीकरण की गयी और न ही कृषि भूमि पर की गयी। साफ-साफ कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने कूटरचित बयान यहां दिया सदन के अंदर, पूरे सदन को गुमराह किया है, इस तथ्य को छुपाया कि 05 अप्रैल को बैठक हो गयी, 15 जनवरी को शासनादेश जारी भी हो गया, बधौली जी ने आदेश जारी कर दिया, इसकी लीज खत्म करो। और सरकार कह रही है कि फार्म निरन्तर बना रहेगा, फार्म नहीं तोड़ रहे हैं, फार्म को हम खुर्द-बुर्द नहीं कर रहे हैं, यह सरासर इस प्रदेश के पूर्व सैनिक परिवारों के साथ, शहीदों के साथ जो देश की सीमाओं पर लड़ते हैं, उन परिवारों के साथ, उनकी विधवाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। मान्यवर, 84 अरब की संपत्ति के बदले में 100 या 50 करोड़ की बात हो रही है और उसको लूटने की बात हो रही है। मान्यवर, मैं बल देता हूं जो हमारे माननीय अजय भट्ट जी ने कहा है कि नियम-75 के तहत इस सरकार को दंडित करने का काम करें, और जिन्होंने इसमें गलत गुमराह किया है उनको निश्चित रूप से दंडित करने का काम करें मान्यवर, यही निवेदन है।

*श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, अभी किच्छा में स्थित पत्थरपट्टा सैनिकों के फार्म पर जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष और हमारे सहयोगी विधायक राजेश शुक्ला जी ने जो बात अपनी रखी है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं आपसे कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक अति लोक महत्व का प्रश्न है, सैनिकों के पुर्नवास, वृद्ध सैनिक, विकलांग सैनिक, विधवाओं के पालन–पोषण का कार्य जिस सैनिक फार्म से होता है, उस फार्म को खुर्द–बुर्द करने की सरकार की नीयत है और यह आज नहीं पिछले 01 वर्ष से इस पर चर्चा हो रही है, स्थान–स्थान पर सैनिक हमको मिले, सैनिकों के नेता हमको मिले और उन्होंने इस पर चर्चा की कि हमारे सैनिक फार्म को बेचा जा रहा है। प्रारम्भ में हमने विश्वास नहीं किया और विश्वास करने योग्य बात थी ही नहीं। एक तरफ एक व्यक्ति जो यह मान कर कि 50 लाख से सैनिकों का हमेशा हित नहीं हो सकता, उसके एवज में ऐसे बड़े–बड़े तीन फार्म सैनिकों के लिए उपलब्ध कराता है और दूसरी तरफ यह सरकार उस सैनिक फार्म पर नजर गड़ाये हुए है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार की नजर दो साल से खराब चल रही है। ये जहां देखती है खाली भूमि (व्यवधान) ठीक हुई होती तो कल गलत जवाद न दिया होता, वो तो अचानक राजेश शुक्ला जी को बाहर से फैक्स आ गया और जिसमें अधिकारी द्वारा यह कहा गया था कि इसको खुर्द–बुर्द कर दिया जाय, तब इनकी बोलती बंद हुई, वरना बहुत बोलने लग गये थे, बड़ी वाहवाही लूटने लग गये थे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ पिछले दो वर्ष से जहां यह देखते हैं कोई खाली भू–भाग पड़ा हुआ है, इनकी नजर पड़ जाती है, कोई न कोई बहाना करके उसको घेरने का प्रयास इस सरकार में हो रहा है। इस प्रदेश की जो उपयोगी जमीन है, जिसको जनता के हितों में लाया जा सकता है, घुमा–फिरा करके अपने चहेतों को दे रही है, कि उसको बड़े दामों में बेचा जा सके। सिडकुल की भूमि जो इन्होंने अधिगृहित की, इतनी उपयोगी भूमि, इतनी उपजाऊ भूमि, जिसको कौड़ियों के भाव खरीदा और आज वह 35 हजार, 36 हजार वर्ग मीटर के हिसाब से बेची जा रही है। मान्यवर, यह सैनिकों की हितों की रक्षा का प्रश्न है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष और राजेश जी ने अपनी बात को रखा है निश्चित रूप से इस जमीन की रक्षा की जाये। जो अरबों, खरबों की जमीन है उसको सस्ते दामों में अपनों को देकर बंदरबाट करने की सरकार की जो नजर है, उस पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाये और नियम–75 के तहत इस सरकार पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, ऐसा मेरा आपसे विनम्र निवेदन है।

*मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, विशेषाधिकार सदन का संविधान द्वारा प्रदत्त एक महत्वपूर्ण अधिकार है। मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यगणों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार इस अधिकार का पूरी तरीके से सम्मान करेगी और करती है। सूचनाओं को देने में कभी थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बन सकती है क्योंकि आकड़े, बड़े–बड़े इकोनोमिक्स ने भी कहा है कि हमेशा बड़े डिसऐक्टिव होते हैं। जो उनकी रीडिंग और अन्डरस्टैन्डिंग होती है, वह भी अपने आप में कभी भ्रमित कर देती है। जहाँ तक यहाँ पर दिये गये वक्तव्य का सवाल है, वह सरकार का इरादा है, वह सरकार की घोषणा है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और शासन तंत्र का दायित्व है कि सदन के पटल पर माननीय मंत्री द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी बात कही जाती है उसका वह न केवल सम्मान करें बल्कि अक्षरशः पालन भी करें। इस विषय में भी मैं स्पष्टतः कह देना चाहता हूँ कि मेरे सहयोगी ने जो कुछ कहा है हम उससे पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, उसका पालन करेंगे। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि जो सूचना या जो घोषणा सदन के पटल पर की गई उसका उद्देश्य क्या था, यदि उसका उद्देश्य यह था कि माननीय सदस्यों द्वारा विपक्ष की जो बात सदन के संज्ञान में लाई गई है और उसके माध्यम से एक उचित नीतिगत निर्णय लिया जाये तो मैं समझता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि उनकी भावना का इस सदन के पटल पर सम्मान किया गया। अब गवर्मेन्ट के अन्दर अलग–अलग विंग अपने तरीके से भी कुछ काम करते हैं। मुझे गवर्मेन्ट की फंगसनिंग का यहाँ का बहुत अनुभव नहीं है। एक कमेटी उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की मैनेजमेन्ट कमेटी है, जो महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में काम करती है। जिस संदर्भ में यहाँ पर संदर्भित करते हुए विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है, वह महामहिम की अध्यक्षता में माननीय अध्यक्ष जी आहूत बैठक का कार्यवृत्त का अनुपालन है। मैं चाहूँगा मेरे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष जो एक इमीनेन्ट लॉयर भी हैं, वह थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लें।

मान्यवर, कभी–कभी परिस्थितियों का ठीक से आंकलन न करने के कारण, माननीय बंशीधर भगत जी से बेहतर कौन जानता है? जब कैकेई समय पर परिस्थितियों का आंकलन ठीक से नहीं कर पायी तो राम जी को भी वनवास जाना पड़ा। (हंसी)(व्यवधान) और उनके साथ मेरे लक्ष्मण जैसे छोटे भाई श्री राजेश जी को भी वन जाना पड़ सकता है।(व्यवधान) तो यह महामहिम राज्यपाल जी की अध्यक्षता में हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन में लिखा गया पत्र है। जिस पर शासन की मंशा के साथ विपरितता जाहिर की गयी है। मैं जानता हूँ कि कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर का काम महामहिम राज्यपाल को एडवाईज कराना है और वह दायित्व संविधान में महामहिम के माध्यम से कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर ने रखा है और उसको यह दिया गया है। यदि कौन्सिल ऑफ मिनिस्टर यह महसूस करती है कि कोई निर्णय अन्यथा है, वह राज्य के किसी वर्ग के किसी के हित के प्रतिकूल जा रहा है तो महामहिम के पास अपनी बात रख करके उस निर्णय को बदलने के विषय में अनुशंसा करने का अधिकार रखती है। दिस ईज हाउस दि पालियामैंट्री सिस्टम ऑफ गवर्ननेंश फंक्शन्स, तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से यह आग्रह करना चाहूँगा कि अच्छा होता, माननीय अध्यक्ष जी, आप कस्टोडियन हैं यहां के सामूहिक विश्वास के और मान्यवर, दोनों सदनों में यह परम्परा रही है कि महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में यदि कभी कोई बैठक होती है तो हम उनको अपने डिबेट का विषय नहीं बनाते हैं जो अच्छी बातें होती हैं और जो मार्गदर्शन होता है उसको हम उद्धृत करते हैं और कहीं कोई कमी रहती है तो हम उसको आलोचना की दृष्टि से देखते हैं तो हम सरकार को रैफर करके कहते हैं कि यह आपकी गलती है। अगर आप हमारी गलती के रूप में कह रहे हैं कि आपने वह सैनिक

फॉर्म, जिसे हम पत्थर चट्टा फार्म के रूप में जानते हैं। आप उसकी जमीन को पूर्व सैनिकों के कल्याण के अलावा कहीं और तरीके से उपयोग में न लायें। यदि यह आपकी बात है तो मैं आपकी सलाह का सम्मान करता हूँ। यदि आप महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय को चर्चा का विषय बना रहे हैं तो मुझे संदेह है कि माननीय अध्यक्ष जी, आप किसी नियम के अन्तर्गत इसको चर्चा के लिए ग्राह्य मानेंगे। मेरी जो थोड़ी बहुत रीडिंग है वह इस बात को कहती है और मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ और इसमें निर्णय क्या लिये गये, इसमें अन्य निर्णयों के अनुसार जो निर्णय हैं वह वन गुजर, गोट खत्ताधारक, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में गोट, खत्ते में रहने वाले और वन गुजर, इनकी अलग तरीके की एक विस्थापन की समस्या है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आपका दिल उन वन गुजरों के लिए धड़कता है और यदि वह नहीं भी धड़कता हो तो माननीय यतीश्वरानन्द जी, आपके दिल में धड़कन पैदा कर देंगे। क्योंकि उनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वन गुजर रहते हैं। मैं समझता हूँ कि यहां पर बहुत सारे सदस्य होंगे जो खत्ते, गोट आदि-आदि की समस्याओं के लिए वर्षों तक लड़ते रहते होंगे जैसे माननीय हरीश दुर्गापाल जी हैं और मुझ जैसे सेवक वर्षों तक अपनी आवाज उठाते रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे हैं और यह प्रश्न आया है, इसमें मैं बहुत स्पष्टः कहना चाहता हूँ।

मान्यवर, पूर्व सैनिकों का हित हमारे लिए अपरिहार्य है, सर्वोच्च प्राथमिकता है, हम उसका निस्तारण करेंगे और जो आश्वासन माननीय सदन को दिया गया है, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है कि आप जहाँ जमीन देख रहे हैं उसकी खरीद-फरोख्त रद्द करें, तो कहीं कोई खरीद-फरोख्त नहीं हुई है और कहीं यदि संदेहास्पद तरीके से कुछ खरीद-फरोख्त की बातें आयेंगी तो मैं यथोचित कार्यवाही करूँगा और जो भूमि है, सरकारी भूमि निकले, नजूल की भूमि निकले, कहीं और से जमीन निकले तो उनके निस्तारण के विषय में, उनको किस तरीके से उपयोग में लाना है, हमको बहुत सारी जमीनों की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी जो लार्जर पब्लिक इन्ट्रेस्ट की चीजें हैं उनके लिए हम उपयोग कर सकें, हरिद्वार में 12 सौ करोड़ का मेडिकल हॉस्पिटल केवल इसलिए नहीं खोल पा रहे हैं, 4 साल से लगातार मैं आपकी सरकार को भी खटखटाता रहा और अपनी सरकार को भी खटखटाता रहा क्योंकि जमीन नहीं मिल पाई है। गन्ना किसानों के हित के लिए हमको जमीन चाहिए, बड़ा चैक चाहिए, जिसमें हम गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो आई0सी0आर0 ने हमारे लिए स्वीकृत कर रखा है, इसका ₹ 37 करोड़ पड़ा हुआ है, इसको ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना से बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ले जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए जमीनें नहीं मिल पा रही हैं, तो ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके लिए जमीन नहीं मिल पा रही है, फिर मंगलदेव विशारद कमेटी उत्तर प्रदेश में बैठी थी, जिसने विस्तार से कुछ बातें कही थीं कि ऐसी भूमि का कैसे आवंटन होगा, उस जमीनों पर अधिकार है और उसके बाद सरकारी काम के लिए जो अनिवार्य है, यहाँ के डेवलेपमेण्ट के लिए, उसके बाद भूमिहीन एस0सी0, दलित भाईयों के अधिकारों की

हम सुरक्षा करेंगे, फिर हमारे विस्थापित होने वाले लोग, जो डैम आदि बनने से विस्थापित हुये हैं, हमें उनके लिए भी कुछ रखना है, हमारा दायित्व उनके लिये भी है, जो दैवीय आपदा से पीड़ित हैं उनके लिए भी हमारा दायित्व है, भूमि बैंक बनाने का निर्णय मेरे प्रेडीसेसर ने लिया था मैं उसी का अनुसरण करूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह विस्तृत जानकारी आपके सम्मुख इसलिए रखी, यह एक कार्यवृत्त, जो उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था की मैनेजमेण्ट कमेटी की 5 अप्रैल को सम्पन्न हुई बैठक का है, इसलिए इसके निर्णय को सरकार के निर्णय के रूप में कह करके कि सरकार मिस्लीड कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि माननीय नेता विपक्ष सहमत होंगे कि वे अपने को अपने को भी तथ्यों के आधार पर मिस्लीड कर रहे हैं, इसलिए यह विशेषाधिकार का प्रस्ताव अमानवीय है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने बहुत सफाई से और बहुत मीठे तरीके से यह प्रयास किया है कि ये अवमानना का मामला नहीं बनता है और यह भी कहा कि यह शासनादेश नहीं है, तो मैं उनको साफ बताना चाहता हूँ कि इसकी शासनादेश संख्या 20(1)/एक्स–2–2013–21(16)/2013 है, तो यह शासनादेश ही है, मैं पहली बात बताना चाहता हूँ आप चाहे कुछ भी कह लें, अब बात रही कि महामहिम राज्यपाल महोदय को मैंने कोई यहाँ पर प्रश्नगत किया, मैं समझता हूँ कि अपने नोटिस में कहीं भी हमने महामहिम राज्यपाल जी का जिक्र नहीं किया है, कहीं पर भी नहीं किया और जैसा माननीय नेता सदन ने कहा कि आप मिसलीड कर रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष पर बहुत है और आप पर भी बहुत है, जिस तरीके से आप अच्छे काम करेंगे तो प्रदेश की जनता आपको सराहेगी, अगर इसी तरह के काम होने लग जायेंगे, तो कोपभाजन आपको भी बनना पड़ेगा, इसलिए मैंने माननीय नेता सदन की किसी बात में कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, 2–3 बातें मैंने कही हैं, माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में यह बैठक जरूर हुई है और वह 5 तारीख को हुई है।

मान्यवर, उसके बाद 15 तारीख को जो पत्र आया है, उसमें महामहिम राज्यपाल कहीं पर नहीं हैं। इसको अच्छी तरह से माननीय नेता सदन पढ़ेंगे। मान्यवर, कहीं भी दुबारा राज्यपाल नहीं आये, एक बात उन्होंने कही। महामहिम इसके अध्यक्ष क्यों होते हैं। मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश पोस्ट वार सर्विस रिकंसट्रक्शन फण्ड द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त पूर्व सैनिक के पुनर्वास के लिए बनाया गया, जिसमें केन्द्र सरकार ने 50 लाख की धनराशि दी, इसका बकायदा, एक एक्ट बना हुआ है। मैं माननीय नेता सदन को इसका एक्ट भी भेज दूंगा। मैं समझता हूँ कि उनके पास यह एक्ट आ गया होगा, यह कैसे बना है। मान्यवर, जब यह बनाया गया तो 1953 में जो के0एम0 मुंशी तत्कालीन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, उन्होंने कहा कि इस तरह से तो पूर्व सैनिकों के पुनर्वास और उनको जो सुविधाएं देने का काम है, राहत देने का

काम है, वह हो नहीं पायेगा। तो बड़ी कृपा करके उन्होंने तीन जगहों पर सैनिक फार्म के रूप में जमीन एलॉट की। सैनिक फार्म अमौसी, अटारी और पत्थरचट्टा, ये तीनों फार्म उत्तर प्रदेश ने दिये हैं। जब हमारा उत्तर प्रदेश से सम्बन्ध विच्छेद हुआ तो फिर हमने उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था के नाम से अभी हमने 2003 में अपनी पृथक सी संस्था बना ली। मान्यवर, इसमें जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसमें मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सरकार को यह भी बताना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन, इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य हैं सचिव, सैनिक कल्याण उत्तराखण्ड शासन और एक नामित सदस्य हैं पूर्व सैनिक अधिकारी।

मान्यवर, जब एग्जीक्यूटिव कमेटी में उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव हों तो उसके बाद जो यह बैठक ली गयी है और उस बैठक का निर्णय यहां पर कह रहे हों कि जो पांच तारीख को मैनेजमेंट कमेटी की बैठक महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई है, उस पर क्या कार्यवाही हुई, आपने अभी तक वन भूमि को क्यों नहीं लिया है। क्यों नहीं खुर्द–बुर्द किया है, आपने पजेशन में कृषि को क्यों नहीं लिया, वन भूमि को क्यों नहीं लिया। मान्यवर, इसमें एक से लेकर सात बिन्दु दिये गये हैं। मैं यहां पर महामहिम राज्यपाल जी को कोई प्रश्नगत यहां पर नहीं कर रहा हूँ। यह तो उनके बारे में जो बैठक ली गयी है, उस दिन कमेटी की उनकी अध्यक्षता में जो कार्यवाही हुई थी, उस पर अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई और यह बैठक हुई है 15 जनवरी, 2014 को। इसमें कहा गया है कि आपने 5 तारीख की बैठक की कार्यवाही पर क्या कार्य किया है अभी तक। प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड को लिखा है, इसके जो पत्र के प्रेषक अपर सचिव हैं उन्होंने लिखा है कि आप वन भूमि हस्तांतरण, फॉरेस्ट कॉलोनी इन्दिरा नगर, अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी को शासन के अपर सचिव का पत्र गया है, जो आई0ए0एस0 अफसर होते हैं उन्होंने कहा है अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण अधिकारी, कि आपने अभी तक हस्तांतरित क्यों नहीं की। मान्यवर, अगर नेता सदन जैसा कहते हैं कि हमने कोई गलत बात रखी है हमको कोई जानकारी नहीं है, इसको खाली एक कार्यवृत्त बताते हैं तो चलिये, हम आपकी बात को मानते हुए इसे कार्यवृत्त ही मान लेते हैं, प्रदेश का भला करने तो आप भी आये हैं और इस प्रदेश का भला करना हम भी चाहते हैं। मान्यवर, मैं एक–एक चीज के लिए बार–बार कहता हूँ कि चाहे हम ही गलत हो जांय, तो हम चाहते हैं कि हमें भी सही राह पर लाने के लिए आप भी बार–बार सचेत करें। हमने एक सजग प्रहरी होने का जो दायित्व लिया है और जो निश्चय किया है और ईश्वर को हाजिर–नाजिर मानकर यह शपथ ली है कि चाहे कोई भी मामला हमारे संदर्भ में आयेगा, चाहे मेरे सगे भाई को, मेरे घर का, परिवार से सम्बन्धित लोगों का होगा, यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि हम उसको प्रदेश के लार्जर इंट्रेस्ट में, "लार्जर इंट्रेस्ट ऑफ दिस स्टेट" हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे परिणाम कुछ भी हों। मान्यवर, एक साल पहले हमने कई बार आगाह किया इसी सदन में, लोगों ने उसे नहीं माना, चलते रहे और विपक्ष को कोई तवज्जो भी नहीं दी।

जो बात हम उठाते थे, उसको हल्के–फुल्के में लिया, कई बार आपकी भी मंशा होती थी कि सरकार इस पर सही से ठीक निर्णय ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नहीं हुआ तो उसका परिणाम नये नेता सदन के रूप में यहां पर आ चुका है। मेरा कहना यह है कि ऐसा सन्देश नहीं जाना चाहिये कि सिर्फ चेहरा बदला है, यह पूरे प्रदेश में मैसेज जाना चाहिये कि नये नेता सदन आये हैं और प्रदेश में नई आस जगी है। अजय भट्ट, नेता प्रतिपक्ष और हमारे सारे 30 विधायकों ने कोई बात उठाई है और अपेक्षा करते हैं हम सरकार से, कि इसकी रक्षा कीजिये। वह कैसी सरकार होगी, जिसने उस समय में सैनिकों के पुनर्वास के लिये ₹ 50 लाख रुपये दिये थे, वह कैसे राज्यपाल होंगे, के०एम० मुंशी जी, जिन्होंने इसके लिये इतने बड़े फार्म दिये, जिनसे सालाना 5 करोड़ की आय हो रही है और उससे आज इनके बच्चों के हाईस्कूल, इण्टर, डाक्टरी, इंजीनियरिंग, वायर मैन, वेल्डर, छोटे–छोटे रेडियो मैकेनिक की शिक्षा उनको दी जा रही हो। इस भूमि के बाजार भाव का मैंने माननीय राजेश शुक्ला जी से मूल्यांकन करवाया तो पता चला कि आज इस भूमि का बाजार भाव ₹ 84 अरब है। इस भूमि को ₹ 100 करोड़ के कारपस फंड से, वह तो सरकार इसका समय पर प्रबन्ध नहीं कर पाई, अगर इंतजाम हो गया होता तो शायद यह काम हो गया होता। इस प्रदेश को बचाना होगा, नेता सदन के रूप में दूसरे नेता सदन आये हैं, शायद इसमें उनको कोई पाजिटिव रुख आने वाला होगा, इसलिये यह सारी बातें आज उठी हैं। सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आगे खुर्द–बुर्द नहीं किया जायेगा और यह भूमि उन्हें ही दी जायेगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास यह प्रति आई, इससे हर उस नागरिक के मन में, जिसे उत्तराखण्ड से थोड़ा भी प्रेम होगा, उसको शंका होना और हिल जाना पड़ा। जो यहां पर आज जमीनें बिक रही हैं, जो आज यहां पर हो रहा है, उससे उसके मन में एक हूक उठेगी, वही सच्चे मायने में उत्तराखण्ड का सपूत होगा।

मान्यवर, यह शहीदों की शहादत पर बना हुआ प्रदेश है, अन्य प्रदेशों की तरह से नहीं बना है, रक्त–रंजित हुआ है, कई माताओं–बहनों ने अपने सुहाग खोये हैं और कई बहनों ने अपने भाई खोये हैं। ऐसे प्रदेश में जो भी गद्दारी करेगा, प्रदेश की जमीनों को बिकवायेगा, उसका हश्र ठीक नहीं होगा, वह पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान रहेगा, ऊपर वाला भी उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। नेता सदन ने जो भी कहा, माना यह शासनादेश नहीं है, पत्र तो है, लेकिन बात तो साफ कार्यवृत्त में आ गई है कि क्यों नहीं आपने इस पर कार्यवाही करी, इस जमीन को अपने में समाहित क्यों नहीं किया। गतिमान क्यों नहीं हुई लीज, रिन्यूवल क्यों नहीं दिया गया, तीन साल से लीज रिन्यूवल न होने का क्या कारण है। पिछले साल तेल कम्पनियों को वहां पर बसाने का पूरा का पूरा बन्दोबस्त हो गया था, यही सरकार थी, जो जमीन तेल कम्पनियों को दे रही थी। अगर हम लोग चौकन्ना रहकर नहीं बचाते तो यह नहीं बच पाती, चीनी मिलों को देने का डिसीजन सरकार ने ले लिया था, अगर हम नहीं बचाते तो नहीं बचता। औली, जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, को पी०पी०पी० मोड में देने का निर्णय कर लिया था। बर्फ में मैं अपने साथियों को लेकर वहां पर गया, वहां पर लोगों को अवेयर किया, आज मैंने

सुना है कि वह पी0पी0पी0 मोड आज कैंसिल हो गया है। लोगों ने इस प्रदेश को जोड़ा है, बनाया–बसाया है, अगर हम उनको खुर्द–बुर्द करेंगे, तो हमको हमारी आने वाली पीढ़ी भी माफ नहीं करेगी और भगवान भी माफ नहीं करेगा। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, आपका उद्देश्य भी सही है, आप इसको शासनादेश मत समझिये, साधारण पत्र समझिये। (हँसी) नेता सदन से। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने कई बार उधर को नेता प्रतिपक्ष बोल दिया और इधर नेता सदन आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बार–बार यह बातें आ रही हैं। मेरा कहना यह है कि हमारा लक्ष्य कानून और पत्र पर उलझने का नहीं है।

मान्यवर, हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि उत्तराखण्ड के हितों का संरक्षण कैसे करें, हम इसको कैसे बचायें। नेता सदन यहां बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन में हमारे एक्स आर्मी के लोगों की स्थिति को देखते हुए आज जगह–जगह एक्स आर्मी के लोग धरने पर बैठे हैं। ऊधमसिंह नगर में कल भी बैठे थे। आज पूरे प्रदेश की जनता को यह मैसेज जाना चाहिए, विपक्ष ने जो बात उठायी, सरकार ने उसको गंभीरता से लिया और हमारे एक्स आर्मी, जो फौजी लोग हैं, उनके पक्ष में कहा कि उनकी जमीन खुर्द–बुर्द नहीं होगी। जैसे वो पहले से काम कर रहे थे, वैसे करते रहें, पुनर्वास हों चाहे उनके वेलफेयर के काम हों, वो वैसे ही चलते रहेंगे, यह आश्वासन आज सदन में नेता प्रतिपक्ष दें, तभी मैं अपने नोटिस को वापस लूँगा। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, जहां इतना सहृदय विपक्ष हो तो मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष के लिए फिर नियमों का, रूल्स, रेग्यूलेशन्स और चीजों का सहारा लेना उचित नहीं है। सवाल का निर्धारण इस बात से होना चाहिए कि हमारी कलेक्टिव मंशा क्या है, सामूहिक मंशा क्या और वो सामूहिक मंशा को माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने सम्बोधन को कन्क्लूड करते हुए किया, मगर मैं एक बार और फिर उनके संज्ञान में डाल रहा हूँ इसलिए डाल रहा हूँ कि इसमें जो ये सारा प्रश्नगत मामला उठा है, मुझे लगता है, मैंने तो आपसे ही जो कागज मेरे पास आया है नोटिस के रूप में, उसके ही क्षणिक अध्ययन से मैंने जो अंदाज निकाला है कि कुछ ऐसे जूस थे जो जूस वो नहीं दे रहे थे और इसलिए उसके लिए जो कमेटी बनी हुई है, जो राज्य में सबसे उच्चतम स्तर की कमेटी है, उस कमेटी का निर्णय है और उस निर्णय में भी जिसको शासनादेश कहा जा रहा है देश–दुनिया में कोई ऐसा शासनादेश नहीं होता जो ये कहे कि वो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कई चीजों को वेव करे। बिना किसी चीज की क्लीयरिटी के, चीजों के, कोई शासनादेश लागू नहीं होता है और यह एक अर्ध शासकीय पत्र है इसके अनुपालन में जो सचिव का उप सचिव का, उस सचिव का दायित्व था, उस सचिव ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। देखिये, ऑफिसर्स को भी, यहां पर वो आ नहीं सकते, उनको डिफेंड करना, मेरा कर्तव्य है। मैं यह कहना चाहूँगा कि उनके साथ कोई मैलाफाईडी इन्टेंशन नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने केवल अपने कर्तव्य का अनुपालन किया है और उसका

अनुपालन करते हुए भी उन्होंने कहा है कि इसमें जो भी अग्रेत्तर कार्यवाही होनी है, उसके लिए अपनी आख्या और प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध करवायें। तो आख्या कभी भी शासनादेश के जरिये नहीं मांगी जाती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको किसी को मिसलीड करने और लीड करने की भावना से मत देखिये। ऐसा नहीं है कि उस कमेटी ने कोई अपवित्र निर्णय लिया है, वनगूजरों के लिए कहा है, बोर्ड खत्ताधारकों के लिए कहा है ये कहा है जो यह जमीन है वो रिहैब्लीटेशन जो फारेस्ट ड्वैलर्स हैं, उनके लिए लिया जायेगा। जो इन एन अराउन्ड है, भूमिहीन रह रहे हैं, उनके लिए लिया जायेगा। मैं चिंतित हूँ राजेश के लिए कि कहीं यह बात आई कि इन्होंने इसको आधार बनाया है (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

कोई विरोध नहीं कर रहा है मान्यवर, सैनिकों की भूमि थोड़ी दी जायेगी, नई भूमि दिलवाईये ना।

श्री हरीश रावत–

इसलिए मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सदन की भावना, आपकी भावना के साथ फिर से महामहिम के पास जाऊँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि यह कमेटी क्या सदन की भावना को देखते हुए इस पर आद्योपरान्त फिर से विचार करने को तैयार है। सैनिकों का कल्याण भी बना रहे और साथ–साथ जो भावना इस जमीन के उपयोग की व्यक्त की गयी है, उस भावना का भी सम्मान हो सके।

मान्यवर, क्योंकि यदि मैं आज कह दूँगा कि वन गुजरों के लिए भूमि हमारे पास नहीं है तो मैं समझता हूँ हमारी प्रकृति के सबसे मासूम मनुष्य है हमारी धरती का, वह हमारा वन गुजर है, हम उनका दिल नहीं तोड़ेंगे, जो भूमिहीन हैं, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, हम उनका दिल नहीं तोड़ेंगे। यह अलग बात है कि आपकी पार्टी की भूमिहीनों के लिए कभी कोई पॉलिसी नहीं रही।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आज कुछ बदल गई तो अच्छी बात है, अच्छे का अनुसरण करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुग्रह करूँगा कि हमारे इस आश्वासन के बाद माननीय सदस्य को बल्कि मैं नेता विपक्ष को कहूँगा कि वह अपनी सूचना को वापस ले लें, ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने कहा कि यह शासनादेश नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि लास्ट में लिखा है– अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है। निदेश हुआ है यह शासनादेश की भाषा है। नहीं तो होता कि मैं आपको निर्देशित करता हूँ, आप इसको तुरन्त बताईये। मान्यवर, इसको अच्छी तरह से लास्ट में देखें। इसमें स्पष्ट लिखा है कि अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है।

श्री हरीश रावत–

माननीय अजय जी, वह इस कमेटी की तरफ से कह रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं इसीलिए आप को कह रहा हूँ और मैं अधिकारी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ऊपर अपर सचिव और नीचे अनु सचिव, शासनादेश का जो परफार्मा बनता है उसके आधार पर बनाया गया है नहीं तो अपर सचिव का ही होना चाहिए था। मैं इस बात से विनम्रता से सहमत नहीं हूँ। आपने अपनी बात कही और मैंने अपनी बात कही, आप पूछ भी लें, बाद में कोई कैसे बतायेगा, मैं नहीं कह सकता हूँ। परन्तु जहाँ तक बात आपने यह कही कि वन गुजरों को हम बसायेंगे, इसमें इतनी अच्छी बात लिखी है, राजेश के लिए कहीं परेशानी न हो जाये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या हम वन गुजर या किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं? हम वन गुजर ही नहीं, जो 278 लोग आज छत के लिए तड़फ रहे हैं, जिन गाँवों को पुनर्वासित करना है, उन्हें भी बसाइयें। लेकिन जो आर्मी/मिलेट्री की जमीन है, उस जमीन को क्यों लेना चाहते हैं। मान्यवर, कोई नया ढूढिये, सरकार के पास जहाँ पर भी नई जमीन है, कोई खत्ते होंगे, कहीं पर बड़ी संख्या में जमीन के और खसरे होंगे, डाटाज होंगे, उनको ढूढियेगा, हमारा कहाँ विरोध है। आज आपने वन गुजरों को एक चीज दी, इसको आप वन गुजर को देंगे। कल को कोई और बात आयेगी और कहेंगे वन गुजर आप हट जाओ तीसरे आ जायेंगे। एक चीज जो इतने लम्बे समय से दी हुई है। मेरा आपसे माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन है कि वन गुजरों को नई श्रेणी से बसाने के लिए नई जमीन ढूढ़ने के लिए कोई कमेटी बनाये, सरकार ढूढवाये, वन विभाग के कर्मचारी होंगे, वन विभाग के आपके चीफ होंगे उनको तत्काल प्रभाव से वन गुजर और जिनको बसाया जाना है उसके लिए आज टाईम बाउण्ड कर दें। हम दावे के साथ कहते हैं, आप उनको 15 दिन में बसा दें कोई एतराज नहीं। परन्तु सैनिकों की जमीन को हटा कर, कितनों को बसा रहे हैं आप 300 एकड़ में बसायेंगे। लेकिन शेष जमीन का आप क्या करेंगे। ये तो 15 सौ एकड़ है। आप तो 3 सौ एकड़ में वन गुजरों को बसायेंगे बाकी का आप क्या करेंगे। सरकार की मंशा में

अभी भी हमको खोट लगता है। दो शब्द का निर्णय आना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। मैं समझता हूँ आपका यह पहला निर्णय जायेगा कि इस जमीन को सैनिकों को ही रहने दिया जाये और वन गुजरों को हम दूसरी जगह जमीन एलॉट करेंगे। मान्यवर, आज आपका यहाँ पर क्लीयर वर्जन आ जाये। उसके बाद जैसा आपका निर्देश होगा हम मानने को तैयार है, हमने अपनी बात कह दी है। गेंद पूरी तरह से शासन के ट्रेजरी बैंच के पाले में है, माननीय नेता सदन जी के पाले में है। मैं समझता हूँ उद्देश्य जैसे आपने कहा चाहे कुछ भी हो, हम दोनों का एक ही है। आपका उद्देश्य बेहतरी करने का है और हमारा उद्देश्य चौकन्ना रहकर चौकीदारी करने का है, आपको राह बताने का है। मान्यवर, मैंने रास्ता बता दिया है, मर्जी आपकी।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन मैं भी करना चाहूँगा क्योंकि माननीय नेता सदन जिनका हम बहुत आदर करते हैं, हम उनके छोटे भाई हैं और हमें चिन्ता है उनका यह निर्णय हो नहीं सकता है क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि नया–नया दायित्व मिला है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उनसे बहुत चीजें छुपाई जा रही हैं। मान्यवर, प्रदेश के भूमिहीन हों, वन गुजर हों, खत्ते में रहने वाले लोग हों उनको कहीं बसाया जावे, अगर सरकार कहीं कोई ऐसी पहल करती है तो हम सब उनके साथ हैं।

मान्यवर, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश और देश में शिलिंग कानून लागू है वह सिर्फ इसलिए लागू है कि अगर किसी के पास सरपलस जमीन है तो उस जमीन को निकाल करके हम भूमिहीनों को जो लैण्डलैस लोग है, उनका जीवन स्तर कैसे सुधारें? इसके लिए हम काम करें। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वर्तमान सरकार है और मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में एक खुर्पीया फार्म जो अंग्रेजों के जमाने का था और वह सुप्रीम कोर्ट से शिलिंग का मुकदमे हार गये और सरकार ने उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया। मुझे लगा कि वह जमीन जो वर्षों से वहां की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो वहां के मजदूर भूमिहीन लोग हैं और जो कोर्ट गये और कोर्ट ने सरकारों को आदेशित किया और इस वर्तमान सरकार को भी किया और जिलाधिकारी को किया है कि इन भूमिहीनों को जमीन दें और सरकार ने कहा कि मुकदमा चल रहा है जिस दिन मुकदमा खत्म होगा और हमको मिलेगी तो हम भूमिहीनों को देंगे और हम लोग बड़े हतप्रभ रह गये। जब शासन के एक अधिकारी, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा श्री मीनाक्षी सुन्दरम जो सिडकुल के एम0डी0 हैं और वह वहां एक हफ्ते पहले गये हैं तो वहां के अखबारों में छापा है कि वे इस जमीन को सिडकुल को देने के लिए निरीक्षण करने आये हैं।

मान्यवर, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि शिलिंग में हम किसी की जमीन को ले लेते हैं वह जमीन उसकी चोरी की नहीं होती है, उनके अर्जित की होती और या

खरीदी होती है या उसके पिता या कहीं से वे मिली होती है। उस जमीन को यह कहकर लें कि हम लैण्डलैस लोगों को बसायेंगे और हम समाज में समानता लाना चाहते हैं और उसके बाद उस जमीन को उन उद्योगों को देने की बात करें तो उससे जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है? मैं कहना चाहता हूँ कि यह आदेश जो श्री शैलेश बगौली जी ने किया है और वह प्रमुख वन संरक्षक को सीधे आदेश गया है और कहा गया है कि इस पर लीज खत्म करें या इस पर कब्जा लें। मान्यवर, अभी महामहिम का जिक्र यहां पर हुआ और हम बहुत आधार के साथ कहना चाहते हैं और वही कमेटी बार–बार सरकार से अनुरोध कर चुकी है कि इस जमीन के लीज का नवीनीकरण करें और यह 90 साल के लिए लीज पर दी गयी थी तथा 30 साल के बाद इसका नवीनीकरण होना था वह नहीं हो पा रहा है, इसको करें और सरकार उस पर मौन बैठी रही, यही हाल वन भूमि का है। मान्यवर, मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि वन गुजरों को, भूमिहीनों को और अनुसूचित जाति के गरीबों को, सरकार बसाये और हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन जो पूर्व सैनिकों की जमीन है, जिसकी स्थापना सैनिकों के कल्याण के लिए हुई है। कृपा करके उस जमीन को न दें और जिस पत्र का जिक्र हो रहा है अगर कल संसदीय कार्यमंत्री जी के पत्र में इसका जवाब आ गया होता तो शायद विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

श्री हरीश रावत–

मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस भूमि का एक इंच टुकड़ा भी सिडकुल को नहीं दिया जायेगा। (व्यवधान) और बाकी के विषय में मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं फिर से कमेटी के पास जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, इस जमीन में छेड़–छाड़ न हो।

श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल–

मान्यवर, इसमें थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने वन गुजरों की बात पर बहुत जोर दिया था। (व्यवधान) जब जमीन फटती है और पेड़ों की लौपिंग होती है तो जंगल को नुकसान होता है तो यह तय हुआ कि वन गुजरों को कहीं बसाया जाय। मान्यवर, अनुसूचित जाति के लोग भी बहुत भूमिहीन हैं। अगर सरकार के संज्ञान में यह मामला आये और सरकार शिलिंग करना चाह रही है तो बहुत अच्छी बात है और इससे जंगल भी बचे रहेंगे और वन गुजरों की भी सुरक्षा होगी। (व्यवधान)

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, माननीय नेता सदन जी ने बहुत वाक पटुता और बड़ी चतुराई के साथ अपनी बात को यहां पर रखा है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह शासनादेश नहीं है और बात दो टूक थी और उन्होंने कैकेई का भी जिक्र यहां पर किया है।

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि कैकेई तो मोहरा थी, राम जी ने जन्म से पूर्व विष्णु के रूप में कहा था कि "धरे अवतार अब जग में" यही मर्जी हमारी है और मर्जी के पीछे क्या कारण था उसपर मैं नहीं जा रहा हूँ बहुत लम्बा हो जायेगा, तो यही कारण था जो प्रत्यक्ष में रामलीला में हुआ, तो हमारा दो–टूक कहना है कि हमारा यह विशेषाधिकार का मामला बनता है, हम चाहते हैं कि सैनिकों को यह जमीन मिले, जिसमें वन गूजर, भूमिहीन, तमाम प्रदेश की समस्यायें न डालें। वन गूजर, भूमि हीन, पेयजल और बिजली की समस्या के लिए सरकार बैठी है, बाद में बात कर लेंगे, मांगना हमारा काम है और देना आपका काम है, आमने–सामने बैठें निर्णय कर लेंगे, लेकिन इस समय दो–टूक बात यह है कि पत्थर चट्टा फार्म में भूमि सैनिकों को दी गई, उनके पुनर्वास के लिए दी गई, उनके पालन–पोषण के लिए दी गई, उनके कल्याण के लिए दी गई, उस भूमि को सिडकुल में नहीं देंगे यह कोई जवाब नहीं है, हमने कहा कि उस फार्म को टच नहीं करेंगे, खुर्द–बुर्द नहीं करेंगे, यह जवाब सरकार का आ जाये। मान्यवर, आप सॉलिड बात करें, आप वरिष्ठ नेता हैं और मैं समझता हूँ कि आपकी बात में दम है और आप एक बार खड़े होकर यह कह दें कि पत्थर चट्टा फार्म को किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया जायेगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, कड़वा सच है जिसे मैं माननीय नेता सदन के सामने रखना चाहता हूँ, माननीय नेता सदन बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब उत्तराखण्ड बनाये जाने की बात जोरों पर चल रही थी और जनपद उधमसिंहनगर इस प्रदेश में जाने के लिए आनाकानी कर रहा था और यह कह रहा था कि इस प्रदेश में ऊधमसिंहनगर को न रखा जाये, तो उस समय माननीय नेता सदन और इनके कुछ साथी काशीपुर में आये और उस समय खुलेआम काशीपुर के सभी वासियों से यह कहा गया था कि काशीपुर और तराई के वासियों एक बात सुन लो कि पहाड़ हमारा घर है और यह हमारा आंगन है और इस आंगन को हम बसायेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसका और अच्छे तरीके से विकास करेंगे और इसकी खुशबू पूरे प्रदेश में जायेगी इसका आश्वासन दिया था, इससे माननीय नेता सदन वाकिफ हैं। मान्यवर, मैंने एक बात उस समय कही थी कि यदि यह बात सही मान ली जाए कि पर्वतीय क्षेत्र अगर इस प्रदेश का घर है और ऊधमसिंहनगर, तराई का क्षेत्र इसका आंगन है, क्योंकि घर के सामने आंगन होना जरूरी है और कोई यदि घर से बाहर निकले और आंगन में देखे कि वहाँ पर कोई कुर्सी लगाकर बैठा हो तो सबसे पहले उसी के ऊपर सवाल उठता है कि तुम कहाँ से आये हो, तुझे किसने कहा यहाँ पर बैठने के लिए, आप आंगन को कहीं झाड़ू से साफ तो नहीं करेंगे, तो माननीय नेता सदन जानते हैं कि उस समय आश्वस्त किया गया था कि इस आंगन के साथ हम छेड़ा–छाड़ी नहीं करेंगे, इस आंगन को बसा रहने देंगे, यह पता है कि इस आंगन में पाकिस्तान से उजड़े लोग और आपके बंगाल से आये हुये लोग यहाँ पर बैठे हैं, वह जंगल उन्होंने आबाद किया है, जिस समय सन् 1946 में यह आदेश हुये थे, पेपर में आया था।

मान्यवर, इस जंगल को सरकार खेती के लिए आबाद करना चाहती है "इंट्रेस्टेड पार्टी मे कॉन्टेक्ट टु दि खाम सुप्रीटेंडेंट ऑफ द तराई एण्ड भावर" मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय पाकिस्तान से उजड़े हुए लोग, जिनके पास कुछ नहीं बचा था, जिनका घर भी नहीं बचा था, जिनके हाथ की रोटी भी नहीं रह गयी थी। वे लोग यहां पर आये, उन्होंने शेरों का मुकाबला किया, हाथियों का मुकाबला किया, जानवरों का मुकाबला किया, सांपों का मुकाबला किया, मच्छरों का मुकाबला किया, बीमारियों का मुकाबला किया।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर आयें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह कड़ुवा सत्य है, उस समय लोगों के परिवारों के आधे से ज्यादा लोग मर गये और परिवार के परिवार समाप्त हो गये। मान्यवर, कई परिवार दुबारा वापस चले गये। मान्यवर, खाम साहब का कहना था कि पंजाब से आये हुए लोगों, हम तो आपको ये समझते हैं कि आप बड़े दलेर हैं, बड़े शेर हैं, आपका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, जितनी जमीन चाहिए ले लो और इसको आबाद कर दो, चाहे कैसे भी करो, आप अपने यारों को लाओ, दोस्तों को लाओ, पंजाब से किसी को भी लावो, पर इस जमीन को आबाद कर दो। मान्यवर, जब यहां पर जमीन आबाद हुई तो यहां के किसानों को जो सबसे बड़ा धक्का लगा वह 1971 की सीलिंग से लगा। मान्यवर, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जब 1971 में सीलिंग आयी तो, उस समय वो बुजुर्ग जो लोग पाकिस्तान, पंजाब से आये थे, जिनकी जमीन को आबाद करते समय पांवों के नीचे का मांस भी उधड़ गया था, उनमें से बहुत सारे लोग सीलिंग के कारण मर गये थे। लेकिन किसी को पूछा नहीं गया, और सीलिंग लग गयी।

माननीय नेता सदन हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं, हमने बहुत ही सम्मान के साथ ऊधमसिंह नगर की धरती को उत्तराखण्ड के साथ जोड़ा है और जोड़ने के बाद हमने यह सोचा कि हमारे तराई और पहाड़ के जो रिश्ते हैं वे बहुत मजबूत बने और आपस में प्यार और विश्वास के साथ इस प्रदेश का विकास करें और प्रदेश की खुशहाली को हम लोग अन्जाम दें। मैं माननीय नेता सदन से अपील करना चाहता हूँ कि यहां पर जो लोग बैठे हैं, चाहे वह फौजी हैं, चाहे वह पाकिस्तान से आये हुए लोग बैठे हों, चाहे बंगाली लोग बैठे हों और जो भूमिहीन लोग बैठे हैं, इनका खाना पकता रहे ये वे लोग प्रेशर में आ रहे हैं। ये लोग धीरे–धीरे करके अपनी थोड़ी–थोड़ी जमीन बेचकर पुनः उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर जाने को मजबूर हो गये हैं, यह मैं आपके संज्ञान में इसलिए लाना चाहता हूँ कि पहाड़ का विकास भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो किसी ने भी विकास नहीं किया है। पहाड़ का विकास न होने के कारण, पहाड़ के लोगों का यह विश्वास समाप्त हो गया है कि हमने यह प्रदेश जिस उद्देश्य के लिए बनाया था, उस उद्देश्य की पूर्ति कभी होगी। लोगों की आकांक्षाएं और उम्मीदें पूरी नहीं

हो पा रही हैं। मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहता हूँ कि वे पहाड़ का विकास करें, पहाड़ से उतरते हुए वहां के हमारे जो सहयोगी हैं, उनके नीचे उतरने से पहाड़ खाली हो रहे हैं। मान्यवर, जहां पहाड़ खाली हो रहा है, वहीं मैदानी क्षेत्र का घनत्व बढ़ रहा है। यह घनत्व एक चिंता का विषय है, यह चिंता मैं नेता सदन के संज्ञान में इसलिए लाया हूँ, चूंकि नेता सदन बहुत ही सम्मानित हैं और माननीय नेता सदन गवाह हैं, जब उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखण्ड बना था आपने जो कहा था कि ऊधमसिंह नगर आपका आंगन है। मान्यवर और आंगन की तरह ही इसे हंसता–खिलता रहने दीजिए, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए मेरा यही आग्रह है।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बार पुनः प्रदेश के हित में आपके माध्यम से नेता सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इसे शासनादेश न मानें, इसको एक पत्र मान लें, पत्र का आदेश मान लें, लेकिन तब भी इसमें सरकार को आज क्लियर बोलना चाहिए कि सैनिकों के हित संरक्षित किये जायेंगे, इस जमीन को किसी और को नहीं दिया जायेगा। जैसे 1945 से सेकेन्ड वर्ल्ड वार के लोगों को दिया गया था, उनके हितों को वैसे ही चालू रखा जायेगा, इतना सा आश्वासन हम सरकार से पुनः चाहते हैं। क्योंकि यह छोटी–मोटी बात नहीं है, हमारा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र के सैनिक इस निर्णय पर आज टकटकी लगाये हैं, सारे क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिक और वर्तमान सैनिक भी, क्योंकि कल उनको भी भूतपूर्व सैनिक होना है, माननीय नेता सदन के इस निर्णय को देखेंगे। एक बात से मुझे और खुशी हुई है, नेता सदन ने कहा है, जो हम डेढ़ साल–पौने दो साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनें खुर्द–बुर्द हो रही हैं, सिडकुल की जमीन बिकी है, अभी मेरे पास एक पत्र आया है कि जो सिटी पार्क है, उसके लिये भी एक ही दिन में आदेश कर दिया गया है कि उसका नेचर बदल दिया जाय। अभी उसके फार्म आये हैं, मैं उसको अभी नहीं कहना चाहता, तथ्य आयेंगे तो मैं आपके सामने लाऊंगा। कहीं आप की भी स्थिति वही न हो जाय तो पिछली सरकार में सभी लोगों की हुई थी, इसलिये मैं पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ, हमारा इन्टेन्शन मैलिसियस नहीं है। जो अच्छा करेगा, वह सपोर्ट पायेगा, जो अच्छा नहीं करेगा, हम तो विपक्ष में हैं, हमारा क्या करेंगे आप, कभी हमको फंसाने की कोशिश करेंगे, कभी हमारे टेलीफोन टेप करेंगे, गलत कामों को देखेंगे, हम ऐसा काम ही नहीं करते तो क्या है, अगर हम गलत काम करेंगे तो उसे स्वीकार भी कर लेंगे। आप यहां पर नये–नये आये हैं, आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ, अभी आपको 12–13 दिन ही हुये हैं, यहां आये हुये, यद्यपि 13 दिन में ही आपको पता चल गया कि विभाग बांटना क्या होता है, आपको छठी का दूध तो सबने याद दिला ही दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो आपकी मंशा है, वह बरकरार रहे, आपकी मतमनसाहत में हम आपके साथ हैं, आपके हर अच्छे कदम में हम आपके साथ हैं, हमने पहले वाली सरकार से भी कहा था कि हर अच्छे कदम में हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ी सी भी बुराई उसमें लगेगी तो हम बैठने वाले नहीं हैं,

चाहे हमें कितना ही दबाने का प्रयास करें। कितना भी हमें विचलित करने का प्रयास करें, हम विचलित नहीं होंगे, हमने रखवाले की भूमिका का दायित्व लिया है। पुनः आपसे निवेदन है कि स्पष्ट आश्वासन आज दें और यदि इसके लिये राज्यपाल महोदय के यहां जाना है तो हम भी साथ चलेंगे, हम तो आपसे पहले चले जायेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने राज्यपाल जी के पास जाने का प्रश्न नहीं कहा है, मैंने कहा कि यह जो कमेटी है, वह महामहिम की अध्यक्षता में है, यह परम्परा है, इसलिये मैं फिर से उनके पास जाऊंगा और आपकी भावनायें लेकर जाऊंगा। आपको साफ तौर पर स्थिति को समझ लेना चाहिये, जहां तक पूर्व सैनिक कल्याण का सवाल है, हमारी सरकार, हमारा पूरा राज्य उसके लिये प्रतिबद्ध है। हमें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर, अपने राज्य निर्माण सेनानियों पर और अपने बहादुर सैनिकों पर गर्व है। हम उनकी सुविधा के लिये, उनके कल्याण के लिये हरसंभव कदम उठायेंगे, किसी भी प्रकार से संसाधन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी और आपने जो चिन्ता जाहिर की है, लैंड यूज चेंज आदि को लेकर के, लैंड यूज चेंज होना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यदि सार्वजनिक भूमि का लैंड यूज चेंज हो रहा है, विकास के कारणों के अलावा अन्यान्य कारणों से हो रहा है, मैं निश्चित रूप से सतर्क होकर उसको देखूंगा। मैं आपको फिर से आश्वस्त कर रहा हूँ कि मैं सदन की भावनाओं के अनुरूप कमेटी के पास जाऊंगा। क्योंकि यह हमारी परम्परा नहीं है कि हम महामहिम की किसी चीज पर विचार–विमर्श कर सकें। क्योंकि यह सदन महामहिम की आज्ञा से संचालित होता है, इसलिये मैंने आपसे आग्रह किया कि हम इसे विशेषाधिकार हनन या कोई और विधान सभा की कार्यवाही का अंग बनायें, जहां तक आपकी इस नोटिस के तत्व का सवाल है, उस तत्व का सम्मान करते हुये मैं फिर से कमेटी के पास जाऊंगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, दो शब्द अगर आप कह दें आज कि मैं राज्यपाल जी के पास जाऊँगा, लेकिन मैं इसको नहीं होने दूँगा। एज इट इज रहने के लिए आग्रह करेंगे, आप कह दें, हम भी जाएंगे आज। आज या कल में हम भी मिलना चाहेंगे राज्यपाल जी से।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, राजनाथ सिंह जी क्या फैसला करेंगे, आप वहां जाने की बात कर सकते हैं, आप उनके फैसले को कैसे घोषित कर सकते हैं। जो एक पार्टी के अंदर परम्परा है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सरकार क्या चाहती है, वो बता दें, महामहिम के पास तो हम चले जाएंगे।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैंने कहा कि सरकार चाहती है पूर्व सैनिकों को अधिकतम् कल्याण। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह फार्म बना रहेगा या नहीं? मान्यवर, इतनी सी बात है जो पूर्व सैनिक हैं, उनको जो फार्म मिला है, वो बना रहेगा या नहीं। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। हमने इतनी बड़ी बात कहीं है पूरे प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश के फौजी देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं तो इसलिए हम यह कह रहे हैं कि यह बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, उसी तरह वो अपने अधिकार का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने बड़ी सफाई से सब कुछ स्पष्ट कर दिया, सैनिकों के हितों की भी रक्षा की जायेगी और ये जवाब भी आ गया आपके पास उनके लिए जो जमीन आवंटित है, उसकी भी रक्षा की जायेगी। महामहिम राज्यपाल की सलाहकार समिति में उनकी अध्यक्षता में एक निर्णय हुआ है, उसकी क्या मंशा है, यह जानना उनका कर्तव्य है, वो जाएंगे। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन जी से आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि प्रदेश के जितने भी गृहविहीन हैं, वो किसी भी जाति, धर्म का हो, उनको सबको भूखण्ड दें, घर दें, लेकिन कम से कम महामहिम जी की आड में सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सैनिकों के घर वो क्यूँ छीन रहे हैं, जमीन क्यूँ छीन रही है। इसका जवाब दे दें, बस और कुछ नहीं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि महामहिम को हम कहीं प्रश्न नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी नोटिस में उनका नाम तक नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ माननीय नेता सदन जी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी यहां के बारे में कोई फैसला करेंगे तो वो क्या गलत होगा, खैर उनका नाम लेना उचित नहीं जो सदन का सदस्य नहीं है, परन्तु अगर राजनाथ सिंह जी उत्तराखण्ड के अहित में कोई फैसला करेंगे हम सब के सब विधायक उनके पास जाएंगे, अगर कहीं भी कोई गलत काम करेंगे तो हम जाएंगे, यह प्रदेश हमारा है, महामहिम एक हैं, कल को महामहिम दूसरे आएंगे, मैं यह बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं इन्ट्रेगेट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये यहां के फौजियों का, यहां के सैनिकों के हितों के संरक्षण का सवाल है, इसमें सुरक्षा

का सवाल है, उनको जो अबाध गति से जो एक्ट बना है, ये एक्ट के मुताबिक, मैं नेता सदन को भी ये एक्ट दे दूँगा। सरकार क्या चाहती है? महामहिम से तो हम भी मिलने जाएंगे कि महामहिम ये तो अनर्थ हो गया सारे फौजी इससे नाराज हैं, हम भी जाएंगे उनके पास, लेकिन एक सरकार का क्लीयर व्यू एक बिन्दु पर आना चाहिए कि फौजियों के हित उसी प्रकार अबाध रूप से संरक्षित होते रहेंगे या नहीं होते रहेंगे जो 1945 में यू0पी0 पोस्ट वार सर्विसेज आपका रिकान्सट्रक्शन फंड स्थापित करने से किया गया था। बस एक शब्द का है कि उसी तरह से फार्म रहेगा या नहीं रहेगा। मान्यवर, वन गूजरों को दें, गरीबों को दें, दूसरी जगह तो करें। 278 लोग जो पुनर्वासित होने हैं, उनको दें। वैसे भी हम लोगों को एक नई टाउनशिप डेवलप करनी चाहिए, कहीं न कहीं हमको वन विभाग को या राजस्व विभाग को चाहिए कि छांटो। यहां पर वन गूजर आएंगे, यहां पर कोई और आयेगा, लेकिन सैनिकों को एक चीज जो उस समय सरकार ने इतने पहले से दिया आज हमको किन कारणों से उसके बारे में स्पष्ट बोलने में संकोच हो रहा है। आपसे, नेता सदन से पूरा प्रदेश चाहता है जिस बूते से, जिस तरह से आप यहां पर आये हैं, सारा प्रदेश चाहता है कि आपकी इस किस्म की परफारमेंस होनी चाहिए कि सुपरमैन आ गया है और सुपरमैन ने जो–जो गलत हो रहा था सब सफाई कर डाली है। इसलिए हमारा निवेदन है कि वो फौजियों के हित उसी तरह संरक्षित हों, ये आपका आश्वासन आ जाय, हम लोग अपनी नोटिस वापस ले लेंगे।

मान्यवर, नहीं तो यह कोई छोटा–मोटा मामला नहीं है। यह 15 सौ एकड़ जमीन का मामला है। मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन दूसरी तरफ जा रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः नेता सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जरूर आप कोई न कोई आज बात बतायें। महामहिम के पास जाना होगा तो मुझे भी साथ ले जायें, कन्धे से कन्धा मिलायेंगे। प्रदेश के हित में जैसे ही हम लोगों को जवाब आया कि योजना आयोग के आगे जाना है, अध्यक्ष और लीडर आफ अपोजिशन को तो हम रात में गये तो हमने कहा, ज्यादा से ज्यादा दीजिए। हम ऐसे नहीं कि नहीं मानते हों, ऐसा विपक्ष भी नहीं कि जो रचनात्मक सहयोग नहीं दे रहा हो। जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ वाह वाही भी कर रहे हैं, हमने कहा बहुत अच्छा काम किया है। नेता सदन दो बजे रात तक नहीं सो रहे हैं, हमने कहा बहुत अच्छा है, हमारी नींद टूटी है तो उनकी भी अब टूटी है। पहले तो हमारी नींद टूटती थी और लोग सोये रहते थे 06 बजे के बाद, आज जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। अगर इसी तरह के फैसले आयेंगे तो हमारा जो मानसिक आंकलन है और प्रदेश की जनता का आंकलन है एकदम बदल जायेगा। इसलिए मैं तुरन्त निवेदन करना चाहता हूँ कि नेता सदन दो शब्दों में कहें कि यह जमीन ऐसे ही रहेगी। महामहिम के पास आज ही चलिये कम्बाइन्ड पत्र बन जाये, लिखित पत्र बन जाये कि इसमें पुनर्विचार करें, हम फौजियों को देना चाहते हैं। हम भी जाते हैं और आप भी जायें या जैसा करते हैं और यहाँ के सैनिकों का हित संरक्षित हो जायेगा, ये मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ प्रदेश के हित में। सेना के पूर्व सैनिकों के हित में उनकी विधवाओं के हित में, उनके बच्चों के हित में इसमें आज नेता सदन के मुख से कोई न कोई स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण प्राप्त हुआ। मैं छोटा सा दृष्टान्त रखना चाहता हूँ। अगर आपका संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ होता तो पंतनगर विश्वविद्यालय के मामले में कोर्ट के आदेश पर महामहिम ने अनुमोदन कर दिया था, तब यह सरकार यहीं एक विधेयक लेकर आई थी, उस विधेयक को अगर प्रवर समिति को आपने नहीं दिया होता तो महामहिम के निर्णय को पलटा जा रहा था। महामहिम के सम्मान की बात की जा रही है। महामहिम की बात नहीं है। प्रदेश के सैनिकों का सवाल है, मुझे लगता है जो अधिकारी उस कमेटी में हैं, सारे तथ्य सामने नहीं आये होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी नहीं आये होंगे। यह पूरे प्रदेश के सैनिकों की कल्याण की बात है, इसको निश्चित रूप से इसको बचाना चाहिए। यह प्रदेश के पूर्व सैनिकों के परिवारों के हित में होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय भट्ट जी , माननीय राजेश शुक्ला जी, माननीय श्री बंशीधर भगत जी अन्य सदस्यों को तथा माननीय नेता सदन को सुनने के बाद मैं इस विशेषाधिकार की सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप पीठ के निर्देशों के विरोध में नहीं कह सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अपील तो कर सकते हैं। मान्यवर, इस पर पुनर्विचार किया जाये।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवस्थान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आ गये और वेल से अपनी बात जोर–जोर से उठाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 3:00 बजे तक के लिए स्थागित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने सैनिक फार्म हाउस के बारे में जो कल जवाब दिया था। उसमें इनका जवाब था कि इसको हम नहीं लेंगे और यह सैनिकों के हितों के लिए ही रहेगा। लेकिन जब आज माननीय नेता सदन आये तो उन्होंने इसमें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। वास्तव में इसमें गोलमोल उत्तर देने के कारण और अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सरकार के दो उत्तर आये हैं, एक उत्तर कल आया और एक उत्तर आज आया और जो सैनिक का वह फार्म है, उसको खुर्दबुर्द करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा हो रहा है और जो सैनिकों की विधवायें हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्य वेल में आ गये, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 12 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 13 फरवरी, 2014 से दिनांक 20 फरवरी, 2014 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है–

फरवरी, 2014

13 गुरूवार

1– वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री माल चन्द, दूसरी श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्रशेखर, श्री अरविन्द पाण्डे एवं श्री आदेश चौहान, तीसरी श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री अजय भट्ट एवं श्री पूरन सिंह फर्त्याल, चौथी श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, पांचवी श्री महावीर सिंह रांगड़, छठवीं श्री चन्दन राम दास, सातवीं श्री यतीश्वरानन्द, आठवीं श्री संजय गुप्ता, नवीं श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा दसवीं श्री आदेश चौहान की कुल 10

सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री अजय भट्ट एवं श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री चन्दन राम दास, श्री संजय गुप्ता तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल की सूचनाओं को नियम-58 के अन्तर्गत ग्राहयता पर सुन लूँगा। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री अजय भट्ट एवं श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री चन्दन राम दास, श्री संजय गुप्ता तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल का नाम पुकारे जाने पर नियम-58 की ग्राहयता पर बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

(वेल में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य आय-व्ययक पर अपनी बात रखना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन की कार्यवाही को 3:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षा अधिकारी, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 4:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 4:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष-

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

विपक्ष द्वारा सैनिक फार्म सम्बन्धी सूचना पर स्पष्ट उत्तर की मांग

श्री बंशीधर भगत-

मान्यवर, हमारी सैनिक फार्म वाली सूचना पर सरकार की ओर से स्पष्ट उत्तर नहीं आया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, सुबह नेता सदन ने काफी गम्भीरता से अपनी बात कही, उन्होंने काफी अच्छे ढंग से उदाहरण प्रस्तुत करते हुये यह बता दिया कि यह जो जमीन है, वह न तो

खुर्द–बुर्द की जा रही है, न किसी को बेची जा रही है, न सिडकुल को दी जा रही है, न उसकी कोई अव्यवस्था की जा रही है। सैनिक इस राज्य का गौरव हैं, सैनिकों का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है, हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं और उनके लिये जो भी सुविधायें आवंटित हैं, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। हम सदन को यह आश्वस्त करते हैं कि सैनिकों की सुविधाओं में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य मुझे डिक्टेट करने का प्रयास न करें, मैं 40 साल प्रिंसिपल रही हूँ, मुझे कम से कम डिक्टेशन तो न दें। (हँसी) इस लाईन को आप पढ़ लीजिये, यह कार्यवाही का हिस्सा बन गया, इसमें कहीं भी कोई अर्थ–अनर्थ नहीं हुआ है। सैनिकों के हितों की जो बात आप कर रहे हैं, उसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, सैनिक हमारे बार्डर की रक्षा करते हैं और उनके लिये हम प्रतिबद्ध हैं, आपकी भावनाओं के साथ हम जुड़ते हुये सैनिकों के सम्मान और उनकी सुविधाओं के लिये उस जमीन में या पत्थरचट्टा में, न तो किसी को बेचा जा रहा है और न ही खुर्द–बुर्द किया जा रहा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि उनके सम्मान की रक्षा की जायेगी।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जमीन का क्या होगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जमीन कहीं नहीं जायेगी, जमीन वहीं रहेगी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

मान्यवर, कल भी मेरे पास जो उत्तर आया था, वह भी शासन की ओर से ही आया था, उसे मैंने कहा कि यह कार्यवाही का हिस्सा है। आज जो राज्यपाल की बैठक है, उसमें आपने लिखित रूप में एक पत्र के माध्यम से उल्लेख किया, जिसके बारे में माननीय नेता सदन ने विस्तार से आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि इसका अध्यक्ष राज्यपाल है, राज्यपाल के द्वारा यह–यह लिखा हुआ है, मैं उनसे बात करूंगा, वह अपनी जगह है। लेकिन जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार ने कल भी कहा कि न हम खुर्द–बुर्द कर रहे हैं और न ही हमारी कोई ऐसी नीयत है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जमीन का क्या होगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जमीन वहीं रहेगी। (मेजों की थपथपाहट)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–19 पुकारे जाने पर)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मद संख्या–18 छूट गई है, उसमें हमारे कार्य स्थगन की सूचनायें लगी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18 पूर्व में आ चुकी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारी सूचनाओं का क्या होगा, क्या हम सरकार का बिजनेस पास करायेंगे। माननीय विधायकों के क्षेत्रों की सूचनायें हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, पहले व्यवस्था आ चुकी है और मद संख्या–18 पढ़ी जा चुकी है, नाम पुकारे गये, उस समय व्यवधान था और किसी माननीय सदस्य ने अपनी सूचना को प्रस्तुत नहीं किया था, अब यह दोबारा नहीं आयेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्षेत्र की समस्यायें हैं, आप दो–दो मिनट ही सुन लीजिये।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–19 पर माननीय सदस्य श्री हरिदास का नाम पुकारे जाने पर)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 2–2 मिनट के लिए हमारी बात सुन लीजिए कार्य स्थगन के रूप में।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, एक बार निर्णय आ चुका है, आप कल दे दीजिए, कल ले लेंगे। कार्यवाही में आ चुका है। यह परम्परा के विपरीत है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप तो विक्रमादित्य के आसन पर विराजमान हैं, आपका निर्णय तो दुबारा, तिबारा, पाँच बार भी आ सकता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कल ले लेंगे, सोमवार को ले लेंगे। उसमें एक निर्णय हो चुका है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, निर्णय तो इस पर भी हो गया था। निर्णय होने के बाद कौन सा यह सरकार निर्णय मान रही है। (व्यवधान) मान्यवर, 2–2 मिनट में हमारी बात आ जायेगी और सरकार का जवाब भी आ जायेगा। सरकार के पास जवाब भी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–18 हो चुकी है। आप सोमवार को दे दीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सोमवार को तो दूसरे इश्यू आयेंगे। 2–2 मिनट में हमारी बात आ जायेगी। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी निवेदन कर लेंगी सदन से। (व्यवधान) संसदीय कार्यमंत्री जी आप भी निवेदन करो। संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि वो जमीन खुर्द–बुर्द नहीं करेंगे, हमने मान लिया कि नहीं करेंगे। 2–2 मिनट में 3–4 लोगों के विचार आ जायेंगे।

*स्वास्थ्य एवं गन्ना मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, रोल बैक नहीं हो सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कार्यवाही के लिए पीठ को न हम बाध्य कर सकते हैं ना आप।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, बाध्य थोड़े न कर रहे हैं, हम तो निवेदन कर रहे हैं। (व्यवधान) आप संज्ञान तो ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, संज्ञान ले लेंगे, आपका उत्तर आ जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जितने आपके नोटिस हैं, उनके जवाब मिल जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी

*श्री हरिदास–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर सामान्य चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैं धन्यवाद दूँगा सरकार को कि उसने 60 से अधिक आयु के कृषकों को सरकार ने पेंशन देने की बात कही है। मान्यवर, मेरा

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुझाव है कि जो बकरी पालने वाले कृषक हैं, जो भैंस पालने वाले कृषक हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए था। माननीय सी0एम0 साहब बैठे हैं, वह मैं उनसे मांग कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्रों में राज्य सरकार ने जो दलित समाज को सम्मान देने की बात कही है जो पूरे 13 के 13 जनपदों में बाबू जगजीवन राम के नाम पर इंटर कालेज खोलने की बात कही है, बहुत–बहुत धन्यवाद की पात्र है हमारी सरकार और इसी तरीके से दलित को सम्मान देने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर दो मेडिकल कालेज की बात की है और मैं इसके लिए सरकार को बहुत–बहुत धन्यवाद दूँगा कि हमारी बात इन्होंने की है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में हरिद्वार में कलियर का उर्स हर साल लगता है, उसे भी सरकारी मेले का दर्जा देने की बात सरकार ने की है। मैं बहुत दिन से बार–बार इस बात को कहता रहा हूँ, हर विधान सभा में जब–जब भी बजट आया है, जब–जब भी बात हुई है, मैंने कहा है कि कलियर का जो उर्स है, उसको भी उस तरीके से जिस तरीके से हरिद्वार में कुंभ का मेला भरता है, उसी तरीके से भरवाने का काम करें। तो इस बार सरकार ने निर्णय लिया है मैं धन्यवाद दूँगा सरकार का, कि उसने बहुत अच्छा, सराहनीय काम किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने जो अभी तत्काल में ही जो हमारे हरिद्वार से सांसद रहे वह हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बहुगुणा जी को पत्र लिखते रहते थे कि गन्ने का एकमुश्त भुगतान करो, गन्ने का पिछला भुगतान करो। पहले हमको गन्ने का प्रति कुन्तल ₹ 20 कटौती करके भुगतान किया जाता था, अब पूरी तरह से 280 और 285 का भाव हमें मिल रहा है। मेरा नेता सदन से अनुरोध है कि हम किसान हैं, किसानी के भरोसे पर ही हम खड़े हैं। हमारे पिछले साल का भुगतान, पिछले टर्म का लगभग 12–13 है, उसका हमें भुगतान नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करूँगा कि जब अपना बजट भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी दें तो जो हमारा पिछले साल का भुगतान रुका हुआ है, जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं उनका भुगतान भी रुका हुआ है। हमें पहले भी यह कहा गया कि सारा भुगतान कर दिया जायेगा। लेकिन वह सरकारी मिलों का भुगतान कर दिया गया। मान्यवर, जो हमारे तीनों मिलों में पिछले साल का अभी तक पूरा का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। मैं अपनी सरकार के मुखिया से निवेदन करूँगा कि अपने बजट भाषण में इसकी व्यवस्था की जाय क्योंकि वह किसान हैं, किसानों के पास और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है कि वह अपना काम दूसरी जगह से चला ले। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा बात न करते हुए क्योंकि समय भी कम है और हमारे नेता सदन को भी बोलना है, और हमारी दीदी हैं जो वित्त मंत्री हैं वह भी अपनी बात रखेंगी। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 के उल्लंघन पर उत्पन्न संवैधानिक संकट पर विनिश्चय की मांग।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, व्यवस्था के रूप में मैंने कल आपसे निवेदन किया था। जो इस समय हाउस की कार्यवाही हो रही है। इसमें खास तौर से विधायी विषय को लेकर माननीय

मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश आपको किया है, आदेश क्या, एक पत्र लिखा है, जो 11 मंत्रियों के कार्य विभाग से संबंधित है। मान्यवर, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 है।

श्री अध्यक्ष–

यह कल आ चुका है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अगर इस पर निर्णय नहीं होगा तो कार्यवाही इलीगल है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको संविधान के अनुच्छेद 166(3) को दोबारा पढ़ कर बता रहा हूँ। इसमें लिखा है– "द गवर्नर सेल मेक रूल (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ये आपने कल पढ़ दिया है और सुन लिया गया है, इस पर बहस भी हो चुकी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, इसमें माननीय अध्यक्ष जी का निर्णय सुरक्षित है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह इलीगल कार्यवाही है, यह रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ जा रही है। रूल ऑफ बिजनेस 1975 जो है, राज्यपाल को अधिकार है, उस अधिकार के एकार्डिग जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें स्पष्ट है कि मंत्रियों के कितने विभाग होंगे। मुख्यमंत्री कितने विभाग रखेंगे, गवर्नर की अनुमति से रखेंगे। गवर्नर की सूचना के बाद रखेंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जो चिट्ठी आपको लिखी है, उसमें कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि गवर्नर साहब से अनुमति ले ली है या गवर्नर साहब ने अनुमति दे दी है। इसलिए कोई मंत्री विभाग का है ही नहीं। संसदीय कार्य मंत्री नहीं है, वित्त मंत्री नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री तो हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वित्त मंत्री के रूप में जो भाषण दिया है, वह भाषण भी आपका असंवैधानिक है। मान्यवर, संविधान के बाहर सरकार कैसे चलेगी। संविधान के अनुसार ही तो सरकार चलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने अभी इस बात को रखा, उनके संज्ञान में यह बात को लाना चाहता हूँ कि जो संसदीय कार्यवाही है इसको अगर आप देखेंगे तो जो सम्मानित

नेता सदन होते हैं वह हर वक्त सदन में नहीं बैठा करते हैं और कोई न कोई मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री उनके जवाब देते हैं।

मान्यवर, यह प्रक्रिया है चाहे वह भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हों या चाहे हमारे माननीय नेता सदन हों, हम सब लोगों ने इस प्रक्रिया में शपथ ली है और मंत्री का जो समूह होता है वह स्वाभाविक रूप से उनको कलेक्टिव रिस्पॉसबिल्टी के रूप में दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तमाम विभाग हैं, अगर उनके पास इतने विभाग नहीं होते तो तब संवैधानिक अड़चन मानी जाती थी और वे अपने मंत्रिमण्डल के साथियों के माध्यम से उनको यहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। यह संविधान की व्यवस्था भी है और परम्परा भी रही है और नियमतः भी है। अगर इस प्रक्रिया को आप लें तो पिछले पांच वर्ष में दो मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकाल में थे। वे भी इस सीट पर बैठा करते थे और वह भी जब विधान सभा चलती थी तो 24 घन्टे यहां पर नहीं बैठा करते थे। बल्कि कोई न कोई मंत्री के रूप में या जिसने मंत्री परिषद की शपथ ली है तो उसमें वह अधिकृत है। इसमें मैंने एक उदाहरण आपको कल भी दिया था। महामहिम राज्यपाल जब नई विधान सभा का गठन, शपथ देने के लिए करते हैं और कोई प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं तो प्रोटेम स्पीकर को पहले शपथ दिलाते हैं और वे तमाम सदस्यों को शपथ नहीं दिलाते हैं। तब वह प्रोटेम स्पीकर माननीय विधायकों को शपथ दिलाते हैं। यह एक लम्बी प्रक्रिया चली आ रही है और जिसका निर्वहन किया जा रहा है। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। (व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह सही बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात बहुत विस्तार से कह दी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहले सारे विभाग महामहिम राज्यपाल से लेने पड़ेंगे और तब वह माननीय मंत्रियों को कह सकते हैं कि आप जवाब दे दें, क्योंकि आप इनके सहयोगी हैं। लेकिन जब अभी महामहिम राज्यपाल जी से विभाग ही नहीं लिये गये हैं या महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति नहीं ली गयी है तो वास्तव में यह प्रोसिडिंग इलीगल है, यह असंवैधानिक है। (व्यवधान)

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, संसदीय इतिहास में कभी–कभी ऐसी चीजें आती रहती हैं, जिनके ऊपर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और जिस सदन की गरिमामयी पीठ पर आप विराजमान हों और जिस सदन को यह गौरव प्राप्त हो हमारे यहां जो संसदीय कार्यमंत्री जी हैं शायद हमारे ही प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत वर्ष में इनका सबसे लम्बा अनुभव है।

इतनी वरिष्ठ नेता सदन में हमारे पास हैं और हमारे जो सदन के नेता हैं वे स्वयं लोक सभा में संसदीय कार्य देख चुके हैं। मेरा अनुरोध यह है कि मैं इसमें बहस में नहीं जाना चाहता अगर आप मुझे आदेश देंगे तो मैं अपनी बात को प्रस्तुत भी करूँगा। मेरा सरकार को विनम्र आग्रह है सुझाव भी है महामहिम राज्यपाल की जो अधिसूचना है उसको सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार की कार्यवाही रूल ऑफ बिजनेस से चलती है और यह महामहिम राज्यपाल जी के अन्दर इस अधिकार को निहित करता है कि वह मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करें। मान्यवर, यह एक संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न हो गया है और आपका विनिश्चिय इसमें स्पष्ट आ जायेगा और वह जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वह समाप्त हो जायेगा। किसी भी सदन को कभी भी, ऐसी किसी परम्परा के अन्तर्गत कार्य नहीं करना चाहिए। जहां हमें लगे या शंका भी लगे कि कहीं कोई कार्य गलत हो रहा है। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान रूल ऑफ बिजनेस की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वह रूल ऑफ बिजनेस का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन कर लें और उसके बाद जो भी विनिश्चिय आपकी पीठ से आयेगा और उससे हम सब बाध्य होंगे और यह विवाद यहीं पर समाप्त हो जायेगा जो उचित भी होगा। (व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें विनिश्चिय भी कल आ चुका था। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, विनिश्चिय तो आपने अभी रिजर्व रखा है और यह आना बाकी है और जिस बात को माननीय मदन कौशिक जी कल से कह रहे हैं और वास्तव में यह मामला बहुत गम्भीर है।

मान्यवर, मंत्री सब हैं, लेकिन मंत्रियों के पास विभाग नहीं है। संविधान के अनुच्छेद– 166(3) आपके संज्ञान में है और सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान में है, ट्रेजरी बैंच के माननीय सदस्य श्री नव प्रभात जी ने जो बात कही वह संवैधानिक मान्यताओं की बात कही, इसमें किसी को बुरा भी नहीं मानना चाहिए और किसी को इससे इतर भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि नियम, परम्पराओं और संविधान से यह सदन चलता है और संविधान में तो क्लियर व्यवस्था दी हुई है, उसके बाद सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यदि यह हमारी नियमावली में भी होता तो हम उसका इण्टरपिटेशन कर लेते, लेकिन संविधान में हम इण्टरपिटेशन कैसे करें जब क्लियर दिया है, इसमें इफ एण्ड बट का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए बजट प्रारम्भ होने से पहले आपकी व्यवस्था, आपका विनिश्चय इसमें आना अति आवश्यक है, वरना बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा और यह हमारे लिये भी और पूरे सदन के लिए अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आपने रिजर्व किया है, उस फैसले को आप यहीं पर दें, विनिश्चय दें ताकि कार्यवाही आगे को बढ़े।

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तीन विद्वान सदस्यों को सुना और मैं उनसे मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्लियामेण्ट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेन्स में जो मंत्रीमण्डल होता है वह सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है और जो मुख्यमंत्री होता है वह राय देता है महामहिम को और उनकी राय के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाता है, तो यह राईट हमारा संविधान हमारी रूल ऑफ प्रोसीजर जो हाऊस के बिजिनेस के लिए है या गवर्नमेण्ट के बिजिनेस के लिए, दोनों के लिए निहित है मुख्यमंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री ने एक निश्चय किया कि माननीय विधायकगण हैं सदन की कार्यवाही के दौरान मतलब जिस समय तक सदन चल रहा है या सदन में कोई प्रश्न आ रहा है या मंत्रालय के विभागों को पायलट करना है तो वह उनकी तरफ से उसको पायलट करेंगे, क्या आप यह कह सकते हैं सदन के नेता के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री को यह अधिकार नहीं है कि वह समय विशेष पर अपने किसी दायित्व को, किसी काम को, किसी जिम्मेदारी के लिए सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए अपने सहयोगी मंत्री को न दे दें और यदि यह अधिकार मुख्यमंत्री में निहित है तो मैं समझता हूँ कि आपका प्रश्न गैलरी के लिए ठीक हो सकता है, बाहर के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन आपका प्रश्न विधिसम्मत नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें सीखना है क्योंकि आपका 22 साल का अनुभव है और पार्लियामेण्ट का अनुभव है, तो संविधान के आर्टिकिल 166(3) में स्पष्ट है कि "दि गवर्नर शैल मेक रूल्स फॉर दि मोर कन्वीनियेंट ट्रान्सेक्सन ऑफ दि बिजिनेस ऑफ दि गवर्नमेण्ट ऑफ दि स्टेट एण्ड फॉर दि एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ दि सेड् बिजिनेस इन सो फार ऐज इट इज नॉट बिजिनेस विद रेस्पेक्ट टु विच दि गवर्नर इज बाई ऑर अण्डर दिस कान्स्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टु एक्ट इन हिज डिस्क्रीशन।" और वह रूल्स ऑफ बिजिनेस 1975 है जो उत्तर प्रदेश में था वह यहाँ लागू है, तो यह स्पष्ट है कि यदि मुख्यमंत्री जी विभाग रखेंगे तो गवर्नर से अनुमति लेकर के रखेंगे, तो अभी गवर्नर की अनुमति हुई नहीं है तो विभागों का बजट वित्त मंत्री के रूप में माननीय संसदीय कार्यमंत्री बजट पेश कर ही नहीं सकती हैं। मान्यवर, रूल्स ऑफ बिजिनेस माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय देख रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए, हमने उस दिन भी इस विषय को उठाया था तो निर्णय रिजर्व है और जब तक यह निर्णय नहीं होगा इस हाऊस की कार्यवाही इलीगल होगी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, जब सारी बात क्लियर हो गई है और आपके पास रिजर्व है तो हम तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि आप अपना विनिश्चय दें और आपके विनिश्चय को पूरा सदन मानेगा और महामहिम राज्यपाल महोदय का जो पत्र आया है वह पत्र कम से कम सदन के सामने तो आये आपकी पीठ से कोई भी विनिश्चय आयेगा, उस विनिश्चय को मानने के लिए हाउस बाध्य है, लेकिन विनिश्चय आना तो चाहिए।

श्री हरीश रावत–

माननीय अजय जी, जिस रूल को आप कोड कर रहे हैं, वह रूल जो वर्क एलोकेशन है, उसके लिए है। सदन की कार्यवाही में यदि किसी दिन कोई मंत्री अनुपस्थित रहता है, तो वह सचिवालय को एक सूचना देगा और उनकी जगह पर कोई दूसरा मंत्री यह दायित्व निभायेगा। यह सदन के संचालन के लिए दायित्व निभाया जा रहा है, विभागों के एलोकेशन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। जो प्रश्न आप उठा रहे हैं वह सदन की विचार वस्तु नही है। यदि मान लिया हमने विभागों का एलोकेशन कर दिया होता तो और बिना राज्यपाल महोदय की अनुमति के कर दिया होता तो महामहिम राज्यपाल विभागों का आवंटन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री की सलाह पर। यदि हम उससे बियोण्ड गये होते, तब तो आप हमसे कह सकते थे कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका आपने उल्लंघन किया है। मान्यवर, हमने सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए, दायित्वों को एक दूसरे के साथ बंटाया है। यदि मैं यहां पर बैठने के बाद यह विनिश्चय करता कि मेरी जगह पर या माननीय इन्दिरा जी की जगह पर, अमुक मंत्री फलां प्रश्न का या फलां चर्चा का जवाब देंगे तो उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हां, आप इतना कह सकते हैं कि इसके विषय में सदन को पहले से सूचित कर दिया गया है। सदन का मतलब माननीय अध्यक्ष जी से है। इस विषय में आप माननीय अध्यक्ष जी के विनिश्चय की प्रतीक्षा कीजिए, अब इसके लिए सारी कार्यवाही में व्यवधान डालने की क्या जरूरत है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय नेता सदन यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या महामहिम राज्यपाल द्वारा विभागों का गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यदि कर दिया गया है तो वह पत्र यहां पर दिखा दें। मान्यवर, पहले आपको विभाग लेने ही पड़ेंगे। मान्यवर, हम इतना लम्बा भी नहीं बनाना चाहते हैं, सदन चलाना है तो सहयोग कर रहे हैं, इसमें मानने की क्या बात है। मान्यवर, आपको अपना विनिश्चय देना है, आपका विनिश्चय ऊपर होगा।

श्री हरीश रावत–

माननीय अजय जी, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर विभागों का बंटवारा करते हैं, यही प्रक्रिया है और हमने कब कहा कि उन्होंने विभागों का बंटवारा किया है। इस समय हमने केवल कार्य–संचालन का, संसदीय कार्य के लिए एक लिमिटेड समय के लिए हमने विभाजन किया है। यदि मैं यह जिम्मेदारी लेता हूँ कि सरकार की तरफ से इस सदन में अमुक चीजों का जवाब माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी देंगी। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नेता सदन के पास विभाग तो होने चाहिए। आपके नाम से गजट नोटिफिकेशन होना तो चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, यह आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बहुत आवश्यक है, यही तो संवैधानिक व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं आपको पार्लियामेंट के ऐसे चार उदाहरण बताना चाहता हूँ। माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी, बिना विभाग के मंत्री थे, और वे आकर प्रधानमंत्री के सारे दायित्वों का निर्वहन करते थे, प्रधानमंत्री जी की तरफ से सारी चीजों का जवाब देते थे और उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं था। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, राष्ट्रपति महोदय ने उनका गजट नोटिफिकेशन किया था, तब ऐसा हुआ था। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, वे बिना विभाग के मंत्री थे। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसमें आप अपना विनिश्चय दें। उनकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, हम अपनी जगह सही हैं।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मुख्यमंत्री के रूप में मैं, जो कुछ मंत्रिमण्डल के मेरे दूसरे सहयोगियों द्वारा कहा जा रहा है, उसके लिए सदन के प्रति जिम्मेदार हूँ। यदि मेरी कोई जिम्मेदारी सदन के प्रति कोई डाईल्यूट हो रही है तो आप अध्यक्ष महोदय से कह सकते हैं कि इस पर विनिश्चय दे दीजिए। मान्यवर, जब आपका निश्चय ही कमजोर है तो उस पर विनिश्चय कहां से आयेगा। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यही तो गलत बात है कि हमारा पक्ष कमजोर, कतई नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कल ट्रेजरी बेंच से उत्तर आया था कि हमने महामहिम राज्यपाल के पास फाईल भेजी हुई है। कल आया था कि हमने राज्यपाल महोदय से अनुमति ले ली है आज कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है। मान्यवर, कल आपके ही सामने ही ट्रेजरी बेंच ने कहा था कि हमने महामहिम राज्यपाल के यहां फाईल भेजी है, वह आ गयी होगी। हमने उसका निर्णय ले लिया है और आज कह रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है।

श्री हरीश रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात है कि क्या अब विपक्ष ने यह तय कर दिया है कि सरकार के बीच में और माननीय राज्यपाल के बीच में कोई भी प्रक्रिया चल रही हो, उसकी सारी जानकारी सदन के पटल पर आयेगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम संवैधानिक जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, संवैधानिक प्रश्न तब पैदा होता है, जब हम संविधान के दायरे से बाहर की बात करें। संविधान का प्रश्न तब होता है जब एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज के लिये उसके बाहर जाकर कोई कदम उठाया होता।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, चूंकि एक संवैधानिक प्रश्न यहां पर उठा है और उसमें काफी कुछ मैंने भी अध्ययन किया, मैंने पार्लियामेंटरी प्रोसिजर की आचार्य जी की भी बुक पढ़ी और उसमें जो सप्लीमेंट्री हैं, उनको भी पढ़ा। मैं समझता हूँ कि यदि इसमें अनुच्छेद 177 का उपयोग करते हुये, महाधिवक्ता की राय ले ली जाय, जो कि सदन का सदस्य भी होता है, तो उचित होगा। क्योंकि संवैधानिक व्यक्ति ही इसका निराकरण कर पायेगा, क्योंकि यह बहुत कॉम्पलिकेटेड हो गया है। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, इस सदन को अधिकार है कि वह महाधिवक्ता से विधिक राय ले सकता है, लेकिन विधिक राय का प्रश्न तब पैदा होता है, जब कहीं पर जो संवैधानिक सवाल है, वह सवाल खड़ा हो गया हो। इस सदन में एक मुख्यमंत्री है, जिसने शपथ ली है, एक मंत्रिमण्डल है, जिसने शपथ ली है, एक मुख्यमंत्री है, जिसने एकाध विभाग के अलावा अभी राय नहीं दी है कि किस प्रकार से मेरे सहयोगी मंत्रिमण्डल में विभाग का बंटवारा किया जाय। कहीं पर आप मुझे संविधान की वह धारा दिखा दीजिये, जिसमें यह लिखा हो कि इतने पीरियड के अन्दर मुख्यमंत्री संविधानोत्तर तरीके से बाध्य है। (व्यवधान) आप वह नहीं कह रहे हैं, इसलिये नहीं कह रहे हैं कि संविधान आपको ऐसा कहने का अधिकार नहीं दे रहा है और यह अधिकार संविधान ही मुझको दे रहा है कि जब तक एलोकेशन की सलाह मैं नहीं देता हूँ और गवर्नर साहब उसको मंजूरी नहीं दे देते हैं, उसको हम जब तक नोटिफाई नहीं कर देते हैं, तब तक वह विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, अपने सदन की कार्यवाही के संचालन के लिये मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि मुख्यमंत्री उसके संचालन के लिये अपने मंत्रिमण्डल के किसी भी सहयोगी से, जो शपथ के द्वारा सदन के प्रति बाध्य हो, संविधान के प्रति बाध्य हो, उसको यह अधिकार दे सकता है।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यदि मैंने मंत्रिमण्डल से शपथ ग्रहण किये हुये किसी सदस्य से बाहर के व्यक्ति को यह दायित्व सौंपा है, तब संवैधानिक सवाल पैदा होता है। मैंने उनको भी नहीं सौंपा है, तो इसमें जब संवैधानिक प्रश्न है ही नहीं, तो इसलिये मैं समझता हूँ कि अब पीठ के लिये भी विनिश्चय का सवाल नहीं हैं, हां, आपके लिये एक राजनैतिक प्रश्न जरूर है और जब राजनैतिक प्रश्न आयेगा, उसका हम राजनैतिक जबाब दे देंगे। रहा सवाल, यदि यह संवैधानिक प्रश्न नहीं है तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ कि किसी की राय लेने की सदन को आवश्यकता नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, उनकी राय पर मंत्रिमण्डल का डिस्ट्रीब्यूसन अवश्य किया जाता है। लेकिन जो मंत्रालय वह अपने पास रखते हैं, उसका भी गजट नोटिफिकेशन होता है, जब उनके नाम पर गजट नोटिफिकेशन होगा, जब हमारे खाते में कुछ होगा, तभी तो हम दूसरे को कुछ बांटेंगे। हमारे खाते में तो कुछ है ही नहीं, हमने तो खाली मुख्यमंत्री की शपथ ली हुई है, हमारे नाम का गजट नोटिफिकेशन कहां है। हमारे पास वैसे तो सारे विभागों का गजट नोटिफिकेशन है नहीं, वैसे तो यह एज्यूम किया जाता है कि वही करेंगे, लेकिन यह गर्वनर साहब के यहां से टाईप होकर आना चाहिये। इसीलिए तो हम संवैधानिक संकट की बात कर रहे हैं। या तो आपका विनिश्चिय आ जाये मान्यवर, सब चीजें बंद हो जायेंगी। हम आगे आना नहीं चाह रहे हैं मान्यवर।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैंने कहा ना कि मैं उसके लिए अधिकृत हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपके कह देने मात्र से थोड़े न कुछ हो जायेगा।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, क्या आपके कहने मात्र से हो जायेगा। आपने अध्यक्ष जी पर छोड़ा है, आप पीठ को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि किस समय विनिश्चिय क्या देना है।

श्री अजय भट्ट–

विनिश्चिय तो पहले आना चाहिए मान्यवर, इसलिए बाध्य नहीं कर रहे हैं। जो कार्यवाही हो रही है, बजट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले विनिश्चिय आना चाहिए, हम यही तो कह रहे हैं कि चाहे कुछ हुआ हटाईये, सदन चले, ठीक हो अच्छी तरह चले, लेकिन विनिश्चिय आपका आ जाये मान्यवर, या तो महाधिवक्ता की आप राय ले लें या विनिश्चिय दे दें बजट से पहले जो बिन्दु इतना उठ गया। ट्रेजरी बेंच के दो–दो मैंबर कह रहे हैं, एक भी नहीं, दो–दो मैंबर कह रहे हैं तो यह तो ऐसा डिसीजन है जो पूरे भारत भर में प्रचारित होगा। इसलिए आपका विनिश्चिय आना चाहिए। यह हमने आपके ऊपर छोड़ा है, जो कहना चाहें आप कहें, लेकिन विनिश्चिय दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 05:15 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

सुरक्षाधिकारी–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 5:30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही 5:30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपका विनिश्चिय आने से पूर्व मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। (व्यवधान) उत्तराखण्ड शासन के गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग का एक पत्र माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर, संसदीय कार्यमंत्री माननीय इन्दिरा ह्रदयेश जी को संसदीय एवं विधायी विभाग दिया है और शेष विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रहेंगे। मान्यवर, एक यह संकट पैदा हो गया है और कल से सदन इसको लेकर व्यवधान में है। माननीय नेता सदन ने आज भी कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। चूंकि मैंने मुख्यमंत्री जी के रूप में शपथ ली है और माननीय मंत्रियों ने शपथ ली है और सारे विभाग हमारे पास हैं और भारत का संविधान कहता है कि यदि सब विभाग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रहेंगे तो भी महामहिम राज्यपाल जी की सलाह के अनुसार रहेंगे और यह पत्र अभी प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से इस सदन को गुमराह करने की स्थिति है तो इसके लिए कौन दोषी है और कौन जिम्मेदार है। माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सरकार तय करेगी। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, लगता है आपके यहां कार्य विभाजन है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम अपने प्रत्येक माननीय विधायक को कार्य सौंपते हैं, क्योंकि हमारे यहां विधान मण्डल दल नियमित बैठता है और हमारी बैठक भी होती है, आपकी तरह नहीं? (हंसी)(व्यवधान) मान्यवर, कल से एक बात चल रही है कि जो बजट पेश किया जा रहा है वह संवैधानिकता नहीं है और वह असंवैधानिक है और अनुच्छेद 166(3) का हवाला हम बार–बार दे रहे हैं और हम हर बार कह रहे थे कि जो बजट पेश हो रहा है वह गलत है और कल भी आप जो बजट पेश करने वाले हैं, उसमें बहुत बड़ी गलती होने वाली है। अभी माननीय नेता सदन ने कहा कि आवश्यक नहीं है और महामहिम राज्यपाल महोदय को इस मामले में परामर्श नहीं दिया और तमाम चीजें यहां पर आयी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी–अभी एक पत्र आया है। इसमें लिखा है:– "मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण की नियुक्ति विषयक गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग की समसंख्यक

अधिसूचनाओं दिनांक 01 फरवरी, 2014 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के श्री राज्यपाल ने, मुख्यमंत्री की सलाह पर, उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम–3 के अधीन श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश, मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को संसदीय कार्य एवं विधायी विभागों का कार्यभार सौंपा है। श्री राज्यपाल ने यह भी आदेश दिये हैं कि उत्तराखण्ड शासन के शेष अन्य विभाग/मुख्यमंत्री के पास यथावत् रहेंगे।" मान्यवर, कल से हम यही कह रहे हैं और पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि मान्यवर, यह होना चाहिए। क्योंकि वहां से शेष विभागों के लिए उनका आदेश या नोटिफीकेशन होता है। यह पत्र मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ने दिया है और इसकी प्रतिलिपि कहां–कहां की है वह बता रहा हूँ:– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रिगण, उत्तराखण्ड, अध्यक्ष राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन, मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड, महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून, समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रधान कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड, वित्त अधिकारी, साइबर,ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून, वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड राज्य सचिवालय के समस्त अनुभाग तथा एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून। मान्यवर, समस्त कोषाधिकारियों को भेजा गया है और वहां पर जाने के मतलब नहीं होता है। यहां पर इस प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय बैठे हों और सारे सचिव महोदय बैठे हों तथा ट्रेजरी बैंच में मंत्री बैठें हो और मंत्रियों के निजी सचिव को दी गयी हो, इतनी महत्वपूर्ण बात और जिस पर इतना बड़ा हंगामा हो रहा हो और हम कह रहे हैं कि इलीगल है और उसमें साफ लिखा है कि मंत्रियों के निजी सचिवों को दिया है तो आखिर इस प्रदेश की स्थिति कहां जा रही है और हमारा यह साफ कहना है कि यह कागज फर्जी है और यह झूठा कागज है। अगर सही होता तो किसी न किसी मंत्री को सही खबर आती और हमारे विधान सभा में आती और मान्यवर, आपके पास आती। मान्यवर, आपके पास आती, आखिर इस प्रदेश में ऐसे ही चलेगा।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के पत्र को फर्जी कह रहे हैं इसको कार्यवाही से हटा दिया जाये, फर्जी शब्द कहना उचित नहीं है, आप इतने पुराने आदमी हैं फर्जी शब्द कहना उचित नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह पत्र महामहिम राज्यपाल का नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, नोटिफिकेशन उनके माध्यम से हुआ है, इसको फर्जी तो न कहें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम कह रहे हैं कि यह सत्य से परे है, मैं संसदीय भाषा बोल रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मान लिया कि तमाम सचिवों को लिखा गया और आपको नहीं मिला है, वहाँ तक सही है, लेकिन इसे तो फर्जी न कहें। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव को गया है और नहीं दिया तो यह प्रदेश कैसे चल रहा है, आखिर इस प्रदेश को हो क्या गया है। जमीनें यहाँ बिक रही हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, एक पत्र पर हंगामा हो रहा है, हमारा यहाँ पर विश्वास नहीं रहा है, इसलिए हम इस सदन का, इस झूठे बजट का परित्याग करते हैं, हम यहाँ पर नहीं बैठना चाहेंगे, इस तरह से होता रहेगा तो आप चला लें, कोई विपक्ष की बात सुनता नहीं है, सारी बातें इलीगल होती हैं, नियम और कानून, संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो बिना विपक्ष के सदन चला लें और बिना विपक्ष के जो करना है करें, हमारा दल पूरी तरह से इसका परित्याग करता है।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य सदन से बाहर चले गये)

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 166 के उल्लंघन पर उत्पन्न संवैधानिक संकट पर मा0 अध्यक्ष का विनिश्चिय

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य श्री मदन कौशिक द्वारा कल व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत यह बिन्दु उठाया गया कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल के विभिन्न मंत्रियों को सदन में विभिन्न प्रश्नों के उत्तर, विधेयकों का उपस्थापन, चर्चा के उत्तर, आदि विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए प्राधिकृत करने हेतु जो पत्र जारी किया गया है वह महामहिम राज्यपाल का उल्लेख न होने के कारण असंवैधानिक है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 166(3) में व्यवस्था है कि राज्यपाल राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिये और जहाँ तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे वहाँ तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिये नियम बनाएगा और संविधान की अपेक्षानुसार अधिसूचना संख्याः 02/1/2014, दिनांक 03 फरवरी, 2014 के द्वारा श्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर उत्तराखण्ड कार्य बंटवारा नियमावली 2003 के नियम 3 के अधीन श्रीमती इन्दिरा हृदयेश को संसदीय कार्य एवं विधायी विभागों का कार्यभार सौंपा है। श्री राज्यपाल ने यह भी आदेश दिये है कि उत्तराखण्ड शासन के शेष अन्य विभाग/विषय मुख्यमंत्री के पास यथावत् रहेंगे। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 166 की शब्दशः पूर्ति होती है। अतः यह प्रकरण व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता मैं इसे मैं अस्वीकार करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय–व्ययक पर माननीय नेता सदन का उत्तर भाषण

मुख्यमंत्री (श्री हरीश रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत गम्भीर भाव से इस समय इस बात को कहना चाहता हूँ कि हम यह समझकर चले कि जिस प्रकरण को माननीय प्रतिपक्ष उठाना चाहते हैं वह विभागों के बटवारे को लेकर के है और जब मैंने इस बिन्दु पर हस्तक्षेप किया था तो उस समय इस बात को साफ तौर पर कहा था कि हमने जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पूरी तरह से अनुपालन कर रखा है और सदन की कार्यवाही के संचालन के लिए, किसी भी मंत्री को किसी भी विषय के लिए अधिकृत किया जा सकता है, इसलिए यह विषय संवैधानिकता का नहीं है और मैंने यह भी निवेदन किया था कि यदि संवैधानिकता का प्रश्न होता तो राय जानने के लिए हम ए0 जी0 को यहाँ पर बुला सकते थे। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने आपके विनिश्चय पर निर्णय के लिए रुकना भी गवांरा नहीं किया, संसदीय परम्पराओं में अच्छी बात नहीं है, मगर मैं थोड़ी सी उसकी गहराई में जाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, प्रातः काल में भी उन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया था, जिसमें जी0ओ0 और डी0ओ0 में अन्तर नहीं कर पाये।

मान्यवर, उनसे तथ्यात्मक भूल हुई है आज भी जो मुद्दा था स्वयं को मोपलास कर दिया था, यदि वे केवल इस प्रश्न को उठाते कि विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री को भी विभाग आवंटित नहीं हैं तब एक दूसरा प्रश्न पैदा होता। उन्होंने इसको बंटवारे से जोड़कर के कहा तो जो मूल सवाल था, जिसको वे कहते कि हमारी भावना यह है तो वह ढक गया, इसलिए सारी बातें पैदा हो गयी। मान्यवर, इसमें न केवल जो संवैधानिक आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की गयी है, बल्कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट थे, जो हमारी लेजिसलेटिव बिजनिस के भाग हैं, उनको भी गोपन से इस अधिसूचना की जानकारी दे दी गयी। दूसरा कारण जो मेरी समझ में आता है, उसके लिए मैं माननीय इन्दिरा हृदयेश को बधाई देना चाहता हूँ, कि जो बजट उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया उस बजट में कुछ कमियां ढूंढना बड़ा कठिन है। मैं ट्रेड यूनियन में भी रहा और दूसरे कई ऐसे संगठनों में रहा, जिसमें स्वभावतः एक एग्रेशन और क्रिटिकल होने की प्रवृत्ति रहती है। जो यह हमारी सरकार का बजट है, मैंने इसका क्रिटिकली भी एनेलेसिस करने की कोशिश की, तो पाया कि यह एक प्रकार से बिल्कुल परिपूर्ण बजट है जो राज्य के खजाने के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ाने की एक अच्छी हालत में है, यह इसको भी दर्शाता है। वह अपने आप में यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार अपने लोगों के ऊपर अनावश्यक कर लादना नहीं चाहता है। मान्यवर, बहुदा जो वित्त मंत्री होते हैं, उनकी यह टेंडेंसी होती है, किसी के हाथ में भी वित्त हो। वे नये संशाधन पैदा करने के लिए टैक्सेस का सहारा लेते हैं जो सबसे इजीयश कोर्स होता है और इन्दिरा हृदयेश जी ने उसको भी रोका है। मान्यवर, इसको रोकने के साथ–साथ अधिकतर होता यह है कि नॉन प्लान पर भार बढ़ता है तो वित्तीय घाटा बढ़ता है, यह बजट दोनों रूपों में

वित्तीय घाटे को मिनिमम रखने में सफल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सदन द्वारा जो कानून इस सदन में पारित किया गया था उस कानून का उन्होंने पूरी तरह से परिपालन करने का कार्य किया है और राजकोषीय घाटे को भी और वित्तीय घाटे को भी इन्होंने नियंत्रण में रखा है, इसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं।

मान्यवर, एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के पूरी तरह से उसकी परिधि के अंदर अपने को सीमिति करने के लिए बधाई देता हूँ। चूंकि लोक सभा चुनाव का समय है और किसी भी नेता की प्रवृत्ति होगी चाहे वह घाटा बढ़े, लेकिन वह खर्च को बढ़ाने का प्रयास करेगा। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बिना कोई कर्टेल किये ही वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखा है तो मैं इसके लिए इस सदन से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री को इस हेतु बधाई देना चाहें। मान्यवर, मैं इंटरिंग कर रहा हूँ, बजट भाषण का उत्तर माननीय इन्दिरा हृदयेश जी देंगी। माननीय इन्दिरा जी ने प्रत्येक विभाग के साथ पूरा न्याय किया है, आवंटन बढ़ाने में और शायद ही कोई ऐसा विभाग हो, मुझे तो ढूंढकर भी नहीं मिलता है, जिनका आवंटन बढ़ाया न हो। और उसको बढ़ाने के साथ–साथ जितने भी हमारे क्रिटिकल सेक्टर हैं, उनको भी इन्होंने अच्छा वित्त पोषण प्रदान किया है। आज मुख्यमंत्री के रूप में मैं बहुत हिम्मत के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि मैं इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य के विकास संबधी दबाव को झेलने की स्थिति में हूँ, क्योंकि मैं लम्बे समय तक सांसद रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जब मंत्री मुझसे ना कहता है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मुझसे ना कहता है, तो मुझे भी थोड़ी देर के लिये झुरझुरी होती है, तो इस तरीके से मुझे जो इन्होंने उबारने का काम किया है, उसके लिये भी मैं उनको व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। स्टेट सेक्टर पूर्णतः वित्त पोषित है, यह एक क्वांटम जम्प है और सबसे ज्यादा जम्प हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान में है, जिसे मैं बहुत क्रिटिकल एरिया मानकर चलता हूँ। डिसेन्ट्रलाईज स्ट्रेटजी के अन्दर, विकेन्द्रीकृत विकास के ढांचे के अन्दर जिला प्लान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला प्लान एक प्रकार का फाइनेंशियल डिसीप्लेन और डेवलपमेंटल विजन दोनों के अपरिहार्य पहलू से आम आदमी को सम्बद्ध करने का कार्य करता है। मैं विधान सभा में कुछ भी कहूं, सेमिनार या फोरम में कुछ भी कहूं, वह सन्देश नहीं जा सकता है। लेकिन जिला प्लान का जो टूल है, वह टूल बड़ा इफेक्टिव टूल है, जिला प्लान के लिये हमारे वित्त मंत्री ने एक अच्छी रिसोर्स बैकिंग जुटाई है।

मैं अपने सभी प्रभारी मंत्रियों से प्रार्थना करना चाहूँगा और हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम और हमारे मंत्रीगण इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम जिला प्लान के अन्तर्गत शत–प्रतिशत टारगेट अचीव करेंगे। दूसरी चुनौती जो हमारे सामने है, उसे मैं यहां पर शेयर करना चाहता हूँ, वह है खर्चे को बढ़ाने का और इसे सामूहिक रूप से बढ़ाने का, इस बार हमें पिछले बजट को नियंत्रित करने का मौका नहीं है, फिर भी हमने कोशिश की है कि एक टैम्पो क्रियेट किया जाय, जिससे हमने और हमारे साथियों ने 1803 करोड़ के स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ताकि जो नीचे हमारी

मशीनरी है, जिसके माध्यम से यह पैसा खर्च होना है, उसको हम यह सन्देश दे सकें कि गवर्नमेंट इस बात को पुश कर रही है, बराबर इस बात के लिये दबाव पैदा कर रही है कि धन समय पर ज्यादा से ज्यादा खर्च हो और विकास कार्य सीधे धरातल पर दिखाई दे। हमारी और हमारी सरकार की यह कोशिश है कि वित्तीय वर्ष, जिसके लिये माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है, वित्तीय वर्ष के अन्दर समय पर योजनाओं को दे सकें और उनके खर्च करने की पद्धति को नियमित करने का काम कर सकें। उसको रेगुलेट करने का काम कर सकें। मान्यवर, होता यह है कि सारा खर्चा मार्च के नाम पर जोड़ दिया जाता है और यह प्रवृत्ति आज कल बहुत ज्यादा हो गयी है। यहां भी हो गयी है, सब जगह हो गयी है। मैं चाहूँगा कि हम छोटे राज्य, हम दूसरों के लिए एक अच्छा माडल डेवलप करें जिसके अंदर मार्च के अंदर हम बजाए 20 से 30 मार्च के बीच में इस बात के लिए भागने के लिए कि कहां–कहां मंजूरियाँ करनी हैं, कैसे खर्चे को एडजस्ट करना है, खपाना है, हम मार्च के आखिरी हफ्ते को जो हमने साल भर खर्च किया है, उसके परिणाम को धरती पर देखने के लिए लगाने का काम करें। यदि इस साल हमने चीजों के उद्घाटन के जरिये यह शुरूआत की है या शिलान्यास के जरिये शुरूआत की है तो इस वित्तीय वर्ष के आखिर में हमारी कोशिश यह रहेगी कि वित्तीय वर्ष के लिए जो बजटरी प्राविधान किये गये हैं, उनके कार्य धरातल पर उतरे हैं, उनको देखने में जो अंतिम समय हो वर्ष का, उसका उपयोग करने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष जी, यहां हमारे दोस्तों ने कुछ बातों की बड़ी आलोचना की, कुछ लोगों ने कहा कि एम0एल0एज0 को कान्फीडेंस में नहीं लिया जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि सत्तारूढ़ दल झूठे तरीके से काम कर रहा है। मैं अपने विपक्ष के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि वो आएं और मैं अधिकारियों से कहूँगा कि जितनी हमने रिलीजेज दी हैं, सेंक्शन के साथ, वित्तीय स्वीकृतियों के साथ, हमने सैद्धान्तिक स्वीकृतियाँ नहीं दी हैं, हमने वित्तीय स्वीकृतियाँ भी साथ–साथ दी हैं। हमारे दोस्त यहां होते तो मैं विस्तार से इन आंकड़ों में जाता, लेकिन ट्रेजरी बैंच की खाली सीटों को देख करके मैं आंकड़ों के बोझ से सदन को ज्यादा दबाव में नहीं रखना चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे पास उन कामों के लिए पूरा धन है। रहा सवाल विधायकों को, सम्मानित विधायक हैं हमारे। पक्ष हों या विपक्ष हों, मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हमने इन उद्घाटनों के, शिलान्यासों के अवसर में अपने विपक्ष के विधायकों को भी बुलाया। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ प्रकृति की ज्यादती कहिये या प्रकृति के बदलाव के कारण इन्दिरा हृदयेश जी हरिद्वार नहीं पहुँच सकीं। तो वहां हमारे विपक्ष के दोस्तों ने कहा कि हम ही खींच देते हैं डोरी। यदि उनको बुलाया नहीं गया था तो वो डोरी खींचने के लिए आये कहां से थे। एक साधारण उन्होंने शिष्टाचार भी नहीं अपनाया और साथ–साथ इसको एक आरोप का माध्यम बनाने का काम किया। मैं बहुत अदब के साथ इस बात को कह रहा हूँ जब मैं हरिद्वार से चुनकर आया, मैं उनके प्यार के बोझ में और आज भी अपने को दबा हुआ महसूस करता हूँ। उन्होंने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, समर्थन दिया। लोग मुझको राजनीतिक रूप से जानते थे, लेकिन उन्होंने मुझे

एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया। पहला इम्तिहान मेरे सामने था कि कुंभ ठीक हो। विपक्ष यहां पर है नहीं, मगर उनके एक मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं और दूसरे मुख्यमंत्री भूतपूर्व हैं। जरा वो अपनी स्मृति को टटोलें, मैं उनसे कहना चाहता हूँ टटोलें, कि कितना पैसा उन्होंने कुंभ के लिए मांगा था, जितना उन्होंने मांगा था हमने उसका सवा दो सौ प्रतिशत ज्यादा, इसे सवा दो गुना कहेंगे या क्या कहेंगे, जस्ट डबल से ज्यादा उनको पैसा दिलवाया और तरीके ढूँढे, यह पहली बार है कि सेन्ट्रल फोर्सेज जहां जाती हैं, उसका व्यय भार उस राज्य को उठाना पड़ता है, उसको शेयर करने का काम किया गया कुंभ के मामले में, मेडिकल सर्विसेज के मामले में हमने शेयर किया, सेन्ट्रल गवर्मेन्ट ने शेयर किया राज्य सरकार से।

मान्यवर, और हरिद्वार के अन्दर खुदाई अभियान चालू हुआ, रोज गली खुदती थी, रोज पटती थी। केवल साईं सम्पत्ति के नाम पर लगभग सात सौ करोड़ रूपया खर्च होने के बाद एक पुल बना, जो कहीं गिर न जाये, इस डर के मारे एक साल तक उस पर टेक लगा के रखा था, हरिद्वार के सदस्यगण हैं उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा होगा, यह डेम कोठी के सामने है। माननीय अध्यक्ष जी, जो छोटे-मोटे काम हुए भी इस पैसे से, मैं वहाँ का निर्वाचित सांसद था, केन्द्र सरकार में मंत्री था, इनको मालूम था, प्रधानमंत्री के पास पैसा लेने के लिए तो मुझको ले गये, मगर जिस समय पूरी तरह से केन्द्र पोषित योजना में, वित्त पोषित कार्य में पत्थर लगना था तो हरीश रावत के नाम का कहीं पत्थर नहीं लगाया। वही भाजपा के दोस्त हम पर आरोप लगाते हैं कि हमको नेगलेट किया जा रहा है, हमारी देखरेख नहीं की जा रही है, हमारी अवहेलना की जा रही है। अरे सूप कहे सो कहे, छलनी क्या कहे जिसमें सौ छेद। जिस समय भाजपा सत्ता में थी आप किसी से पूछ कर देख लीजिए, उन्होंने कभी भी प्रतिपक्ष के प्रति सहिष्णुता का भाव नहीं रखा। उस समय हमारे सदस्यों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे होंगे। मुझे आश्चर्य नहीं है कि वह सहिष्णु नहीं थे, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, उनका जो जन्म है, उनका जो सिद्धान्त है, उनका जो उद्भव है वह असहिष्णुता से है। वह जिस फिलाशिपी पर विश्वास करते है वह सबको लेकर नहीं चलती है। वह कुछ को एलीमिनेट करके सेवा करने की बात करती है। कुछ को आगे बढ़ा करके राजनीति करने की बात करती है। टालरेन्स उनके लिए एलियन वर्ड है, हमारे लिए टालरेन्स, कांग्रेस के लिए सहनशीलता, इसकी पहिचान है हमारा अस्तित्व है। जिस दिन कांग्रेस दूसरों का आदर करना भूल जायेगी, उस दिन शायद हम कांग्रेस में नहीं रह जायेंगे और गांधी हमको भूल जायेंगे। फिर उस दिन हम गांधी कहने लायक नहीं रह जायेंगे।

मैं आपको पूरी तरीके से यकीन दिलाता हूँ कि जब हमारे विपक्ष मित्र आयें न भी आयें, तो उनको सलाह दीजिए कि मेरे भाषण के इस अंश को पढ़ लें कि हम उनको पूरी तवज्जो देंगे। मगर आलोचनाओं का स्वागत है, लोकतंत्र बिना आलोचना के नहीं चलता। मुझे बेहद खुशी है हमारे बजट का सबसे ज्यादा क्रिटीकल एनॉलेसेस किया है,

वह क्रिटीकल एनॉलेसेस हमारे सदस्यों ने किया, एक का नाम शैलेन्द्र मोहन सिंघल और दूसरे का नाम गणेश गोदियाल, उन्होंने इसे अब्जेक्टिव तरीके से परखने की कोशिश की। हमारे विपक्ष के मित्रों के तरीके से उसकी आड़ में ऐसी चीजों को जो बुनियादी सवाल हैं, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इस बजट के माध्यम से वह हमारी आलोचना करेंगे। राज्य के विकास के लिए कोई ब्ल्यू प्रिन्ट देंगे। फिर वह कहने लगे कि इन्दिरा हृदयेश जी का बजट विकास की कोई नई शुरूआत ही नहीं दे पाया। कोई ब्ल्यू प्रिन्ट नहीं दे पाये, आम आदमी के ऊपर भार बढ़ाने का काम किया, दलित को, पिछड़े को, अति पिछड़े को, अल्पसंख्यक को, समाज के कमजोर तबके को, नौजवानों को और महिलाओं को इसने उपेक्षित करने का काम किया है, एक बात समझ में आती थी, शायद इस राज्य के लोग भी मीडिया के माध्यम से उस बात को हाईलाइट करते, वहाँ वह कोई कमी नहीं ढूढ़ पाये। हम पहले राज्य हैं जिन्होंने जेण्डर बजटिंग के लिए 37 परसेन्ट से भी ज्यादा का प्राविधान करने का काम किया।

मान्यवर, हम पहले राज्य हैं जिन्होंने राज्य के नौजवानों के लिए उनकी इंटलैक्ट बढ़े, कोई साईकिल आदि वह तो सब केन्द्र पोषित बजट है तो हमने अपने सीमित साधनों से भी, हमने कहा कि डिक्सनरी, नॉलेज बुक जैसी चीजें अपने छात्रों को देंगे। यह पहला साल है इसलिए हम इसको दलित नौजवानों से प्रारम्भ करेंगे और हो सकता है इस साल के आखिर-आखिर तक या अगले साल तक हम एक पूरी स्कीम डेवलप करके पूरे छात्रों को आच्छादित करने का काम करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि हमको कम्पटीटिव होना है। तो इस पर्वतीय राज्य के अन्दर हम तीनों चीजों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, जिसको हम इनवायरमेंट कहते हैं और जैव विविधता जिसका एक अंग है, जिसको हम जंगल कह सकते हैं और पानी कह सकते हैं और उसके साथ जुड़ी हैं हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं दूसरा हमारी युवा शक्ति उसको हारनैस करना है और वहीं से हमारी तरक्की का रास्ता निकलेगा। इसलिए मैं अपने प्रिडीसीसर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसमें हमारे बारह सदस्यों ने भाग लिया और मैं अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सीरिज ऑफ पॉलिटैक्निक्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेज और आई0टी0आईज तथा नर्सिंग कॉलेजेज, मिड वाईफ स्कूल्स आदि खोले। और हम जानते हैं कि यही आई0टी0आई जो स्कील डब्लपमेंट है, उसको हम एक मोटो के रूप में लेना चाहते हैं आज हमारे पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि स्किलिंग इण्डिया, यह हमारे लिए भविष्य का रास्ता बनायेगा और दक्ष मानव तैयार करना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश ने पांच करोड़ दक्ष मानव तैयार करने का लक्ष्य रखा है और इस राष्ट्र लक्ष्य के साथ, चाहे हमको कोई उपाय करने पड़े और कहीं से संसाधन जुटाने पड़े हम पीछे नहीं रहेंगे बल्कि कुछ आगे चलने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने नौजवानों में इतनी दक्षता पैदा करने का काम कर सकें कि उनकी दक्षता का लाभ देश ले सके और दुनिया, लेने का काम कर सकें। आज स्किल्ड मैन पॉवर जिसके पास है, उसके पास भविष्य है। हम चाहेंगे कि अपनी शिक्षा को इस तरीके से इंटरलिंक करें ताकि जो यहां शिक्षित हो रहा है आगे

चलकर स्वतः प्रशिक्षित होने का काम करेगा और उसके लिए आने वाले दिनों में हम एक बड़ी कार्य योजना बनायेंगे और हमने जो इन्फ्रास्ट्रकचर की शुरूआत है और जो स्वीकृतियां दी है, उनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर का डब्लपमेंट करेंगे और इन्फ्रास्ट्रक्चर को हम एक सेन्टर ऑफ एक्सीलेंट के रूप में हम इन आई0टी0आई0 और पॉलिटैक्निको को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और हम शुरूआत कर सकते हैं इस बात के लिए कि अपने कुछ पॉलिटेक्निक और कुछ आई0टी0आई0 से ताकि हम उनको पहले एक रोल मॉडल के रूप में पहले खड़ा करें और वहां से फिर हम आगे की ओर चलें। इसलिए मैं तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित जितने भी लोग हैं और यदि अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं यदि नहीं सुन रहे हैं तो मेरी बात को पढ़ेंगे और छः माह के अन्दर हम इस क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके लिए हम एक रोड मैप लेकर इस सदन के सम्मुख आयेंगे और आपके आशीर्वाद से हम उस मैप को पूरे प्रदेश में लान्च करने का काम करेंगे और हम अपनी स्कूली शिक्षा को भी एक नई दिशा देना चाहते हैं और भारत सरकार भी देना चाहती है और मॉडल स्कूल और डिग्री कालेज भी भारत सरकार की एक योजना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, उस योजना के साथ हम अपनी योजनाओं को इन्ट्रीग्रेट करने की कोशिश करेंगे और हमने एक पहल की है कि प्रत्येक विकास खण्ड में राजीव गांधी अभिनव स्कूल की स्थापना करेंगे। जो पूरी तरह से बॉडिंग स्कूल होगा। (मेज की थपथपाहट)

मान्यवर, उनमें हम वरीयता उन बच्चों को देंगे पढ़ने के लिए जिन स्कूलों में आज अध्यापकों की कमी के कारण बच्चे नाम मात्र के रह गये हैं, जहाँ 1 से लेकर के 10 बच्चों में प्राईमरी स्कूल संचालित हो रहा है, उनको ज्यादा प्राथमिकता देंगे, उन बच्चों को पूरी तरीके से वहाँ लायेंगे ताकि उन बच्चों के माँ–बाप का जो दर्द है, आह है कि गरीबी के कारण हम बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हम उनसे कह सकें कि आपके पास एक सहृदय सरकार है और आपके पास एक सहृदय वित्त मंत्री है, उन्होंने यह प्राविजन किया है इसीलिए हमने अपने संसाधनों को देखते हुये भी इस योजना को लान्च किया है और इस वर्ष में हम शुरूआत करेंगे और अगले वर्ष तक इसे हम पूरा करेंगे। मेरे दोस्त कहते हैं कि कह तो बहुत दिया पर पैसा कहाँ से आयेगा, चिन्ता हमें होनी चाहिए थी और मैं आभारी हूँ खाली पड़ी विपक्ष की बैंचों का कि उनको हमारे लिए दर्द है और शायद यही संसदीय लोकतंत्र के अन्दर ताकत भी है, विशेषता भी है कि वो हमारे लिए चिन्तित हैं कि हम संसाधन कहाँ से पैदा करेंगे, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि हमने उतना ही काटा है जितना कपड़ा हमारे पास उपलब्ध है यह तो पहली बात है और दूसरी बात यह है कि हमने उसमें इनोवेशन लाने की कोशिश की है, हम बहुत जल्दी एक नई स्कीम अपने लोवर–2 मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए लॉन्च करना चाहते हैं, रोजगार एपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि बहुदा यह कहा जाता है कि पहाड़ों में इन्वेस्टमेण्ट नहीं आ रहा है, ऊपर की तरफ इन्वेस्टमेण्ट नहीं आ रहा है तो हमने अपने तरीके का एक पी0पी0पी0 मॉडल डेवलप करने की बात सोची, जिसके अन्दर हमने स्कूलों में, जिसमें

राजीव गाँधी अभिनव स्कूल हैं और धीरे–धीरे हम सभी क्षेत्रों में बढ़ायेंगे, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक और कल हो सकता है तहसील, डिग्री कॉलेज आदि–आदि, हम जमीन उपलब्ध करवायेंगे, बैंकिंग गारण्टी उपलब्ध करवायेंगे ताकि उनको फाईनेन्स मिल सके और उनके साथ रेन्टल एग्रीमेण्ट करेंगे और हम उनसे कहेंगे कि नक्शा हमारा, जमीन हमारी और बनायेंगे आप हमारे नक्शे के अनुसार, रख–रखाव आप करेंगे और हम प्रति माह या प्रति वर्ष इतना रेन्ट उपलब्ध करवाने का काम करेंगे, एफ0सी0आई0 ने इस मॉडल को अपनाया था, सेन्ट्रल हाऊसिंग कॉर्पोरेशन ने इस मॉडल को अपनाया था, इट इज वर्किंग वेल विदइन इन्टायर कन्ट्री और उसको थोड़े से इम्प्रूवमेण्ट के साथ, अपनी लोकल कण्डीशन को देखते हुये हम अपने यहाँ भी लॉन्च करने का काम करेंगे और मैं पक्ष–विपक्ष के दोनों मित्रों से चाहता हूँ कि इसको सक्सेस की तरफ लेकरके आयें, पिछले 30 साल से जो हमारे उत्तराखण्ड की ग्रोथ हिस्ट्री है, उसको नजदीक से देखेंगे, यह अलग बात है कि पहाड़ों में कुछ गरीबी बढ़ी है और मैदानी क्षेत्रों में समृद्धि बढ़ी है, इसीलिए हमारा पर कैपिटा इन्कम और टोटल जी0डी0पी0 इस समय बहुत हाई है, कल जब फाईनेन्स कमीशन आया था तो उन्होंने हमसे पहला सवाल यही किया कि वी आर वेल प्लेस्ड तो हमने बताया कि इसमें कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है, हमारे 3 जिलों के ऊपर सारे राज्य की गरीबी के बोझ से लाद देंगे। मैंने चीमा जी की बात को सुना तो उन्होंने एक बहुत ही पर्टीनेन्ट प्वाइंट उठाया, उन्होंने कहा कि सब आबादी एक जगह आ जायेंगे तो नीचे जो सिविक एनिमिटी है उसका मैनेजमेण्ट कठिन हो जायेगा, इम्बैलेंस क्रियेट हो जायेगा, यह किसी भी हालत में हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है, ऊपर जो डेवलपमेण्ट के लिए पैसा खर्च हो रहा है उसका रिटर्न नहीं मिलेगा और नीचे हमारे लिए सिविक एनिमिटी क्रियेट करना बड़ा कठिन काम हो जायेगा, हमारी जो खेती है, जो हमारे मेन स्टेम है वह बिखर जायेगा, बर्बाद हो जायेगा।

मान्यवर, इसीलिए हमने यह देखा कि कुछ संवृद्धि बढ़ी है। लोगों के पास पैसा आया है और जिनके पास पैसा आया है वे और बेहतर तरीके से उस पैसे का यूटीलाईजेशन करें, इसके लिए एक अपरच्युनिटी विंडो के रूप में जो उत्तराखण्ड का अपने बजट का जो पी0पी0पी0 मॉडल होगा, उसके माध्यम से हम उनको अपरच्युनिटी क्रिएट करने का काम करेंगे। यदि इसमें हमारे सभी माननीय सदस्यों एवं मीडिया का सहयोग मिल जाग तो यह मॉडल अपने आप में एक नायाब मॉडल होगा और यहां की ग्रोथ में वृद्धि होगी। मान्यवर, हमारे लिए दोनों खेती बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं, एक तो तराई की खेती और दूसरी पर्वतीय खेती। मुझे अफसोस इस बात का है कि इस सम्बन्ध में हम अभी तक कोई सफल मॉडल नहीं निकाल पाये हैं, जिसके जरिये हम इन दोनों खेती को इंटीग्रेट कर सकें और इसको एक–दूसरे के पूरक बना सकें। मान्यवर, इसके अभाव में नीचे की खेती अपनी गुणवत्तता छोड़ रही है, जमीन अपनी गुणवत्तता छोड़ रही है और जो पर्वतीय क्षेत्र की खेती है वह जितनी अनुत्पादक थी, उससे ज्यादा अनुत्पादक हो रही है, यहां पर किसान अपनी खेती छोड़ रहे हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर लोग गांव के गांव छोड़ रहे हैं। कुछ दैव मार दे रहा है तो कुछ शैव मार दे रहा है। शैव इस

रूप में मार रहा है कि साहब के कानून के कारण बंदर, सुअर सब उन पर चिपट पड़ रहे हैं, तो लोगों ने खेती छोड़ दी है, इसके परिणाम बड़े दूरगामी हैं, जिन्हें इस राज्य के नियोजन के साथ जुड़े तमाम लोगों को समझना पड़ेगा। मैदान और पहाड़ दोनों को समझने की जरूरत है। गांव में हमने सीसी मार्ग बना दिये हैं, जब ऊपर की सार में बारिश आ रही है, तो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। स्प्रिंग्स, जिसके सम्बन्ध में अभी माननीय पेयजल मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी को प्रश्न का जवाब देना कठिन हो रहा है, चूंकि डायनिमिक्स बदलता जा रहा है और पेयजल योजनाएं हर साल फेल होती जा रही हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि पानी जमीन के नीचे नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण माननीय सुरेन्द्र सिंह नेगी जी के हैण्ड पम्प फेल हो रहे हैं। नौले सूख रहे हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि हमने ऊपर की खेती छोड़ दी है। बड़े पैमाने पर ऊपर बंजर खेत हो गये हैं और यहां से बारिश का पानी, जब नीचे आ रहा है तो सीसी मार्ग में आने पर वह बुलेट बन रहा है।

मान्यवर, जितने लोगों ने भी कभी ऊपर से हमारे गांव को देखा होगा तो गांव का नीचे का हिस्सा छिला हुआ दिखायी दिया होगा। मान्यवर, आधे से ज्यादा गांव नीचे की ओर छिले हुए दिखायी देते हैं। जो यह बाढ़ आयी है इस बाढ़ में बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी यही रहा है। मान्यवर, हमारे गधेरे और नौले नीचे आकर इतना बोरा जा रहे हैं कि उनसे भारी मात्रा में भू-कटाव हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, भू-कटाव के साथ-साथ जान-माल का भी भारी नुकसान हो रहा है, बहुमूल्य जमीन भी बरबाद हो रही है। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, हमने सर्वे नहीं कराया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रतिवर्ष हम एक से लेकर डेढ़ प्रतिशत तक जो बेस्ट एग्रीकल्चरल लेण्ड है, उसको खोते जा रहे हैं। मैदान की जो बहुमूल्य जमीन है, उसको भी हम खोने का कार्य कर रहे हैं। यदि हमारा टिहरी डेम न हो तो हरिद्वार का वाटर लेवल भी ऊधमसिंह नगर की तरह क्रिटिकल हो जायेगा। मान्यवर, पहले जहां हम ऊधमसिंह नगर में तीन फसल लेते थे, आने वाले दिनों में तीन फसल लेना कठिन है। इसलिये वहां के किसानों ने, क्योंकि वहां का किसान बहुत इनोवेटिव किसान है, उसने अपना ध्यान फलों-फूलों की खेती, अदरक और अन्य चीजों की खेती की ओर बांट लिया है। वह इनलाईटिस किसान है, लेकिन जो इनलाईटिस किसान है, उसके लिये जिन्दगी को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिये हमने कोशिश की है, जो बरसाती खेती करने वाला किसान है, हम उसको प्रोत्साहित करें। इसलिये हमने पेंशन की स्कीम को लागू करने का फैसला किया है और मेरे मित्र मेरे इस संकेत को समझेंगे कि आने वाले समय में जो हमारे सीमान्त कृषक हैं, जो सूखी खेती वाले कृषक हैं, यदि वह खेती कर रहे हैं तो हमारे उत्तराखण्ड की जो सब्सिडाईज योजना है, प्रीतम सिंह जी, भारत सरकार की जो खाद्य सुरक्षा योजना है, उसमें हमने कुछ लोगों को अतिरिक्त रूप से सम्मिलित किया है, जो उसमें जितने भी हमारे खेती करने वाले सीमान्त कृषक हैं, उनको उसमें सम्मिलित करने का काम करें, ताकि उनको भी सब्सिडाईज फूड मिल सके। उन्हें प्रोत्साहित करें कि खेती करें, अनाज पैदा हो या न हो, हमने पेंशन के लिये भी घोषणा की है। मैं धन्यवाद देना

चाहता हूँ, पता नहीं कहां से इन्दिरा जी इतना धन निकालने का काम करेंगी। हम जो अभी आबकारी पालिसी लेकर आयेंगे, उसमें भी हम एक नई विंडो क्रियेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहां फल–फूल कैसे हो पायेंगे, आज हम हिमांचल और जम्मू को कम्पटीट नहीं कर पायेंगे, वह बहुत आगे निकल गये हैं, क्योंकि उनकी बागवानी 90 प्रतिशत कलम आधारित है, जब कि हम अभी भी बीजों पर ही निर्भर हैं। हम हार्टीकल्चर मिशन का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाये, मैं भारत सरकार में कृषि देखता था, इसलिये इसे बहुत शिद्दत से जानता हूँ। लेकिन अब हम करेंगे, इसीलिये हमने बजट में मदर नर्सरी की बात की है, इसी में हमने मोबाइल लैण्ड टेस्ट लैबोरेट्री की बात की है, ताकि हम किसान को इसकी सेवा दे सकें, ताकि उन्हें मालूम हो सके कि हमें कहां पर नारंगी लगानी है, कहां पर नींबू, कहां पर सेब और कहां पर अखरोट लगाना चाहिये, जमीन एल्केलाइनिक है या एसेडिक है, क्योंकि इन चीजों का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, इसलिये हमने इसको भी अपने प्रोविजन में शामिल किया है। दो चीजें हम बड़ी करने जा रहे हैं, जिस पर मैं चाहूँगा कि हमारे राज्य के लोगों की तवज्जों इस तरफ जाये। मैदानी क्षेत्रों में हमारा पॉपुलर है, इसलिये हरिद्वार के विधायकगणों से विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि पॉपुलर गन्ने के लिये एक बड़ी चुनौती बन रहा है, धान के लिये चुनौती बन रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पॉपुलर मत लगाइये, लेकिन इसे सीमा के अन्दर रहने दीजिये। कहीं ऐसा न हो, पहले पॉपुलर ने हमारे आम के बागान खा लिये और अब कहीं गन्ने को न खा जाय। मैं लड़कर के भी, बड़ी कोशिशें करके भी गन्ने के मामले में ज्यादा सुधार नहीं ला सका, यह बात अलग है कि उत्पादन के मामले में हरिद्वार जो चौथे नम्बर पर था, उसे मैं पहले नम्बर पर अपनी कोशिशों से लाया। इसलिये हमने यह भी निश्चय किया है कि हम एक गन्ना बीज कोष की स्थापना करेंगे, ताकि आप पॉपुलर की तरफ न जांय और गन्ने के बीच में आप फलदार वृक्षों के रोपण का कार्य करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बार 40 हजार अमरूद के वृक्ष बांटे, जो दो साल में फल देता है, उसमें नीचे मिट्टी लगी होती है, जब मैं वापस लौट रहा था तो देखा कि उस पौध से बच्चे गदा युद्ध कर रहे थे। मान्यवर, जो 02 साल में फल देता है। वो नीचे की तरफ मिट्टी लगी होती है, जब मैं बांटने के बाद कुछ जगह से वापस लौटा तो गांव के बच्चे उससे गदायुद्ध कर रहे थे। तो मैं समझ गया कि हरीश रावत अभी नीचे तक नहीं पहुँचा है तो हमको नीचे तक पहुँचना है, मैं अपने विधायकगणों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि लोगों को बताईये, प्रेरित करिये हम बीच परिवर्तन के काम में आपकी पूरी मदद करेंगे, पूरे संसाधन जुटाएंगे, ताकि आप गन्ना उत्पादन की तरफ, अपनी परम्परागत खेती की तरफ, बागवानी की तरफ, मेडों में, उनमें उसको करें। उसके लिए हमने एक योजना डेवलप की है। मैदानी क्षेत्रों के लिए फलदार वृक्षों की और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हमने चारा प्रजाति जिसमें बांस, बांज, भीमल, सिमल, खड़क आदि। मैंने अल्मोड़ा स्थित अनुसंधान संस्थान को पत्र लिखा है कि आप इनकी उत्पादकता को बढ़ाईये, ज्यादा पैदा करने की क्षमता को बढ़ाईये। पहाड़ों के अंदर यदि हम क्रांति ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं तो वहां हमारे पास तीन ही रास्ते हैं। एक तो स्किल

डेवलपमेंट एजुकेशनल उसके लिए। दूसरा हम ला सकते हैं कि जो खेती है परम्परागत, उसको उसी तरीके से उसका उन्नयन करने का काम करें, उसको डेवलप करने का काम करें। उसमें नये इनोवेटिव आईडियाज को इन्ट्रोड्यूज करके लाने का काम करें और पशुपालन के साथ उसको जोड़ने का काम करें। इससे जो इन्वायरमेंटल कॉज भी है हमारा, वो भी फुलफिल होगा। जो आज हमको दिक्कतें आ रही हैं कि ग्रीन कवर घटने की वजह से हमको सड़कों आदि की सैंक्शन मिलने में कठिनाईयाँ आ रही हैं, वो कठिनाईयाँ भी हमारी दूर हो सकें। इसलिए हमने इस प्रयोग को यहां लाने की कोशिश की है। मैं आप सबको यह भी बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि इस समय जो दैवी आपदा में हमें मिला है पैसा रिकान्सट्रक्शन पैकेज के रूप में, उसके एमाउन्ट को मुझे बताने की जरूरत नहीं है 7981 करोड़, हमने इसकी बहुत ही जुडीसियश यूज की उपयोग कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए इसमें आप जमीन को बचाने के काम में इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करवा लें इसीलिए जो सिंचाई मंत्री होंगे हमारे, मेरी समझ से वो सबसे बड़े मंत्री होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग उन्हीं के पास होगी, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बाढ़ नियंत्रण एक बड़े रूप में आया है।

आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं सुबोध उनियाल जी, पिछले 25 सालों के अंदर बाढ़ नियंत्रण में जितना पैसा हमको मिला है, उतना अकेला वाटर रिर्सोसेज मिनिस्ट्री में अभी जिसकी टी0ए0सी0 करवा करके भारत सरकार के पास आगे भेज करके उसकी स्वीकृतियों के लिए मैं दे करके आया हूँ, अकेले उतना पैसा है। (मेजों की थपथपाहट) और जो हम दैवी आपदा की मद में कर रहे हैं, वो पैसा अलग है, वो पैसा अलग है, उसमें एक बड़ी धनराशि है, तो इस पैसे का कैसे उपयोग हो। अभी हमारे अधिकारी ऊपर बात कर रहे हैं कुछ कन्सलटेंट से, हमने कहा भई हम केवल सड़क खोदने का काम नहीं करेंगे, हम अपनी नदियाँ, जहां उन्होंने काट-पीट कर दी है, उससे कुछ जमीन को निकालने का काम भी करेंगे, बचाने का काम भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास जमीन है कहां 67 परसेंट, जिसके पास जंगल हो और इतनी आबादी के लिए जमीन जुटेगी कहां से, तो हमको एक-एक टुकड़े को बचाना है तो हमने कहा कि आप हमको वो तरीका बताईये जिससे हम उस जमीन के बचाने का काम कर सकें और उसके लिए जो हाईयेस्ट परसेप्शन वाले हमारे कन्सल्टेंट हैं, हम उनका उपयोग करेंगे। उसमें हम चाहते हैं कि आप लोग एक सजग प्रहरी के तरीके से काम करें आज तब यह नही चलना चाहिए कि साहब, इस बाढ़ में बना, अगली बाढ़ में बहा, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है।

मान्यवर, यह मत भूलो, यह पैसा भारत के लोगों के टैक्स की कमाई का है, जो हमारे लिए आ रहा है, रिकन्सट्रक्शन के लिए। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि प्राण रहें न रहें, मगर उत्तराखण्ड का सम्मान रहना चाहिए। इस एक-एक पैसा का जुडीशियस उपयोग, इसको सुनिश्चित करें और उसमें आप सबको अपने-अपने तरीके से एक वाच डॉग के तौर पर काम करना है, एक निगरानी करनी है चीजों की ताकि हम इसका भरपूर

उपयोग कर सकें, अलग–अलग क्षेत्रों में कैसे खर्च होगा, क्या खर्च होगा, इस पर हम बहुत कुछ कह चुके हैं। हमने एस0डी0एम0 के लेविल पर प्रोजेक्ट एम्पलीमेन्टेशन यूनिट बना दी है, एक करोड़ तक के खर्च के अधिकार उनको दे दिये हैं। एक प्रोजेक्ट में एक करोड़ लगना है तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा काम या संबंधित मंत्रियों का काम यह होगा कि वहाँ के एस0डी0एम0 या डी0एम0 के खाते में उतना पैसा चला जाये। उनको अनुमति के लिए डी0एम0 के पास आने की भी जरूरत नहीं है। हम पाँच करोड़ तक के लिए वहीं जिले में मैकेनिज्म खड़ा करेंगे, प्रभारी मंत्री इसके लिए अधिकृत होंगे। एक करोड़ का अर्थ केवल एक करोड़ खर्च करना नहीं है, एक करोड़ से ले करके जिस पी0आई0यू0 के अन्दर जितने भी खर्च की जरूरत होगी, वह पी0आई0यू0 एक करोड़ तक के प्रोजेक्ट बना करके उनको वहीं स्वीकृत करने का अधिकार अपने पास रखेंगी। यह एक प्रकार से रि–कन्सट्रेक्शन के काम को एक्सपर्टाईज करने के लिए किया गया है। आठ क्रिटीकल जौन के लिए हमने अलग तरीके के योजनाओं का निर्माण करने का काम किया है और जो केदार नाथ पैदल मार्ग निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है, उसके लिए हमने एक अलग तरीके की रणनीति बनाने का काम किया है और मुझे उम्मीद है कि केदार बाबा के आर्शीवाद से हम सब मिल करके सारे उत्तराखण्डवासी देश के लोगों के लिए केदारनाथ यात्रा मार्ग को खोल सकेंगे और वह सब आपके सहयोग से सम्भव हो पायेगा। हम कुछ नये ग्रोथ जौन पर्वतीय क्षेत्रों में, हमारे एकोनॉमिक ग्रोथ जौन बदल गये, सड़कों के निर्माण की धारा के साथ। मैंने एक एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर इनसे कहा है कि टोकन बजट रखें। आप जितनी नदी घाटियाँ चाहे नयार हो, चाहे रामगंगा हो, चाहे कोसी हो, चाहे काली है, इनके किनारे–किनारे स्टेट हाईवे, इक्यूविलेन्ट टू नेशनल हाईवे हों, हम रोड का निर्माण करें। ताकि ये जो घाटियाँ हैं ये नये ग्रोथ जौन के रूप में बदल सकें।

मैं जानता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये गरम घाटियाँ होती हैं, यदि इनमें खाली कॉटी आम भी पैदा हो जाये, यह मदन विष्ट से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, इनके चौखुटिया के आम दिल्ली के बाजारों को गुंजायमान करने का काम करती हैं और दो महीने जितने ट्रक चौखुटिया की तरफ को जाते हैं, उतने ट्रक शायद ही कहीं को जाते होंगे। हम इस कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से माननीय अध्यक्ष जी, हमारी इस बात की कोशिश है कि हम बहुत सारी चीजों को इस रूप में आगे बढ़ायें ताकि हम यह कह सकें कि हमने राज्य के लिए कुछ अभिनव प्रयोग किये हैं, शुरूआतें की हैं। उसमें कुछ का मैंने अभी जिक्र किया है, कुछ का आने वाले दिनों में हम उसकी जानकारी देने का काम सदन में करेंगे। हम अहिल्याबाई होल्कर के नाम से एक योजना प्रारम्भ कर रहे हैं, वह है भेड़ बकरी पालकों के लिए, हमारी भेड़ बकरी पालक एक बड़ी जमात है। (मेजों की थपथपाहट) मुझे आश्चर्य हो रहा है हमारे हरिद्वार के विधायकगण मेज थपथपा रहे हैं। क्योंकि इनका वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा भेड़, बकरी पालक है। उसी तरह से हमारे सीमान्त क्षेत्रों के विधायकों का भी एक बड़ा हिस्सा भेड़, बकरी पालक है। हमने उसके लिए न केवल बकरी खरीदने, बल्कि उनके लिए सीप कैपिटल उपलब्ध कराने की बात करेंगे। इसके लिए हमने एक कारपस, अभी तो हमने बहुत नॉमीनल मनी के साथ प्रारम्भ किया है, लेकिन हम वह कारपस भी इसमें खड़ा करने का काम करेंगे।

मान्यवर, दूसरी बात जो बड़ी चुनौती के रूप में है, जिसको हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और डोली–पालकी सुधार के जनक जयानन्द भारती जी के नाम पर शुरू करने का काम किया है, माननीय श्रीमती अमृता जी (मेज की थपथपाहट) आप खुश हुई तो हम आपके आभारी हैं। इस योजना के माध्यम जो पर्वतीय क्षेत्रों का पूरा शिल्प है और जो मर गया है, कोई ताकत नहीं है और कोई नहीं कह सकता है चाहे आप बी0एड0 खोल दीजिए तो बी0एड0 प्रशिक्षिक आपके घेराव के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके पास उनको खपाने की ताकत नहीं है। आपने अपने परम्परागत शिल्प को छोड़ दिया। आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद में मैशन के नाम पर जब वहां एक संस्थान खोल सकते हैं, पत्थर की कार्विंग करने के लिए, लकड़ी की कार्विंग करने के लिए, लोहे की कार्विंग करने के लिए और उस टैक्नोलॉजी को सिखाने के लिए वह ऐसा कर सकते हैं तो हमारे उत्तराखण्ड के अन्दर जाति के नाम से, टम–टम करने से जो है टम्टा पड़ गया और कई दुनिया के अन्दर, शिल्पी का मतलब है टैक्निशियन और हमारे यहां शिल्पकार हैं हमने उन शिल्पकारों को खो दिया और हमने प्रदेश के आधे–आधे गांव को उजाड़ दिया।

मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारे कई मुख्यमंत्री आयेंगे और जायेंगे, मगर हमारे सामने बड़ी भारी चुनौती है कि हम अपने उत्तराखण्ड के इन परम्परागत शिल्पियों को, जिन्होंने देश को शिल्प शब्द दिया है तो उनके गांव में और घरों में उनको रोजगार देने का काम करें। (मेज की थपथपाहट) मैं उसके लिए एक टास्क फोरस का गठन करने जा रहा हूँ। जो इस काम को शुरू करें। हमारी कुछ परम्परागत चीजें हैं, संस्कृत अकेले हमारे पांच प्रतिशत हिस्से को खाना खिला सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर यदि कभी–कभी पूजा–पाठ करनी होती है तो पंडित जी हमें मिलते ही नहीं है। इस बार मैंने सोचा कि अपना मुहुर्त दिखाऊंगा कि किस समय देहरादून को जाऊं तांकि आपका आर्शीवाद ले सकूँ, उसके लिए मुझे पंडित जी नहीं मिल पाये और जितना हिन्दुस्तान समृद्ध हो रहा है, उतनी पूजा–पाठ ज्यादा हो रही है, जिसके पास होता है और वह खेत में थका हारे आदमी को क्या दिखाई देता है, आजकल मैं खेत गाड़ने में लगा हूँ तो मुझे न भगवान दिखाई दे रहे हैं न कुछ दिखाई दे रहा है और रात के दो बजे बिस्तर ही बिस्तर दिखाई देता है। तो हर गरीब की यही कहनी है। माननीय नवप्रभात जी, जब समृद्धि होती है तो भगवान ज्यादा याद आते हैं। विकास नगर में तरक्की गयी तो विकास नगर के लोग पूजा–पाठ ज्यादा करते हैं, महासू देवता के लिए वहां जितनी चकराता से लाईन नहीं लगी रहती है उससे ज्यादा विकासनगर से लाईन लगती है। यह हमारे जीवन की हकीकत है। हम अपनी संस्कृत को एक अलग विभाग के रूप में डब्लप करेंगे। जो संस्कृत को कर्म काण्ड और दूसरी चीजों से जोड़ने का काम कर सके और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग तरीके की छात्रवृत्ति की शुरूआत का काम करेंगे ताकि वो प्रोत्साहित हो सकें और हमारे जो पुजारी लोग हैं, हमारे घर जब 70 साल के पंडित जी पूजा करने के लिए आते हैं तो उनके मंत्र भी ठंड से गड़बड़ा जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है तो मैंने कहा कि उनके लिए

अलग से पेंशन योजना होनी चाहिए और हम उनके लिए पेंशन योजना बनायेंगे (मेज की थपथपाहट) और हमारे ढोल, दमाऊ और ढोल–नाद, यह हमारा शिव नाद है यानी शिवजी का है। इनको बजाने वाले जो बाजीगर हैं, उनके लिए हमने कहा कि इसको बढ़ायेंगे, मौलियां तक और पादरियों तक। (व्यवधान)

मान्यवर, अपने जगरिये भी रखना है, सरिता जी सुझाव दें तो मानना पड़ेगा इसलिए इसके लिए नगरिये और जगरिये भी रखना पड़ेगा। मान्यवर, हमारी जो जातियां हैं यह हमारी पहचान हैं, हमारी संस्कृति हैं चउदास, दारमा, व्यास, जौनसार, बुक्साड़, थारू ये हमारे वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से हमारी संस्कृति पैदा होती है, धीरे–धीरे वक्त की मार कुछ तरक्की ने और कुछ कठिनाईयों ने, इनके सामने कई कठिनाईयां पैदा कर दी हैं, इस समय हम एक छोटी सी शुरूआत कर रहे हैं जो हमारा सांस्कृतिक विधाओं के संरक्षण का हिमालयन संग्रहालय है उसमें हम एक विंग बना रहे हैं स्वर्गीय गुलाब सिंह जी के नाम से, और उस विंग के तहत हम इन विधाओं को कैसे, जो इन क्षेत्रों की विधायें हैं, परम्परायें हैं उनको संरक्षण देने का काम कर सकें, वहाँ कुछ हो सके तो वहाँ के लिए हम एक अलग से कार्ययोजना लेकरके बाद में मैं आप सबके सम्मुख आऊँगा।

मान्यवर, एक बात जो हमारी सेहत से संबंधित है मैं उसकी तरफ आप सब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, कई हमारे गाँवों में प्रोटीन की कमी है और विशेषतौर पर जहाँ का मैं एम0पी0 हूँ क्योंकि नमक तो मैं वहाँ का ही खा रहा हूँ, तो जिसका नमक खाऊँगा उसका ढोल जरूर बजाऊँगा, तो वहाँ ब्लॉक के ब्लॉक प्रोटीन की कमी से ग्रस्त हैं तो हमने तय किया है कि 2 किलो नमक, 1 किलो दाल, 1 किलो पर्वतीय दाल, तो मैं चाहता हूँ कि जिसमें हम भट्ट और गहत को भी इन्टीग्रेट करें पूरे उत्तराखण्ड को, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, तो हमने कहा कि इसको पी0डी0एस0 के माध्यम से जोड़ेंगे, लिंक अप करने का काम करेंगे और इसका पूरा भार सरकार वहन करने का काम करेगी और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो खाद्य सुरक्षा है, उस खाद्य सुरक्षा में जो इनोवेशन किये हैं, सीमान्त कृषकों को भी इसमें सम्मिलित करने का जो काम किया है लगभग इस देश के अन्दर ऐसे राज्य होंगे जहाँ 90 प्रतिशत कवरेज होगी, जब मैं विशुद्ध पहाड़ी था और पहाड़ों पर चढ़ता था तो उस समय मैं अरबी घोड़े की तरह दौड़ता था, जब मैं दिल्ली गया तो गाँव–घर के घोड़े की तरह दौड़ने लगा और बाद में खच्चर के तरीके से गया और अब जब जाना बन्द हो गया तो घुटनों में भी दर्द है, बहुत सारी तकलीफे हैं और आज मैं समझता हूँ कि वृद्ध जन का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तराखण्ड के अन्दर बहुत बड़ी चुनौती है, कहाँ से संसाधन जुटेंगे मैं नहीं जानता, करेंगे कुछ एक्सरसाईज, हम वर्ल्ड बैंक से भी बात कर रहे हैं और दूसरों से भी बात कर रहे हैं, हम डाक्टर्स के लिए भी कुछ इनोवेशन लायेंगे, तो हमने यह तय किया है कि जिस मोबाईल सेवा की शुरूआत हमारी सरकार ने की है इसको हम और स्ट्रेन्थ करेंगे, ब्लॉक में हमारे बहुत सारे पी0एस0सी0 खुलवा रहे हैं, एडीशनल पी0एस0सी0 खुलवा रहे हैं तो यह जो पी0एस0सी0 हैं इनके बजाय हम एक बढ़िया सी0एस0सी0 बना लें।

मान्यवर, एक अच्छा सा (सी0एच0सी0) कम्युनिटी हैल्थ सेंटर बना लें। हमने यह तय किया है कि कम्युनिटी हैल्थ सेंटर के साथ हम अपने मोबाईल वैंस को भी जोड़ेंगे, ताकि हम मोबाईल टेस्टिंग फैसिलिटी गांव के दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंचाने का कार्य करेंगे। सी0एच0सी0 में हम हर तरह की सुविधाएं प्रदान करेंगे और इसके लिए हम एक अलग कैरियर ग्राफ बनाने का कार्य करेंगे ताकि वे सी0एच0सी0 के अन्तर्गत कार्य कर सकें और दूर–दराज के क्षेत्रों में भी हम बेहतर लाभ प्रदान कर सकें। हमने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ इसको किसी तरह से इंट्रीगेट करें, ताकि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाले राज्य के रूप में देश के अंदर उभर कर सामने आ सकें। अभी हमारे साथी माननीय यशपाल आर्य जी ने मुझसे कहा कि कुछ समाज सुधारकों के नाम से संस्थाओं का नाम रखा जाना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमने जो हमारे जनेऊधार के जनक थे, उनके नाम पर ऑलरेडी एक योजना लांच कर दी है। इसके बाद हमने यह तय किया है कि जितने हमारे समाज सुधारक देश के अंदर रहे हैं जैसे बाबा साहब फूले, अहिल्या बाई होल्कर, शहीद भगत सिंह, ऊधमसिंह आदि के नाम पर हम बड़े–बड़े संस्थाओं का नाम रखने पर कार्य कर रहे हैं।

मान्यवर, हरिप्रसाद टम्टा के नाम पर, चूंकि "हरि" नाम की परिकल्पना गांधी जी ने की थी, तो हम गांधी की हरि कल्पना को भूमि सुधार के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। मैंने इसकी कार्ययोजना बनाने के लिए ऑलरेडी कह दिया है। चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, हम इसके लिए अलग से कार्ययोजना बना रहे हैं। मान्यवर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम के नाम पर ऑलरेडी हम दो स्कीमों को लांच करने का कार्य कर चुके हैं। यहां पर हमारी यह भी कोशिश रहेगी कि हम आने वाले समय में एक अच्छा भूमि बैंक बनायें। आज आपने देखा होगा कि एक प्रश्न हमारे प्रतिपक्ष के लोगों ने उठाया और मेरे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी शिद्दत से कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी कि एक भूमि बैंक बनायेंगे। हम फोरेस्ट लेण्ड की अदला–बदली की भी योजना बना रहे हैं। मान्यवर, जिन गांवों को हम ऊपर से विस्थापित करने जा रहे हैं, उन्हें हम जंगल विभाग को सौंपेंगे और नीचे जो खराब स्थिति में जंगल हैं, उनमें हम लोगों का पुनर्वास कर सकेंगे और 6–7 महीने के अंदर हम इस बात को लेकर भारत सरकार के पास जायेंगे। मान्यवर, हमारे प्रदेश में जमीन, खनन आदि के सम्बन्ध में कई विवाद बढ़ रहे हैं, इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने खनन माफियाओं को नियंत्रण में लाने की एक शुरूआत की है। हम यह नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रदेश को एक साफ्ट स्टेट समझा जाय लोगों ने यह समझ लिया कि उत्तराखण्ड में आओ और क्राईम करके भाग जाओ। इसलिए हम एक–दो ऐसी टास्क फोर्स गठित करने पर विचार कर रहे हैं। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि पुलिस कमीशनरी वाला कंसेप्ट जो कई राज्यों ने अपनाया है, तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको एग्जामिंग करें कि क्या हम एक जिले से इसकी शुरूआत कर सकते हैं और उसकी फंग्सनिंग को देखने के बाद आगे के बारे में विचार करेंगे, कि जो हमारे बोर्डर जिले हैं, उनमें कानून व्यवस्था की स्थिति में हम कैसे सुधार कर सकते हैं। मैं विद्युत क्षेत्र में कहना चाहता हूँ।

श्री हरिदास–

मान्यवर, गन्ने के भुगतान के संबंध में भी घोषणा कर दीजिये।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, जो सुधार हम बिजली के क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस साल, जो आने वाला समय है, उसमें पिछले सालों के बनिस्बत न्यूनतम विद्युत कटौती रहेगी। हमने कई तरीके के सुधार सजेस्ट किये हैं, हम एप्रोच कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में एक तार बदल कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके लिये हम एक ब्लाक में दस–दस गांवों को ले रहे हैं। इसके लिये मैने कहा है कि आर0ई0सी0 या पावर फाइनेंस कार्यक्रम में जाइये और वहां से पैसा लेकर आईये। यदि डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को हमने कम कर दिया तो फिर आगे आने वाले दिनों के अन्दर उसमें सुधार भी कर सकेंगे और भी सुधार हम कर रहे हैं, इसे मैं अभी एलोब्रेट नहीं कर रहा हूँ, मगर हम उस दिशा में जा रहे हैं। प्रीतम सिंह पंवार जी, निश्चित रूप से हम श्री इन्द्रमणि बडोनी जी के नाम से हम एक योजना लांच करेंगे और जो हमने पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी की योजना शुरू की है, स्वैच्छिक चकबन्दी को हम व्यवसायिक करने का प्रयास हम कर रहे हैं, इसके लिये हम इस साल कोशिश करेंगे कि इस साल एक गांव को एक ब्लाक के अन्दर हम ले सकें। उसके लिये हमने 1 करोड़ की व्यवस्था की है, तो हम उस योजना का नाम इन्द्रमणि बडोनी जी के नाम पर रखेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, एक प्यारी सी चिट्ठी मेरे पास आई है, तो जिस दिन आप मुझे विधायक बना देंगे। (हँसी) मेरी बात आप समझ गये हैं। (व्यवधान) सरबत भाई, आपने कह दिया, आपकी मदद से तो हम सरकार चला रहे हैं, आखिर पैट्रोल के बिना गाड़ी थोड़े ही चलती है। तो आपके सुझाव पर हम ध्यान देंगे, मैं थोड़ा टाईम इसलिये ले रहा हूँ ताकि हमें भी आपकी दुआ–सलाम सही से मिलती रहे। (हँसी) मैं जल्दी ही इसे भी करूंगा, एक बड़ा अभियान हमने मलिन बस्ती सुधार का चलाया है और दूसरा पेंशन कम्पैन का अभियान चलाया है। इसमें हमने पायलट बेसिस पर जिला देहरादून को लिया है और मुझे उम्मीद है कि हम अगले कुछ दिनों के अन्दर 600 से अधिक पेंशन धारक बना लेंगे और इस योजना को हम सभी 13 जिलों में लेकर जायेंगे। इसमें जो हमारे वृद्ध हैं, विकलांग हैं, विधवायें हैं, हम उनकी संख्या बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं संख्या बढ़ाता या राशि बढ़ाता, मैंने संख्या बढ़ाने का कार्य किया है। मैं समझता हूँ कि हमारे साथी हमारे इस काम की प्रशंसा करेंगे। दूसरा काम हमने मलिन बस्ती को सुधारने का लिया है और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट को एक नये विभाग के रूप में लेने का काम किया है, इसके लिये हमने 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। दूसरा हम कैचमेन्ट एरिया डेवलपमेंट को एक नये तरीके से ले रहे हैं, उसके साथ पाश्वर डेवलपमेंट को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं और हमारी यह भी कोशिश है कि जो हमारी मलिन बस्ती सुधार का कार्यक्रम है, इसको इकोनामिकली ऐसी हालत में ला सकें, जिससे यह अपने आप में सैल्फ फाइनेंस हो सके, यह सालिड वेस्ट मैनेजमेंट। बहुत सारे देश ऐसे हैं, जो इसकी बिजली से कमाई कर रहे हैं।

मान्यवर, हम इसके कारण रो रहे हैं तो इसको एक कम्पेन के रूप में ले करके चल रहे हैं, हमने पूरा प्रोविजन ऑफ अरबन फैसेलिटीज इन रूरल एरियाज, एक कन्सेप्ट अब्दुल कलाम साहब ने दिया था, उस कन्सेप्ट को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए हमने यह तय किया है कि हम ड्रेनेज सिस्टम पर्वतीय क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले गांवों को और मैदानी क्षेत्रों में 5000 की आबादी वाले गांवों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम और अंदर की सड़कों के सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आर0ई0एस0 को एक मजबूत डिपार्टमेंट के रूप में डेवलप करेंगे। आर0ई0एस0 रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज को और इनान्स करने का काम करेंगे।

उद्यान मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

मान्यवर, शहरों की सफाई बहुत जरूरी है, जगह–जगह जो गंदगी का ढेर है, उससे हमारी छवि खराब हो रही है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैंने जानकारी ली थी यहां दो तरह का बंटवारा इन्होंने किया है। एक को एम0डी0डी0ए0 और जो दूसरे विंग हैं उनके हाथ में है कुछ, उनके माध्यम से नगर विकास के माध्यम से और दूसरा यहां के नगर निगम के आधार पर है। जो क्षेत्र, जो वार्ड नगर निगम के पास हैं, आज उनमें ज्यादा प्राब्लम है, दूसरे एरियाज के अंदर हमने कम्पेन चलाकर कुछ सुधारा है मैं कोशिश करूँगा कि जो नगर निगम के क्षेत्र में भी हैं, उन एरियाज के अंदर सुधार करेंगे। नंदा राजजात यात्रा के लिए क्योंकि अब समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी–जल्दी कह रहा हूँ, वो हमारा एक मेला है और हमने नंदा राजजात यात्रा ही नहीं बल्कि कलियर शरीफ को भी एक छोटे कुंभ के रूप में विकसित करेंगे। उसके लिए भी अलग से योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। (मेजों की थपथपाहट) मैं यहां पर आखिर में यह कहना चाहता हूँ कि यदि हम इस राज्य के लिए लड़ने वालों को भूल जाएंगे, उनको भूल जाएंगे तो बहुत कुछ (व्यवधान) गन्ने पर तो हमने कर दिया है। (व्यवधान) तीन कदम हरिदास जी, तीन कदम हम इस दिशा में उठा रहे हैं। पहला उठा चुके हैं। पहला तो हमने मंत्रिमंडल में यह फैसला किया है कि एकमुश्त किसान को 285–285 का एकमुश्त पेमेंट चीनी मिलें करेंगी। (मेजों की थपथपाहट) दूसरा कदम हमने यह उठाया है कि जहां बाढ़ग्रस्त गन्ना किसान हैं, उनको 10 प्रतिशत अधिक मुआवजा दिया जायेगा। तीसरा कदम हमने यह उठाया है कि हम गन्ना बीज बैंक बनाएंगे और उससे बड़े पैमाने पर गन्ना किसानों को आच्छादित करेंगे। (व्यवधान) मैं आ रहा हूँ उस पर और एक काम शैलेन्द्र जी, भारत सरकार ने कर दिया है। भारत सरकार ने यह तय किया और मुझे बहुत खुशी है, मैं अपने सहयोगी सुरेन्द्र सिंह नेगी जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि देश के अंदर पहले गन्ना मंत्री थे, जो जागे और इन्होंने इसके पेमेंट के लिए सापट लोन की बात कही और जब हमने प्राईम मिनिस्टर को अप्रोच किया तो प्राईम मिनिस्टर ने तीन बार चश्मा नीचे–ऊपर करके मुझको देखा और जब

शरद पवार जी के पास गये तो उनको भी लगा कुछ है तो उन्होंने हमको दूसरे मंत्री थामस साहब हैं, उनके पास भेजा, हम लोगों ने बातचीत की, फिर इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, फिर एक कारवाँ बना और सब लोग लग गये और आज मुझको खुशी है कि भारत सरकार ने 600 करोड़ से ज्यादा का जो है, एक पैकेज दिया है कन्सेशनल जिसमें जीरो टैक्स रेट पर ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा चीनी मिलों को और मैंने अपने जिलाधिकारियों से भी कह दिया है, विभाग के लोगों से भी कह दिया है और मैं यहां से भी सदन के आश्वासन के रूप में इस बात को समझा जाय कि हमारी चीनी मिलें उसका जल्द से जल्द लाभ उठा लें, उस कन्सेशनल पैकेज का, उसको हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिदास–

मान्यवर, ये तो नेगी जी चार महीने से कह रहे हैं इस बात को, लेकिन आप टाईम बांड बता दो कि एक महीने में, दो महीने में, तीन महीने में हो जायेगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री सरबत करीम अंसारी–

मान्यवर, अब तो इसको एक साल से ज्यादा हो गया है। यह तो काश्तकार के साथ सरासर ज्यादती हो रही है।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, आप तो करीम हैं जरा मुझ पर करम फरमाईये और लोगों पर भी करम फरमाईये। माननीय हरिदास जी, आप इकबालपुर को कहें कि आप अपने पेपर जल्दी फाईल करें और सरबत करीम साहब आप उत्तम को कहें कि आप अपने पेपर जल्दी फाईल करें। हम टॉप प्रायरेटी पर इस काम को देखेंगे ताकि गन्ना किसानों का भुगतान हो सके।

श्री हरिदास–

मान्यवर, पेंशन और भत्ता बढ़ाने की बात उठाई थी। मान्यवर, उसके बारे में कुछ कह दें। (व्यवधान)

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, ऐसा न हो इन्दिरा जी का इतना सुन्दर बजट केवल इसके चारों तरफ घिर जाये, इसलिए मैं इस समय कुछ नहीं कह रहा हूँ। मगर मैंने अपका संकेत समझ लिया है, मैं सदन की भावना का सम्मान करूँगा। मैं आप सबको जिन्होंने पार्टीसिपेट किया उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो वॉकआउट करके गये मैं उनको भी

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धन्यवाद करना चाहता हूँ, मीडिया के दोस्तों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो फुल गैलरी है मैं उसको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे बढ़ करके मैं इन्दिरा जी को एक मास्टर पीस यहाँ पर पेश करने के लिए, ताकि यदि मैटीरियल हो, नजीरें हों तो मुझ जैसा कमजोर वकील भी वकालत कर सकता है, ऐसा बजट इन्होंने पेश किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, विधायक निधि का और कह दीजिए, क्योंकि जिला योजना से विधायक बाहर हो गये हैं।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए मैंने इनसे कहा कि इसमें कट ऑफ 70 प्रतिशत रखो और उनके लिए हमने एक योजना शुरू की है, जिसमें हम लड़कियों को डेढ़ लाख देंगे और लड़कों को एक लाख रूपये का विशेष पुरस्कार देंगे।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, बहुत दिनों बाद कृषि अर्थ व्यवस्था के ऊपर कुछ सारगर्भित बातें सुनी। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपका चिन्तन है वह सही है। पर आपको विचार यह करना पड़ेगा कि ट्री प्रोटक्शन एक्ट को जब तक आप खत्म नहीं करते तब तक हार्टिकल्चर डेवलप नहीं होगा। यह इसी जमाने में लगा, जब फलों के बाग बहुत कटने लगे थे, अब इसका असर उल्टा आने लगा है कि लोग अब फल का बगीचा लगाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह यह सोचते हैं कि इसके बाद यह जमीन जंगलात विभाग की हो जायेगी। दूसरा हम चकबन्दी की बात कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लिए कन्ट्रेक्ट फार्मिंग का जो नया कान्सेप्ट आया है उसके ऊपर आप विचार करने की कोशिश करें। अभी हम उस प्रवर समिति से चर्चा खत्म करके उठे हैं, उसकी रिपोर्ट भी आयेगी। क्योंकि हाउस में पास हो गया था हमने परिवर्तन नहीं किया है। पर हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई जो हार्टिकल्चर को डेडीकेटेड यूनिवर्सिटी थी। अब हमने उसमें परिवर्तन करके उसको डायल्यूड कर दिया, अगर हम हार्टिकल्चर को वास्तव में विकसित करना चाहते हैं तो हमें इस यूनिवर्सिटी के इस डायलेशन कर ऊपर उसमें तीन चार विषय और जोड़ रहे हैं। हमें निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सरवत करीम अंसारी जी से कहा कि करम फरमाईये तो करम फरमाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उस समिति को चेयर किया आपने कहा और माननीय विधायकगणों की पीड़ा को देखा। मान्यवर, माननीय विधायकों की पीड़ा को देखा कि 8 वर्षों से जब हमने रेट रिवाईज नहीं किये हैं तो कम से कम इतना तो अब लगता ही है कि जो प्रतिपूर्ति भत्ते है और जो खर्च हमारे वापस किये जाते हैं तो उन पर आप कृपयापूर्वक जरूर ध्यान दें और विचार कर लें। ताकि इसका मकसद यह है कि हम अपने जनआकांक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

श्री हरीश रावत–

मान्यवर, मैं कल अपनी मंत्री परिषद की बैठक में इस विषय पर चर्चा करके क्या कदम उठाने हैं? वह कदम उठाऊंगा बाकि हम प्रेशर बेस एग्रीकल्चर पर जोर दे रहे हैं। वही कांटैक्ट फार्म का दूसरा रूप होगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट भाषण के हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अधिकांश माननीय वक्ताओं द्वारा उठाये गये प्रश्नों के बहुत सारे जवाब दे दिये हैं और कई विकासोन्मुख दिशा की ओर उन्होंने संकेत दिये हैं और मुझे भी यहां एक लम्बा समय हो गया है वर्ष 2002 से 2007 तक और इस समय, शायद इससे अच्छा किसी गरीब, निर्धन, उपेक्षित तथा वंचित कोई वर्ग नहीं बचा है जिनको हमने पेंशन या किसी न किसी प्रकार की योजना में शामिल न किया हो। मुझे खुशी है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने काफी प्रश्न उठायें और माननीय मदन कौशिक जी ने, श्री बिशन सिंह चुफाल जी ने, श्री हरभजन सिंह चीमा जी ने, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने, श्री बंशीधर भगत जी ने, श्री ललित फर्स्वाण जी ने, श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल जी ने, श्री गणेश गोदियाल जी ने, श्री आदेश चौहान जी ने, श्री दलीप सिंह रावत जी ने, श्री हरिदास दास जी ने। मान्यवर, लगभग सबकी मोटी–मोटी बातों में और माननीय अजय भट्ट जी का अनुकरण करते हुए मैं बहुत बधाई दूँ डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी को, जिन्होंने सैल्स टैक्स यानी बिक्री कर से आमदनी की आय को बढ़ाने पर काफी इंगित किया और उनके सुझावों का हम संज्ञान भी लेंगे और उनका उपयोग भी लेंगे किस प्रकार से हम और अपनी अधिक आय सैल्स टैक्स के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं उनके साथियों ने ऋणग्रस्तता पर बोला है। मान्यवर, मुझे याद था और मैंने इनके समय के कुछ कागजात मंगाये और हमारी जहां तक थी सकल ऋणग्रस्तता वर्ष 2006–07 में ₹ 11755.71 करोड़ थी और जो वर्ष 2011–12 में ₹ 21752.77 करोड़ तक हो गयी थी। आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान लिये गये ऋण और हमारी सरकार के द्वारा लिये गये ऋण के उपयोग में बहुत अन्तर है। हमारी सरकार में लिए गये ऋण का अधिकांश उपयोग पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन पर किया गया। जहां वर्ष 2011–12 में आपकी सरकार द्वारा ऋण से प्राप्त राशि पर पूँजीगत व्यय केवल ₹ 2564.15 करोड़ का खर्च किया, वहीं हमारी सरकार ने ऋण से प्राप्त राशि पर वर्ष 2012–13 में ₹ 3814.67 तथा वर्ष 2014 में ₹ 5882.80 करोड़ आंकलित है। इसके अतिरिक्त भी मान्यवर, वर्ष 2006–07 से आज तक राज्य केवल दो बार ही राजस्व घाटा की श्रेणी में रहा है। यह घाटा वर्ष 2009–10 में ₹ 1171.35 करोड़ था तथा वर्ष 2010–11 में ₹ 12.92 करोड़ रहा। जिसके परिणामस्वरूप इन वित्तीय वर्षों में एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के लक्ष्य पूरे नहीं हुए थे।

मान्यवर, मैं हमारी सरकार के वर्ष 2002 से वर्ष 2007 के बाद की स्थिति की जानकारी दे रही हूँ और उसका नतीजा क्या हुआ, जब इनके समय में एफ0आर0बी0एम0 एक्ट का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो राज्य को जो ब्याज माफी की मद में केन्द्र से मिलने वाली छूट होती है, वह नहीं ली गयी है और अच्छा होता कि यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य साथी होते और जो बहुत अधिक ऋणग्रस्तता पर हमारे ऊपर दवाब बना रहे थे, उनको यह पता होता कि आर्थिकी एवं बजटीय प्रबन्धन में उस समय सरकार कि क्या स्थिति थी? और हमें प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने समुचित आर्थिकी एवं बजटीय प्रबन्धन के द्वारा इस वर्ष ₹ 682.43 करोड़ का राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत किया है। इसलिए इस ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में जो शंकायें हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं साथियों ने यहां पर उठाई वह बिल्कुल निर्मूल है और हमारा वित्तीय प्रबन्धन एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के अन्तर्गत, हम अपनी सीमाओं के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं और उनके समय में जो कठिनाई आयी थी और उन्हें ब्याज की छूट भी नहीं मिली थी तो वो वित्तीय प्रबन्धन और इस वित्तीय प्रबन्धन में यदि तुलना करें तो हमने उस वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, बहुत सारी बातों की तरफ माननीय नेता सदन ने ध्यान आकर्षित कर दिया है अब मैं दोहराना भी नहीं चाहती हूँ, यदि वे स्वयं यहाँ पर बैठे होते तो उनके प्रश्नों का जरूर उत्तर देती, आपने बार–बार कहा कि आपने ये पेंशन लागू कर दी, वो पेंशन लागू कर दी पर पैसे का प्राविधान नहीं किया गया, यदि वे वित्तीय व्यवस्था को जानते हैं तो जो योजनायें हम लाते हैं उनके पैसे के प्राविधान की व्यवस्थायें हैं, हम अनुपूरक बजट के द्वारा प्राविधान करते हैं, हम कन्टीन्यून्सी के द्वारा प्राविधान करते हैं। आप कैसे करेंगे, पेंशन कहाँ से देंगे, पैसा कहाँ से लायेंगे ये सारी बातें माननीय नेता प्रतिपक्ष और उनके साथियों ने उठायी, तो इसके लिए भी मैं उत्तर देना चाहती हूँ कि बजट में वो चीज जो हम करने का संकल्प लेकर आगे चले हैं, उनके बजटीय प्राविधान करने के लिए हमारे पास समय भी है, व्यवस्था भी है, नियम भी है, तो उन नियमों के अन्तर्गत बजटीय प्राविधान लगातार होगा, तो इसकी शंका भी न करें और चिन्ता भी न करें, जो भी इस बजट में कल्याणकारी योजनायें और माननीय नेता सदन ने और अधिक विस्तार से कुछ चीजों की ओर संकेत दिया है तो उन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए बजटीय व्यवस्था का पूरा प्राविधान है, हमारा वित्तीय प्रबन्धन बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, रिजर्व बैंक के द्वारा कोई आपत्ति, कोई लाईन हमारे विरूद्ध नहीं है, हम एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के तहत सारा कार्य वित्तीय प्रबन्धन में कर रहे हैं, इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और साथियों को इससे अधिक परेशान नहीं होना चाहिए। ऋण बारोईंग तो सारी दुनिया लेती है, राज्य भी लेता है, देश भी लेता है, विकास के लिए बारोईंग की आवश्यकता होती है, पर वह सीमा के अन्तर्गत हो और हम अपने संसाधनों से वापस कर सकें तो यही अच्छा वित्तीय प्रबन्धन होता है, तो इसकी व्यवस्था इस बजट में है और हमने की है, इन्हीं शब्दों के साथ बजट से संबंधित माननीय नेता सदन के बहुत विस्तार से प्रत्युत्तर के बाद मैं समझती हूँ वित्तीय प्रबन्धन की दृष्टि से इस बजट को श्रेष्ठ भी कहेंगे और पैसे का प्राविधान भी पूरा है।

वित्तीय वर्ष 2014–2015 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–05 निर्वाचन

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 466641 हजार (रूपये छियालीस करोड़ छियासठ लाख इक्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 466641 हजार (रूपये छियालीस करोड़ छियासठ लाख इक्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 44739341 हजार (रूपये चार हजार चार सौ तिहत्तर करोड़ तिरानवे लाख इक्तालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

(किसी भी माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 44739341 हजार (रूपये चार हजार चार सौ तिहत्तर करोड़ तिरानवे लाख इकतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

*राजस्व मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 20318239 हजार (रूपये दो हजार इक्तीस करोड़ बयासी लाख उनतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 20318239 हजार (रूपये दो हजार इक्तीस करोड़ बयासी लाख उनतालीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–18 सहकारिता

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 500797 हजार (रूपये पचास करोड़ सात लाख सत्तानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय।

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 500797 हजार (रूपये पचास करोड़ सात लाख सत्तानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 12292414 हजार (रूपये एक हजार दो सौ उन्तीस करोड़ चौबीस लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ₹ 12292414 हजार (रूपये एक हजार दो सौ उन्तीस करोड़ चौबीस लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री राजेश शुक्ला, श्री महावीर सिंह रांगड़, श्री सरवत करीम अंसारी, डा0 प्रेम सिंह राणा, श्री चन्दन राम दास, श्री मदन कौशिक, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल की कुल 09 सूचनाएं

प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री पुष्कर सिंह धामी की सूचनाजो विधान सभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत मेलाघाट एवं प्रवीन नदी पर बाढ़ नियंत्रण की दो योजनाओं की स्वीकृति वर्ष 2013 में होने के उपरान्त अभी तक कार्य प्रारम्भ न होने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री सरवत करीम अंसारी की सूचना जो जिला हरिद्वार में शिक्षा विभाग में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना न चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड थौलधार के विभिन्न नव मोटर मार्गों के लम्बित प्रस्तावों के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह रागड़, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

(1) लालूरी–कोटीमहरो–मजखेत मोटर मार्ग का विस्तृत आगणन लम्बाई 10 कि0मी0 एवं लागत ₹ 527.00 लाख मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र के पत्र दिनांक 9 जनवरी, 2014 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है, किन्तु वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते फिलहाल आगणन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है।

(2) सावली–मैण्डखाल मोटर मार्ग लम्बाई 14 कि0मी0 स्वीकृत है। प्रारम्भिक 02 कि0मी0 का कार्य कराया जा चुका है। तदोपरान्त ग्राम बांडा के निवासियों द्वारा संरेखण को लेकर विवाद कर कार्य करने नहीं दिया गया। फलतः ग्राम बांडा स्कूल से रैदौणी होते हुए नये संरेखण पर सहमति बनी, किन्तु ग्राम गैर के निवासियों द्वारा अपनी भूमि देने में असहमति व्यक्त करने के कारण मार्ग का पुनः नवीन संरेखण कराना पड़ा। सम्प्रति कार्य की निविदा प्राप्त कर ली गई है और अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर है।

(3) स्यौंसू–रतवाड़ी, ज्वाना मोटर मार्ग स्वीकृत है जिसके विरुद्ध 04 कि0मी0 लम्बाई में ग्राम अकौडी तक कार्य कराया जा चुका है। अवशेष 7.80 कि0मी0 हेतु वन भूमि का प्रस्ताव दो बार भारत सरकार को भेजा गया, किन्तु वृक्षों की संख्या अधिक होने के कारण स्वीकृति नहीं मिल पाई। सम्प्रति पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, नई टिहरी द्वारा मार्ग हेतु नवीन सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(4) घौनलालूरी–क्वारथा मोटर मार्ग लम्बाई 10 कि0मी0 स्वीकृत है जिसके विरुद्ध प्रारम्भिक 2.75 कि0मी0 ग्राम घौन तक कार्य कराया जा चुका है। शेष अंश में वन भूमि होने के कारण कार्य बाधित रहा है। सम्प्रति 5.25 कि0मी0 तक के कार्य हेतु निविदाएं प्राप्त कर ली गई हैं और कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है। तदोपरान्त 4.75 कि0मी0 हेतु पुनरीक्षित आगणन तैयार किया जा रहा है।

2–उपरोक्तानुसार प्रश्नगत मार्गों के कार्य संरेखण सम्बन्धी विवाद होने, वन भूमि हस्तान्तरण में विलम्ब होने तथा वित्तीय संसाधनों की कमी होने के फलस्वरूप बाधित रहे हैं। वर्तमान में अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के तल्ला सल्ट में मछोड़ नामक स्थान पर तहसील की मांग के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

श्री यशपाल आर्य–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा जिला अल्मोड़ा में मछोड़ नामक स्थान पर तहसील स्थापना से सम्बन्धित नियम–53 के अन्तर्गत निम्न सूचना दी गयी है–

"मेरे विधान सभा सल्ट के तल्ला सल्ट निवासी वर्षों से मछोड़ नामक स्थान पर तहसील की माँग वर्षों से कर रहे हैं। क्योंकि छोटे–छोटे कार्यों हेतु भी, उन्हें 40–50 कि0मी0 दूर स्थित तहसील में जाना पड़ता है, क्षेत्रीय जनता समय–समय पर इस हेतु आन्दोलनरत रही हैं। सदैव आश्वासन व घोषणाएँ होने के कारण जनता का भरोसा टूट रहा है, आज प्रदेश में कई स्थानों पर नई तहसीलों की स्वीकृति सरकार द्वारा दी जाने के बाद भी मछोड़ में तहसील की माँग की अनदेखी होने के कारण क्षेत्रीय जनता अपने को ठगा सा महसूस कर रही हैं और उनमें भारी रोष व्याप्त है, जो कभी भी एक बड़े आन्दोलन का रूप ले सकता है।"

2–इस संदर्भ में अवगत कराना है कि जिला अल्मोड़ा में हाल ही में 02 नई तहसील, स्यालदे व धौलछीना व एक उप तहसील, लमगड़ा का सृजन किया जा चुका है। मछोड़ में तहसील की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्व में की गयी घोषणा के क्रम में शासन में प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, दिनांक 17 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 07 बजकर 15 मिनट पर सोमवार दिनांक 17 फरवरी, 2014 के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

जगदीश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

देहरादून,
दिनांक: 13 फरवरी, 2014

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधान सभा/37–27–05–2015–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।